खण्ड-280, अंक-7
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(9 मार्च, 1970 ई0)

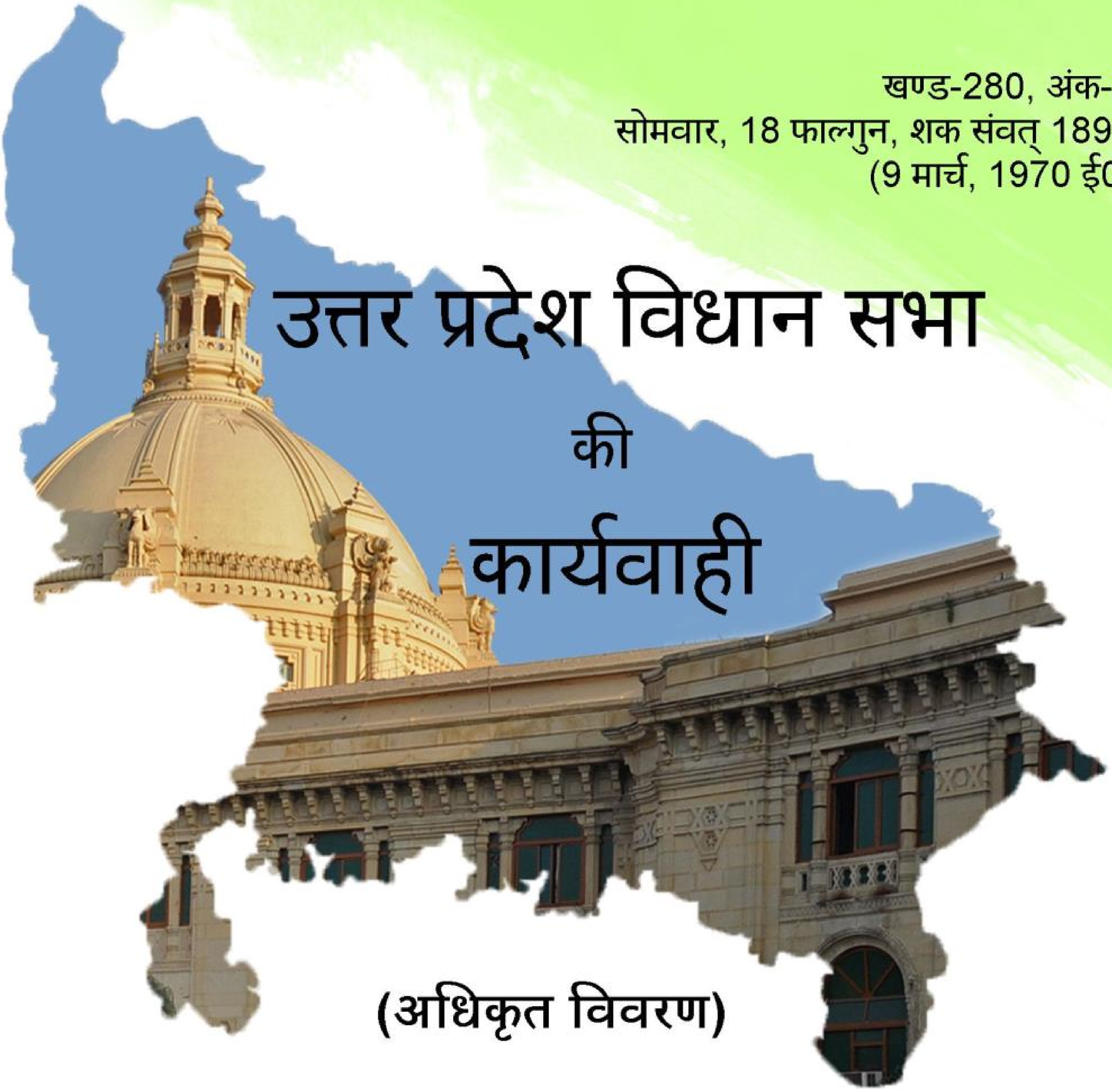

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफ क अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द बहादुर शाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उपेंद्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल), श्रीमती
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगनसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्र भान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगर नाथ , श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जलील अब्बासी , श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय , श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री

पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद , श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा , श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलूसिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल , श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रातप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद , श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसा राम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह,श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री

रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल बुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

प्रश्नोत्तर

सोमवार ९ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया के विरुद्ध आरोप

****१—श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया)—**

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के १८ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न १ के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि श्री शेर सिंह को अतिरिक्त

[श्री निर्भय नारायन सिंह—]
अभियन्ता, जिला परिषद्, बलिया के पद के प्रत्यावर्तित करने को लिखा जा चुका है ? यदि हां, तो फिर इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकारी आदेश का कहां तक पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

जी हां ।

शासकीय आदेश दिनांक १६ सितम्बर, १९६९ के अन्तर्गत अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया को दूसरी बार सूचित किया गया कि श्री शेर सिंह को अतिरिक्त अभियंता पद पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को शासन द्वारा पुनः अस्वीकृत कर दिया गया है तथा उनसे यह भी पूछा गया कि किन परिस्थितियों में पहले आदेश, दिनांक १७ जून, १९६८ का पालन नहीं कराया गया । इन आदेशों का पालन अध्यक्ष ने नहीं किया बल्कि शासन से पुनः पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक ड्राफ्टमैन को अभियंता का पद देकर इस मार्च के महीने में उसके द्वारा लाखों रुपयों का पेमेंट कराया जा रहा है और जो सरकारी आदेश गये थे उनकी जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवहेलना की जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

पेमेंट की अंतिम जिम्मेदारी जिला परिषद् के अध्यक्ष की ही होती है । इसलिये अभियंता के पद पर उस ओवरसियर के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता । यह बात सही है कि कथित शेरसिंह को उस अभियंता के पद पर कार्य नहीं करना चाहिये क्योंकि उसके लिए शासन द्वारा आदेश दिये हुये हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, वह ड्राफ्टमैन और अध्यक्ष, जिला परिषद् दोनों मिल कर वहां लूट मचाये हुये हैं । इसको देखते हुए क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से कोई पेमेंट न किया जाय ?

श्री शिवराज सिंह—

इस प्रकार के आदेश देना उचित नहीं होगा । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि शासन ने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट, १९६१ के अन्तर्गत किन्हीं कारणों से दफा २९ के मातहत जिला परिषद्, बलिया के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बलिया के खिलाफ जन शक्ति योजना के ४ लाख रुपयों के गबन का केस चल रहा है ? यदि हां, तो इसको देखते हुए क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के दस्तखत से भविष्य में कोई पेमेंट न हो ?

श्री शिवराज सिंह—

मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की जांच चल रही है । यदि माननीय सदस्य यह लिखकर दे देंगे तो मैं सूचना मंगाकर दे दूंगा ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बलिया, के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भी बहुत से जिला परिषदों के अध्यक्षों के विरुद्ध भी ऐसी शिकायतें हैं

कि वे बड़ी अनियमिततायें कर रहे हैं ? तो क्या इस प्रकार के अन्य अध्यक्षों के विरुद्ध कोई जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, यह बात सही है कि एक से अधिक जिला परिषदों के अध्यक्षों के खिलाफ शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा २९ शासन को अधिकृत करती है कि कार्यवाही की जाये । जिन जिन अध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतें मालूम होंगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित किये जाने का हमारा निर्णय है और इसी निर्णय के अनुसार जिला परिषद्, बलिया के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

इस बात को देखते हुए कि एक से अधिक बार आदेश जाने के बाद भी अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया ने आदेश का पालन नहीं किया, तो क्या उस जिला परिषद् को मिलने वाली शासकीय सहायता को माननीय विकास मंत्री जी इस समय बन्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, अध्यक्ष ने अनियमितता यह की कि शासन के आदेश-ओवरसियर को इंजीनियर के पद से हटाने का नहीं माना है, केवल यही आपत्ति आई है । उसने धन का दुरुपयोग किया है---इस निर्णय पर अभी सरकार नहीं पहुंची है । इसलिये अभी ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हड़ताली कर्मचारियों को सेवा में न लेना

**२---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा अपने हड़ताली कर्मचारियों के प्रति अपनाई गई नीति को अपनाते हुये राज्य सरकार को अपने दंडित कर्मचारियों को सेवा में अविलम्ब वापस ले लेने में क्या आपत्ति है ? यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो इन दंडित कर्मचारियों को सरकार कब तक सेवा में वापस ले लेगी ?

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

भारत सरकार ने अपने हड़ताली कर्मचारियों के विषय में अब तक जो निर्णय लिये हैं, उनकी ब्योरेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु अपने दंडित कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने की इस सरकार की नीति नहीं है।

श्री मोहनलाल कपूर---

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने राज्य कर्मचारियों को जो न सेवा में वापस लेने की नीति अपनाई है, इसमें आपको क्या आपत्ति और कठिनाई आ रही है?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)---

कठिनाई यह आ रही है कि अगर कर्मचारी एक बार दंडित हो जाये और उसको फिर रख लिया जाये सेवा में, तो उससे अनुशासन बिलकुल खत्म हो जायेगा । मैं नहीं समझता कि एक कर्मचारी जो गवर्नमेंट सेवा से डिसमिस हो जाये फिर पुनः किस प्रकार सेवा में रखा जा सकता है ? यह तो उसूलन डिफिकल्टी है । दूसरी बात मैं कह कहना चाहता हूं कि आपने जो केंद्रीय कर्मचारियों से उनकी तुलना की, यह ठीक नहीं है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल एक दिन की थी, जबकि हमारे यहां हफ्तों-हफ्तों व महीनों-महीनों हड़ताल चली और उसमें पब्लिक सम्पत्ति की--जायदाद की भी हानि पहुंची है । मसलन ट्रांसपोर्ट को बहुत हानि पहुंची है ।

इसलिये इन दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती और वैसे मैं कह चुका हूं कि मैं उसूलन इसको ठीक नहीं समझता ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसे अभी उत्तर में कहा कि इसकी जानकारी सरकार को नहीं है और फिर मुख्य मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एक दिन की हड़ताल थी--यह बात थी वह बात थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं पुनः आप से कि आपके प्रदेश में कुल कितने कर्मचारी इस समय ऐसे हैं जिनको आपने सेवा में नहीं लिया और इन कर्मचारियों को, तथा केंद्र के एक दिन की हड़ताल वाले जो कर्मचारी हैं इन दोनों को सामने रखते हुए तुलनात्मक दृष्टि से इन्हें आपको सेवा में लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री चरणसिंह---

जवाब तो दे चुके हैं । पहली बात आप यह कहते हैं कि मैंने यह जवाब दिया है कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है उनको नहीं मालूम है और साथ ही यह कह दिया कि उन्होंने एक दिन की हड़ताल की और हमारे यहां महीनों-महीनों रही, इसलिये दोनों की तुलना नहीं। मैंने जो बातें कहीं उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है । वापस लेने के संबंध में उनकी क्या नीति है उसके सिलसिले में मैंने कहा कि उसकी सूचना नहीं है । अगर सूचना भी हो तो गवर्नमेंट आफ इंडिया क्या करती हैं अपने कर्मचारियों के सिलसिले में उसकी कोई पाबन्दी स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उससे हम पाबन्द नहीं हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दो महीने पूर्व इन दंडित कर्मचारियों के केसेज रिव्यू करने के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया था ? यदि हां, तो वह आदेश लागू है या कैंसिल कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह---

आपके जमाने में बेशक कोशिश यह थी कि हर तरह की रियायत की जाय उन लोगों के साथ । उसमें जो आपके सामने आदेश हो चुका है, जिन पर केसेज चल रहे हैं, और संस्पेंडेड हैं और हिंसा के कसूर में नहीं हैं, इस तरह के कुछ केसेस वापस ले लिये जायं, वह शायद वापस हो गये हैं । लेकिन हमने रिवोक नहीं किया है जो आपके सामने काम हो गया । आपकी कोशिश थी कि दंडित कर्मचारियों को भी लिया जाय लेकिन आपके सामने तय हो गया था कि यह मुनासिब नहीं होगा ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि दंडित कर्मचारियों में कई तरह के दंड हैं? क्या सब के लिए न लेने का नियम है या कोई भेद है? क्या एक ही नियम है या दंड के अनुसार वापस लेने की नीति है ?

श्री चरणसिंह---

वापस लेने का सवाल नहीं है। जो निकाले जा चुके हैं, वापस लेने का सवाल उनके लिए ही उठता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कुछ कर्मचारी उन्होंने वापस भी लिये हैं, पहली सरकार ने या आपने, और लिये हैं तो कितने हैं ?

श्री चरणसिंह---

यह मैंने नहीं कहा कि जो कर्मचारी दंडित हो चुके हैं उनको वापस लिया है। कोई वापस नहीं लिया है ।

रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अभी अभी माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि संसार की कोई भी सरकार अपने दंडित कर्मचारियों को नहीं लेती । क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वेंकटनारमन, कानफेडरेशन के महा मंत्री, को माननीया इंदिरा गांधी ने चार दिन पहले रिइंस्टेट कर दिया और के० व्यास, एकाउन्टेंट जनरल आफिसेज के महामंत्री को भी रिइंस्टेट कर दिया था, क्या हमारे दंडित कर्मचारियों ने उनसे ज्यादा अपराध किया है ? क्या इस सूचना को सही मान कर वह पुनः विचार करेंगे? और दंडित कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

मैं अर्ज कर चुका कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वापस लिया है इसकी सूचना नहीं है। फर्ज कर लीजिये कि उन्होंने वापस लिया होता तो वह एक दिन की हड़ताल थी, यहां का मामला बहुत सीरियस है । आप किस फेडरेशन या कानफेडरेशन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है । हो सकता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ऐसा किया हो, हमारे यहां किया हो, संसार के दूसरे देशों में हुआ हो । लेकिन यह आम उसूल ऐडमिनिस्ट्रेशन का है कि जो निकाल दिये जायं, जो डिस्मिस हो जायं उनको सर्विस में नहीं लेना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री ऐसे मामलों को छोड़ कर जिनमें हिंसा हुई है, बाकी सब कर्मचारियों को जिन पर केवल हड़ताल करने का आरोप है, चाहे हड़ताल में अगुआ रहे हों या हड़ताल में शामिल रहे हों, केवल हिंसा के मामलों को छोड़ कर, बाकी पर पुनर्विचार करने के लिए क्या तैयार हैं?

श्री चरणसिंह—

जी हां, आपकी जो नीति है वह मैं समझता हूं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री अनुशासन कायम रखने के लिये अपनी सरकार द्वारा भविष्य के लिये कोई ऐसा आर्डिनेन्स निकालेंगे कि कोई भी कर्मचारी अपनी मांग रखने के लिये कभी भी कोई आन्दोलन न कर सके ?

श्री चरणसिंह—

माननीय सदस्य इस प्रश्न की मेरिट को रिडीकूल करना चाहते हैं कि ऐसा करें जिससे कोई हड़ताल न कर सके। इसका सवाल नहीं है। मेरे माननीय मित्र को मालूम नहीं है कि हड़तालियों ने क्या क्या किया था और अगर मालूम है तो उसको याद नहीं रखना चाहते हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जो चीफ सेक्रेटरी को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वह दंडित कर्मचारियों के केसेज को रिव्यू करे तो वह रिव्यू करने का उनका क्रम चल रहा है या समाप्त हो गया है ?

श्री चरणसिंह—

मैंने अर्ज किया कि उन केसेज को रिव्यू कर लिया गया था और मेरे मित्र की जब कैबिनेट थी उन्हीं के जमाने में वह सारे केसेज जो अदालत में चल रहे थे या ससपेंड थे या वायलेन्स में मुअत्तल नहीं थे उनको शायद छोड़ दिया गया है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं

कि चाहे उनकी गवर्नमेन्ट ने कुछ भी किया हो या चीफ सेक्रेटरी उन केसेज को रिव्यू कर रहे हों इस गवर्नमेन्ट की नीति यह है कि जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जा चुका है, निकाले जा चुके हैं उनको यह गवर्नमेन्ट वापस नहीं लेना चाहती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सर्किट बेन्च मेरठ में खोलने का विचार

**३—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलायेगी कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक शाखा, मेरठ जिला में स्थापित कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मन्त्री (श्री बलवीरसिंह)—

२ मार्च, १९७० को विधान सभा में श्री बेनी सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ का उत्तर देते हुए यह कहा गया था कि मेरठ में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

स्थिति अभी यही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या न्याय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ में बेन्च खोलने का निर्णय लेते वक्त ला कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि:—

"We then reached the conclusion that the efficiency of the administration of justice should be the paramount consideration governing this matter and that ? this consideration weighed over-whelmingly against the creation of Benches of the High Courts."

और माननीय हुकुम सिंह का ४८ का लेजिस्लेचर का वक्तव्य, बार कौंसिल का प्रस्ताव, माननीय लालबहादुर शास्त्री तथा जवाहर लाल नेहरू के विचार कि हाईकोर्ट की बेन्च मेरठ में निहित होनी चाहिये, इन पर भी गौर करेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

इस बात पर निर्णय करते समय सभी बातों पर विचार किया गया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सरकार के विचाराधीन है। मैंने उस रोज एक पूरक प्रश्न किया था कि यह प्रश्न विचाराधीन बहुत रोज से चल रहा है तो माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी। तो आज के उत्तर में भी क्या माननीय मन्त्री जी "शीघ्र" शब्द जोड़ लेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

"शीघ्र" मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी मैं उसे जोड़ने को तैयार हूं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्द शहर)—

जिस समय सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी तो इस बात की ओर भी ध्यान देगी कि पश्चिमी जिलों के मुअक्किल जो हैं और वहां की जो गरीब जनता है उसको इलाहाबाद आने में बहुत खर्चा करना पड़ता है तथा काफी समय बरबाद करना पड़ता है?

श्री बलवीरसिंह—

अवश्य विचार करूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिस प्रकार सरकार मेरठ में एक शाखा खोलने पर विचार कर रही है उसी प्रकार पूर्वी जिलों में भी वह एक शाखा खोलेगी क्योंकि वहां के लोग अधिक गरीब हैं और वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, सवाल पूर्व और पश्चिम का नहीं है। जहां तक पूर्व का सवाल है पूर्व के जिले पश्चिमी जिलों की अपेक्षा इलाहाबाद के अधिक नजदीक पड़ जाते हैं। आम तौर पर कोशिश यह होती है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो लेकिन स्टेट के आकार को देख कर पुरानी सरकार ने लखनऊ में अवध चीफ कोर्ट जो पहले कहलाती थी उसे हाई कोर्ट की बेंच के रूप में कायम रहने दिया ताकि यहां के लोगों को सुविधा हो सके। लेकिन जो पश्चिमी जिले के लोग हैं उनको दो दिन पहले आना पड़ता है, एक आदमी और अमूमन एक वकील को साथ लाना पड़ता है जिससे उनको तकलीफ होती है। ऐसी हालत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेज अथवा जो लोग प्रेक्टिस करते हैं वे नहीं चाहते कि इलाहाबाद की बेंच के टुकड़े हों। यह उनका दृष्टिकोण है लेकिन, दूसरा दृष्टिकोण जनता की सुविधा का भी है। मैं समझता हूं कि हर मामले में पोलिटिकल मोटिव एट्रिब्यूट करना उचित नहीं होगा। हर चीज को मेरिट पर देखना चाहिये ओर कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिये जिससे कड़वाहट पैदा हो।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

पश्चिमी जिलों की जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि मेरठ के मुकाबले बरेली ज्यादा अच्छा स्थान रहेगा ?

श्री बलवीर सिंह—

अभी सारा मामला विचाराधीन है। बरेली के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

रामपुर में हाईकोर्ट की इमारत पहले से ही मौजूद है और नई इमारत नहीं बनानी पड़ेगी तो क्या माननीय मन्त्री रामपुर में नई बन्च खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

माननीय सदस्य के सुझाव पर हम विचार करेंगे।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिद्धान्ततः किसी स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होना चाहिये और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊंचे ट्रेडीशन्स को देखते हुये तथा न्याय पालिका की मर्यादा को देखते हुये क्या यह उचित होगा कि जब शासन इस पर विचार करे तो क्षेत्रीय कंसीडरेशन को सामने न रखा जाय बल्कि न्याय की मर्यादा को सामने रखा जाय ?

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी जी ने जो कहा है वह बहुत हद तक ठीक है। लेकिन सारा सवाल जनता की सुविधा का है। लेकिन मैंने यह कहा कि आम तौर पर नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, देहली में सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर मदरास, मैसूर, केरल, बंगाल आदि स्थानों से लोग आते हैं, तो फिर इसके करने की क्या तुक है?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे मित्र कह रहे थे कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में हिन्दुस्तान के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं। लेकिन यहां तो हाई कोर्ट और जनता की सुविधा का सवाल है। सूबे की आबादी करीब ६ करोड़ है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मेरठ डिवीजन में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो इससे भी ज्यादा दिक्कत पहाड़ों के लोगों को होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुये पहाड़ों में या बरेली में जैसा कि माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि क्या मुख्य मंत्री जी पहाड़ों में तथा बरेली में एक एक हाई कोर्ट की बेन्च खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि १९४८ में लखनऊ बेन्च और हाई कोर्ट के अमेलगमेशन के लिए ऐक्ट बना था। उसमें यह था कि लखनऊ बेन्च को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाय। फिर ला कमीशन की रिपोर्ट इसके समाप्त करने के संबंध में आई और स्टेट में केवल एक हाई कोर्ट .....। यदि मंत्री जी को यह मालूम है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस और पब्लिक कन्वीनियंस, दोनों में से एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की ओर ध्यान देना उचित नहीं होगा?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड प्राविंसेज हाई कोर्ट अमेलगमेशन आर्डर, १९४८ के आर्टिकिल १४ के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, इलाहाबाद में, लखनऊ में या अन्य किसी जगह पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से चीफ जस्टिस जहां चाहें बैठा सकते हैं।

जिला परिषदें समाप्त करने के सबन्ध में जानकारी

**४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार में जिला परिषदों को भंग करने का का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

श्री शिवराज सिंह—

इस समय सरकार के सामने जिला परिषदों को भंग करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मन्त्री जी का ध्यान स्वतंत्र भारत २३/२४ फरवरी की ओर गया है कि जिला परिषदों को भंग करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री शिवराजसिंह—

श्रीमन, वस्तुस्थिति यह है कि ५१ जिला परिषदों में ३७ ऐसी हैं कि जिनके अध्यक्षों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनको हम कार्य मुक्त करना चाहते थे। इस प्रकार की चेष्टा की गई कि धारा २९ की कार्यवाही न करके और कोई कार्यवाही करें जिससे हम उनको कार्य-मुक्त कर सकें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

३१ मार्च, १९७० तक इन जिला परिषदों की मियाद इस समय है। तो जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर मंत्री महोदय विचार करेंगे कि ३१ मार्च, १९७० के आगे मियाद न बढ़ाई जाय बल्कि वहां पर जिलाधीश को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें। क्योंकि जो शिकायतें आई हैं उनसे विदित है कि जिला परिषदों में बड़ी दुर्व्यवस्था है और जनहित की दृष्टि से मियाद और न बढ़ाई जाय?

श्री शिवराजसिंह—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि विधान सभा का यह सत्र जो चल रहा है १२ तारीख को तीन महीने का वोट आन एकाउन्ट लेकर उठ जावेगा, ३१ मार्च को यह सदन नहीं रहेगा, तो ३१ मार्च के दिन जिला परिषदों का टर्म जो समाप्त हो रहा है, उसको आप एक्सटेन्ड कर रहे हैं या समाप्त करना चाहते हैं?

श्री शिवराजसिंह—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह विधान सभा सरकार की नीतियों के लिये सर्वसत्ता सम्पन्न बाडी है। १२ तारीख के बाद ३ महीने तक यह सदन नहीं चलेगा तो सरकार स्पष्ट रूप से बतलावे कि ३१ मार्च के बाद टर्म बढ़ायेंगे या नहीं। यह कहते हैं कि आज हम नहीं बतलावेंगे तो विधान सभा को रिस्पेक्ट आप दीजिये और माननीय मंत्री जी से कहिये कि बतलावें कि जिला परिषदों का टर्म ३१ मार्च के बाद एक्सटेन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आज उत्तर न दे सकें तो कल दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

विचाराधीन है, यह कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि दफा २९ की कार्यवाही के अलावा और क्या कार्यवाही मंत्री जी करने जा रहे हैं?

श्री शिवराजसिंह—

दफा २९ के तहत कार्यवाही करने में काफी समय लगने की संभावना है। हम चाहते थे कि किसी और सेक्शन के माध्यम से कोई ऐसी कार्यवाही कर सकें जिससे थोड़े समय में इसको कार्यरूप दे सकें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्राथमिक शिक्षा जिला परिषदों का मुख्य कार्य है जिसको पूरा करने में वे बिलकुल असफल रहे हैं और यह शिक्षा करीब-करीब समाप्त हो गयी है। इसलिये क्या मन्त्री जी इस ब्यू के हैं कि जिला परिषदों को खत्म कर दिया जाय ?

श्री शिवराज सिंह---

मैंने अभी निवेदन किया कि यह प्रश्न विभाग के अभी विचाराधीन है। जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ मार्च को समाप्त हो रहा है, उसको बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय, इन सब प्रश्नों में आपका प्रश्न भी आ जाता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मन्त्री जी १७ मार्च को प्रदेश के सारे जिला परिषदों को जिलाधीशों के हाथ में देने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

इस प्रकार का कोई निर्णय अभी हमने नहीं लिया है। यदि माननीय मित्र को किसी ज्योतिषी ने बतलाया हो तो दूसरी बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि वर्तमान जिला परिषदों का टर्म कब खत्म हो गया था ?

श्री शिवराज सिंह---

उनका कार्यकाल ३० जून, १९६८ को समाप्त हो गया था और उसके बाद प्रान्तीय सरकार इस अधिनियम के माध्यम से उनके कार्यकाल को दो वर्ष तक बढ़ाने को अधिकृत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जब उनका कार्यकाल २ वर्ष के लिये बढ़ चुका तो है फिर उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिये विचार करने की अभी क्या आवश्यकता हो गयी है ?

श्री शिवराज सिंह---

जिला परिषदों के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार २९ जून, १९७० को समाप्त होने जा रहा है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि कार्यकाल बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय।

क्षेत्र विकास अधिकारी, गुशाईंगंज का स्थानान्तरण

**५---श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, गुशाईंगंज, जिला लखनऊ के आचरण के विरुद्ध दो जिलाधीशों ने तथा डी० डी० सी० ने भी सरकार को हाल में लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराज सिंह---

जिलाधीश तथा उप विकास आयुक्त ने बी० डी० ओ० और प्रमुख के सम्बन्ध अच्छे न होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट की थी।

क्षेत्र विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश पारित किये गये।

**६—श्री उमानाथ सिंह—

क्या उक्त बी० डी० ओ० के स्थानान्तरण के आदेश हुये किन्तु उन्हें पुनः रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। शिक्षा सत्र की समाप्ति तक के लिये रोक दिया गया।

श्री उमानाथ सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख के संबंध अच्छे न होने का कौन-सा कारण है ?

श्री शिवराज सिंह—

मुख्य कारण तो दोनों को मालूम होगा लेकिन जो रिपोर्ट मांगी गयी थी उससे पता चलता है कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, दोनों कार्य में बाधा डालते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बी० डी० ओ० के खिलाफ निश्चित आरोप क्या हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

बी० डी० ओ० के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, वह प्रमुख का पत्र मेरे पास है। उसमें एक नहीं अनेक आरोप लगाये गये हैं। उसमें छानबीन की गयी, उससे यह पता चला कि दोनों के संबंध खराब हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संबंध खराब होने में दोष किसका है ?

श्री शिवराज सिंह—

यह शासन का नियम है कि जब दो अधिकारियों के संबंध खराब होते हैं तो दोष सदैव छोटे अधिकारी का माना जाता है।

श्री उमानाथ सिंह—

प्रमुख और बी० डी० ओ० के संबंध अच्छे न होने से प्रशासन पर बुरा असर पड़ रहा है, इस बात को देखते हुये क्या मन्त्री जी बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण करने की शीघ्र कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

यह ठीक है कि दोनों के संबंध अच्छे न होने के कारण कार्य में बाधा पड़ रही है इसलिये जैसा कि उत्तर में बताया गया है क्षेत्र विकास अधिकारी का स्थानान्तरण का आदेश पारित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

**७—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री को यह मालूम है कि १९६५-६६ में सीतापुर में नियुक्त पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले के थानेदारों के नाम गश्ती-पत्र जारी किये और लगभग सात लाख रुपया बन्दूकों के लाइसेन्सों के सम्बन्ध में जमा किया जिसके विरुद्ध जांच हुई और पुलिस अधीक्षक महोदय का इन्टीग्रिटी सर्टीफिकेट रोक दिया परन्तु फिर भी उनको आई० पी० एस० में कन्फर्म कर दिया गया ? यदि हां, तो इस विषय का क्या विवरण है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह सही है कि १९६४–६५ में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध इस आशय की एक शिकायत क बारे में जांच की गई थी। जांच में पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप निराधार पाये गये जिसके फलस्वरूप उनकी सत्यनिष्ठा जो डी०आई०जी०, लखनऊ रेन्ज ने प्रमाणित नहीं की थी, शासन द्वारा प्रमाणित कर दी गई। चूंकि कथित पुलिस अधीक्षक का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया गया, अतः वे आई० पी० एस० में ९-७-६८ से सम्पुष्ट कर दिये गये।

*८–श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को यह भी मालूम है कि उपर्युक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने निवास स्थान महमूदाबाद हाउस में पेड़ कटवाकर बाउन्डरी वाल बनवाई थी जिसमें पुलिस के कर्मचारियों से मजदूरी कराई गई इस विषय में जो जांच हुई उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह सही है कि इस शिकायत के बारे में भी जांच की गई थी। जांच से यह ज्ञात हुआ कि कथित पुलिस अधीक्षक ने महमूदाबाद स्टेट की, जो बंगले की मालिक थीं, अनुमति से अपने बंगले के हाते में कुछ फलहीन वृक्षों को कटवा कर चहारदीवारी बनवाई थी। चूंकि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं बरती गई, अतः इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उक्त चहारदीवारी के बनवाने में पुलिस कर्मचारियों से मजदूरी कराई गई।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने को कृपा करेंगे कि जो शिकायत लगभग ७-८ लाख रुपयों से सम्बन्ध रखती है और जिसकी जांच लखनऊ रेन्ज के डी० आई० जी० ने की और वह इस निश्चित निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने एस० पी० का इन्टीग्रीटी सर्टीफिकेट रोक लिया तो क्या उसके बाद किसी और सीनियर अधिकारी द्वारा दूसरी जांच करवाई गई थी ? या सरकार ने अपने से ही यह समझ लिया कि उनको एप्रूव करके आई०पी०एस० के लिए भेज दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

जांच करवाई गई थी विजीलेंस कलक्ट्रेट के जरिये और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी कोई कार्यवाही गैर ईमानदारी की नहीं थी। केवल उन्होंने दो गल्तियां की थीं। एक तो यह कि उन्होंने बड़े अधिकारियों से इसका मशविरा नहीं किया था और यह नहीं किया कि गांव में सर्किल समिति कायम हो जाये ताकि समाज विरोधी जो तत्व हैं उनसे रक्षा करने के लिए गांव-गांव में कमेटियां बन जायें। गांव वालों ने इस ख्याल से उनको रुपया दिया ताकि उनको बन्दूकें दे दी जायें। उन्होंने ८ लाख रुपया एक जगह जमा करवाया, एक स्कीम बनाने से पहले अपने सुपीरियर आफिसर्स से राय लिये बिना। उनको अपने सुपीरियर आफिसर से राय लेनी चाहिये और जो रुपया रखा गया उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई। जिन नियमों के मातहत उनको रुपया रखना चाहिये वह वैसा नहीं रखा गया। सतर्कता आयोग जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई गल्ती नहीं थी इसलिये उनको इस गल्ती से मुक्त कर दिया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री महोदय को यह मालूम है कि जो एस०पी० महोदय ने ७-८ लाख रुपया बन्दूकों आदि के लिये जगह जगह से इकट्ठा किया था उस धन को अपने किसी दोस्त जो कि पी० डब्लू० डी० के कन्ट्रैक्टर हैं उनको इन्ट्रेस्ट पर उठा दिया और वह धन एक साल के बाद वापस मिला और वह भी बड़ी कोशिशों के बाद ?

श्री चरणसिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन यह विजिलेंस डाइरेक्ट्रेट ने कहा कि उनकी कोई बदनियती नहीं थी।

श्री कल्पनाथसिंह—

एक एस० पी० का मामला था जिसकी प्रारम्भिक जांच डी० आई०जी० ने की और उनका इन्टीग्रिटी सर्टीफिकेट विदहेल्ड कर दिया। डायरेक्टर विजिलेंस खुद एक डी० आई० जी० रैंक के अधिकारी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्वयं जांच की थी? अथवा किसी लोवर रैंक के अधिकारी से जांच करायी थी? यदि वह अधिकारी लोवर रैंक का था जिसने कि जांच की, तो वह कौन अधिकारी था?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच करने के अधिकार का संबंध है, उसके विषय में मुझे यह कहना है कि जब किसी जांच के कराने के लिये किसी बड़े अधिकारी से कहा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधिकारी खुद ही जांच करे। वह बड़ा अधिकारी अपनी एजेन्सी से जांच कराता है। बड़े-बड़े अधिकारी खुद जांच नहीं करते हैं। डायरेक्टर आफ विजिलेंस आमतौर से जांच इन्सपेक्टर से कराते हैं। कभी-कभी वे डी० एस० पीज० से जांच कराते हैं और कभी-कभी सब-इंसपेक्टर से कराते हैं। जब जांच का नतीजा निकलता है तो वह नतीजा डायरेक्टर आफ विजिलेंस की अथारिटी का ही माना जाता है। सरकार बहुत-सी जांचों के लिए कमिश्नर्स को लिखती है। कमिश्नर्स खुद जांच नहीं करते हैं, बल्कि कराते हैं। दूसरे लोगों से जांच कराने के पश्चात् जो कमिश्नर्स की फाइंडिंग्स होती हैं वही मानी जाती हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा प्रश्न यह नहीं था। डी० आई० जी० ने जांच की और उनका इन्टीग्रिटी सर्टिफिकेट रोक दिया गया। मुख्य मन्त्री जी का कहना यह है कि इन्स्पेक्टर्स या डी०एस०पीज० ने जांच की होगी। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या डी० आई० जी० के द्वारा की गयी जांच को फिर से किसी डी० एस० पी०, इन्सपेक्टर या सब इन्स्पेक्टर से करायेंगे?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, मैं इसको जरूरी नहीं समझता हूं। यह तो एक नियम है जो सब जगह माना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम तारांकित प्रश्न लेते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अभी ८वां प्रश्न तो बाकी है।

श्री अध्यक्ष—

सब हो चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन—

८वां प्रश्न बिल्कुल नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

क्या उसका उत्तर नहीं मिला है?

श्री रियासत हुसैन—

उत्तर तो उसका मिल गया है, मगर श्रीमन्, प्रश्न तो करने दीजिए। अभी तो ७वें प्रश्न में ही और प्रश्न करने बाकी हैं। ७ लाख रुपये का गोलमाल है। वह गलत तरीके से ७ प्रतिशत इन्टरेस्ट पर एक पी० डब्लू० डी० के कन्ट्रेक्टर को दिया गया और फिर वापस किया गया।

श्री अध्यक्ष—

जब आपने कोई प्रश्न नहीं किया, तो क्या करें।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर सवाल है। हम नियम ४९ के अन्तर्गत टाइम लेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

वाराणसी क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारियों को टी० ए० तथा वर्दी की सिलाई न मिलना

*१—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग (वाराणसी क्षेत्र) के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का टी० ए० बिल कई वर्षों से भुगतान न होने का क्या कारण है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

वाराणसी क्षेत्र जून, १९६७ में कुछ डिपो गोरखपुर क्षेत्र से और कुछ डिपो इलाहाबाद क्षेत्र से लेकर बनाया गया था। इस क्षेत्र के कर्मचारियों के टी० ए० बिलों का भुगतान क्षेत्र बनने के बाद से बराबर हो रहा है। परन्तु पुराने बिल जो इस क्षेत्र के बनने के पहिले की अवधि के थे उन्हें इलाहाबाद तथा गोरखपुर क्षेत्र से प्राप्त होने पर पर्याप्त निरीक्षण करने तथा त्रुटियां दूर करने, नान-पेमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने अथवा प्री आडिट कराने में काफी कठिनाई पड़ी। इस समय केवल १२ कर्मचारियों के पुराने बिल भुगतान के लिये अवशेष हैं जिनमें आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*२—श्री श्यामलाल—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग (वाराणसी क्षेत्र) के चालक और परिचालकों को वर्दी की सिलाई कितने वर्षों से नहीं दी गई है और किस कारण से?

श्री धर्मसिंह—

वाराणसी क्षेत्र जून, १९६७ में बना था। वर्ष ६७-६८ और ६८-६९ की वर्दियों की सिलाई दी जा चुकी है। १९६६-६७ वर्ष के सिलाई से संबंधित ३ कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि बिलों के परीक्षण इत्यादि में काफी समय लग गया। दो कर्मचारी नौकरी में नहीं हैं और उनका कुछ पता नहीं है। तीसरा कर्मचारी जेल में होने के कारण उसको भुगतान नहीं किया जा सका है।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन १२ कर्मचारियों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनमें कितने तृतीय श्रेणी के और कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

श्री धर्मसिंह—

जो मेरे पास सूचना है उसमें इसकी टिप्पणी नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १२ कर्मचारियों के बिल आडिट या प्रीआडिट के लिये गये हैं तो कितनी जल्दी उनका भुगतान हो जायगा ?

श्री धर्म सिंह—

सरकार का विचार है कि यह जल्दी से जल्दी हो जाय । लेकिन लिखा-पढ़ी और टेक्निकल आब्जेक्शंश दूर करने में देरी लग जाती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी टी० ए० बिल के भुगतान के लिये अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

क्योंकि यह एकाउन्ट का मामला है और एक दूसरे को रेफर करना पड़ रहा है इसलिये समय निर्धारित करना मुनासिब न होगा ।

प्रतापगढ जिले में बस सर्विस

*३—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बता सकते हैं कि जिला प्रतापगढ़ में किन-किन सड़कों पर पूरे अथवा आंशिक रूप में प्राइवेट बसें तथा राजकीय बसें दोनों चलती हैं ? क्या यह सही है कि प्राइवेट बसों के कम्पटीशन के कारण राजकीय बसों की आमदनी निरन्तर गिर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—

जिला प्रतापगढ़ में किसी भी पूरे मार्ग पर प्राइवेट एवं रोडवेज की बसें दोनों एक साथ नहीं चलती हैं । निम्नलिखित प्राइवेट मार्ग ऐसे हैं जिनके कुछ भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग पर पड़ते हैं । ऐसे मार्गों पर प्राइवेट बसों को प्रतिदिन एक बार आने व एक बार जाने की परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई है परन्तु निर्बन्ध है कि वे राष्ट्रीयकृत मार्ग के भाग पर से गुजरते समय न तो कोई सवारी उतारेंगी और न कोई सवारी बिठायेंगी—

क्रम-सं०	प्राइवेट बस का मार्ग	राष्ट्रीयकृत मार्ग	राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग जिस पर प्राइवेट बसों को जाने की अनुमति है ।
१	२	३	४
१	प्रतापगढ़ से चांदा बाया पट्टी	प्रतापगढ़—पट्टी ..	प्रतापगढ़ से पट्टी
२	प्रतापगढ़ से जामताली बाया रानीगंज ।	प्रतापगढ़—रानीगंज ..	प्रतापगढ़ से रानीगंज

१	२	३	४
३	प्रतापगढ़ से गोतनीघाट वाया ज्येठवारा, लालगोपालगंज, कुण्डा, मानिकपुर	इलाहाबाद—मानिकपुर प्रतापगढ़ तथा कुण्डा प्रतापगढ़—कालाकांकर	(१) मानिकपुर से लालगोपालगंज । (२) प्रतापगढ़ से ज्येठवारा जो गाड़ियां इन मार्गों पर अधिकृत रूप से चल रही हैं उनसे किसी हानि होने की संभावना नहीं है क्योंकि निर्बन्ध होने के कारण किसी कम्पटीशन का सवाल नहीं उठता । जो गाड़ियां अनधिकृत रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं उनसे रोडवेज को हानि हो रही है पर उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो तीन प्राइवेट मार्ग हैं जो सरकारी राष्ट्रीयकृत मार्ग से जुड़े हुये हैं इनका भी राष्ट्रीयकरण सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—

विचाराधीन तो है और समय आने पर उसमें कार्यवाही होती रहती है ।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों के चलने की वजह से रोडवेज को हानि हो रही है और उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह—

जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है और मेरे पास सूचना है उससे कोई हानि नहीं हो रही है ।

श्री जयराम यादव—

नाजायज तरीके से चलने वाली कितनी बसें पकड़ी गयीं ?

श्री धर्मसिंह—

आर० टी० ओ० को खास तौर से हिदायत कर दी है कि मौके पर जाकर पूरी तरह से देखें और कार्यवाही करें ।

वाराणसी जिले में विकास खण्ड कर्मचारियों का बकाया भत्ता

*४—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के विकास खंडों के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके यात्रा-भत्ता, वेतन तथा निर्वाचन यात्रा-भत्ता १९६७ से अभी तक बाकी है ? उनका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवराजसिंह—

(१) ऐसे २० कर्मचारी हैं।

(२) विलम्ब के मुख्य कारण निम्न प्रकार के हैं :—

(क) कर्मचारियों द्वारा समय से व पूर्ण क्लेम न देना,

(ख) महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा पूर्व–समीक्षा,

(ग) विकास खंड का विघटन,

(घ) महिला मंगल योजना की समाप्ति।

प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लाक से पम्पिंग सेटों के लिये ऋण

*५—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के गौरा ब्लाक द्वारा १९६३ ई० से आज तक कितने पम्पिंग सेटों के लिये किसानों को कितना ऋण दिया गया ? ब्लाक से स्वीकृत पम्पिंग सेटों में से कितनों को छूट मिल गई है और कितनों को छूट नहीं मिल सकी है, और क्यों ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रतापगढ़ जनपद के गौरा ब्लाक द्वारा १–१–६३ से ३१–७–६९ तक २१० पम्पिंग सेट हेतु किसानों को ८,०८,०७० रु० ऋण दिया गया। इनमें से १०२ पम्पिंग सेट पर छूट दी गयी। १०१ पम्पिंग सेटों पर नियमानुसार अनुदान देय नहीं है, ५ कार्य प्रगति पर हैं तथा २ कार्यों पर अनुदान के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

[९ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आई० टी० आई० विद्यालय

*१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) तथा राम गोपाल सण्ड—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने आई० टी० आई० विद्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ? विद्यालयों के खुलने के समय कितने स्थान विभिन्न ट्रेडों में थे एवं अब कितने हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

उत्तर प्रदेश में इस समय ५० आई० टी० आई० हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन विद्यालयों में खुलने के समय विभिन्न ट्रेडों में ६,९०८ स्थान थे और अब २३,७१२ स्थान हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७० पर)

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन ट्रेड्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत वजीफा दिया जाता है और वह कब तक दे दिया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो सीटें स्कूलों में बढ़ायी गयी हैं और जो भरती हुई हैं तो क्या भर्ती सीटों से कम हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, कम हुई हैं और इसलिये कम हुई हैं चूंकि लड़के आते नहीं हैं और आते इस वजह से नहीं हैं कि दुर्भाग्य से उनको नौकरियां नहीं मिलती है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

फिर यह सीटें हर साल क्यों बढ़ायी गयीं जबकि विद्यार्थी पढ़ने को नहीं आते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद कोई और सीटें नहीं बढ़ायी गयी हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन सदन को देना उचित समझेंगे कि जो विद्यार्थी आई० टी० आई० से डिप्लोमा ले कर बाहर निकलते हैं उनको नौकरी की गारंटी दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नौकरी की गारंटी देना तो बहुत मुश्किल है लेकिन यह निरन्तर सरकार की कोशिश है कि प्राइवेट या सरकारी स्थानों पर या छोटे उद्योगों के जरिये उनको स्थापित किया जाय ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मेरा जो अनुभव है वह यह है कि इन कालेजों में वही विद्यार्थी जाते हैं जो अन्य स्कूलों में भरती नहीं हो पाते और इसमें से कुछ ऐसे निकलते हैं जो रिवाल्वर बनाना ज्यादा पसन्द करते हैं । तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन कालेजों में कोई ऐसे उद्योग खोलेंगे जिससे इनसे निकलने वाले छात्र कुछ अपना समय दे कर उस में रोजी पा सकें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर माननीय सदस्य लिख कर दें तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री शिव कुमार—

मेरे पूछने का यह मतलब है कि क्या कोई ऐसी चीज जैसे मोटर रिपेयरिंग या अन्य कोई उद्योग उसमें चालू करेंगे जिससे उनमें पढ़ने वाले छात्रों को उसी कालेज के आधिपत्य में रोजी मिल सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने तो अभी बतलाया कि अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उस पर विचार किया जायगा । जहां तक मोटर मैकेनिक का प्रश्न है, इस प्रकार की सुविधायें आज भी उपलब्ध हैं कई स्थानों पर ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आई० टी० आई० से निकले हुये ऐसे बेकारों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने सरकारी कर्मचारियों से पूछा था और उन्होंने यह बताया कि जो उन्होंने इस सिलसिले में आंकड़े इकट्ठे कराये हैं उनके हिसाब से १९६४ से ७ फीसदी, १९६६

में ५० फीसदी और १९६७–६८ में ४० फी सदी लोगों को नौकरी मिली है, ऐटरैंडम चेकिंग कराने से ऐसा मालूम हुआ। इसमें २–४ फी सदी कमोबेश भी हो सकता है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैंने यह पूछा था कि बेकारों की संख्या क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, आपका प्रश्न शायद शुरू से ले कर अब तक आई०टी०आई० से निकले कितनों को रोजगार मिला इससे है। यह बहुत विस्तृत प्रश्न है। अगर इसको लिख कर देंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी इन आई०टी०आई० में राजनैतिक कारणों से जो मनोनयन हुआ है उसको रद्द करके आइन्दा के लिये आई० टी० आई० कमेटियां स्थापित करने का विचार रखते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी तो सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है लेकिन अगर माननीय सदस्य ऐसा लिखकर देंगे तो यह एक विचारणीय प्रश्न बन जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऐसे ट्रेनीज की संख्या बहुत ज्यादा है जिन को काम नहीं मिला है, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना चलायेगी जिससे इन लोगों को काम मिल सके या उन्हें कोई ऐसी सहायता मिल सके जिस से वे कहीं उद्योग-धन्धों में खप सकें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जायगा कि क्या ऐसे व्यक्तियों के द्वारा छोटे उद्योग स्थापित कराये जा सकते हैं।

सर्राफा मण्डल, देहरादून, का मांग पत्र

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या देहरादून सर्राफा मंडल की ओर से एक पत्र दिनांक २८ जुलाई, १९६९ को मुख्य मन्त्री जी को बढ़ाये जाने वाले बिक्री-कर के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, सर्राफा मंडल, देहरादून की ओर से मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक २८ जुलाई, १९६९ प्राप्त हुआ था। शासन ने उस पर अन्य इसी प्रकार की मांगों के साथ जो दूसरे मंडलों से प्राप्त हुई थी भलीभांति विचार किया, किन्तु मांगों को स्वीकार किया जाना सम्भव न हो सका। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश सर्राफ एसोसिएशन, बरेली, के महामंत्री को अवगत कराया जा चुका है।

*३—श्री मन्जूर अहमद—

[६ठे गुरुवार के प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४—श्री मन्जूर अहमद—

[७वें गुरुवार के प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद की सदर तहसील में गांव प्रधानों का निलम्बन

*५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को इस बात का पता है कि फर्रुखाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत एक मार्च, सन् १९६९ से ३० जून, १९६९ तक की अवधि में कुछ ग्राम सभाओं के प्रधानों को परगनाधीश द्वारा निलंबित किया गया? उन प्रधानों के विरुद्ध किस-किस अधिकारी ने किन-किन आरोपों की रिपोर्ट की है?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। फर्रुखाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत १ मार्च, सन् १९६९ से ३० जून, १९६९ तक की अवधि में निम्न ३ प्रधानों को परगनाधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया :—

१—श्री शंकर लाल, प्रधान गांव सभा, महोई।

२—श्री बाबू सिंह, प्रधान गांव सभा, कटरी ऊगरपुर तथा

३—श्री पंचम लाल, प्रधान गांव सभा, कन्हऊ याकूबपुर।

इन प्रधानों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

१—श्री शंकर लाल, प्रधान गांव सभा, महोई, के विरुद्ध सरकारी वकील ने यह रिपोर्ट की थी कि प्रधान ने एक दीवानी के मुकदमें में अनाधिकृत रूप से राजीनामा दाखिल कर दिया था, जिससे गांव सभा की क्षति हुई थी। इसी आधार पर प्रधान को दिनांक २३ मार्च, १९६९ को निलम्बित किया गया।

२—श्री बाबू सिंह, प्रधान, गांव सभा, कटरी ऊगरपुर, के विरुद्ध दिनांक २७-१२-१९६८ को ग्राम निवासी तथा पंच आदि ने एक शिकायती पत्र दिया था। उसकी जांच नायब तहसीलदार ने की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधान ने ग्रामवासियों से स्कूल के नाम पर रुपया और गल्ला वसूल किया पर रुपयों की कोई रसीद नहीं दी और गल्ले को बिना किसी मुआवजे के इक्टठा किया। इसके अतिरिक्त स्कूल में पड़ी टीन को राजेपुर ले जा कर दुकानदारों के हाथ बेंच दिया। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रधान को दिनांक ४-५-१९६९ को निलम्बित किया गया।

३—श्री पंचम लाल, प्रधान गांव सभा, कन्हऊ याकूबपुर, के विरुद्ध नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने यह रिपोर्ट दी कि प्रधान ने, ग्रामवासियों को भूमि के पट्टे देकर उनसे लगान की दसगुनी धनराशि प्राप्त की परन्तु उसका उल्लेख जमीन्दारी उन्मूलन फार्म नं० ५८-५९ में नहीं किया। आबादी की भूमि के जो पट्टे किये गये उनमें भी भूमि की मालगुजारी का स्थान खाली रखा। इसके अलावा पट्टे पट्टेदारों को नहीं दिये परन्तु प्राप्ति के हस्ताक्षर प्रधान ने ले लिये। रसीदें क्रमानुसार नहीं काटी गईं और न धन का ही सही रूप में हिसाब ही रखा गया। यह भी आरोप था कि प्रधान ने अधिकांश पट्टे अपने रिस्तेदारों को बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के किये हैं। इन्हीं आधारों पर प्रधान को दिनांक ७-६-१९६९ को निलम्बित किया गया था।

*६—श्री महरम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में कुछ ऐसे भी गांव सभाओं के प्रधान हैं जिन्हें ३१ अगस्त, १९६९ के पूर्व निलंबित किये बिना उनके विरुद्ध न्यायालय में सरकारी ढंग से केस चलाया गया? यदि हां, तो ऐसे किन-किन गांव सभाओं के प्रधान हैं?

श्री शिवराज सिंह—

फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में केवल एक गांव सभा चाचूपुर के प्रधान के विरुद्ध उन्हें बिना निलम्बित किये मुकदमा भारतीय दण्ड विधान की धारा ४०९ के अधीन सन् १९६५ में चलाया गया था।

*७—श्री कृष्णस्वरूप—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८—श्री हिम्मत सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बकाया बिक्री-कर

*९—श्री रामगोपाल संड—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों में बिक्री-कर की कितनी धनराशि बकाया है?

श्री बलवीर सिंह—

३१-३-१९६९ को समाप्त हुए पिछले पांच वित्तीय वर्षों में बकाया बिक्री-कर की धनराशि १८.५४ करोड़ रुपया है।

*१०—श्री राम गोपाल संड—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि गत पांच वित्तीय वर्षों में कितने बिक्री-कर दाताओं के विरुद्ध सेल्स टैक्स ऐक्ट के मातहत कुछ वाद न्यायालयों में भेजे गये? उनमें से कितने लोगों को कारागार का दंड मिला है?

श्री बलवीर सिंह—

गत पांच वित्तीय वर्षों में २३ बिक्री-कर दाताओं के विरुद्ध ३३ वाद उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ के मातहत न्यायालयों में भेजे गये। इनमें से किसी को भी कारावास का दण्ड नहीं मिला।

सरकारी वकीलों में हरिजन

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में माल और फौजदारी के सरकारी वकीलों की कुल संख्या अलग-अलग कितनी है और इसमें हरिजन कितने हैं?

श्री बलवीर सिंह—

१ जनवरी, १९७० को राज्य में माल के सरकारी वकीलों की संख्या २३२ व फौजदारी के सरकारी वकीलों की संख्या ३८८ थी। इनमें से केवल फौजदारी के २ वकील हरिजन थे।

विकास क्षेत्र, धनौरा, के प्रमुख का कार्यकाल

*१२—श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या पंचायतीराज मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास क्षेत्र धनौरा जनपद, मुरादाबाद के प्रमुख के विरुद्ध १३ जुलाई, १९६५ के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् भी अगस्त, १९६९ तक अपने पद पर काम करने का अवसर किन कारणोंवश दिया गया था ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला अधिकारी के कार्यालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में सूचना उपलब्ध न होने के कारण प्रमुख क्षेत्र, विकास समिति, धनौरा, मुरादाबाद जुलाई, १९६९ के अन्त तक प्रमुख के पद पर कार्य करते रहे ।

पंचायत राज विभाग में पदोन्नति के आधार

*१३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज विभाग में पदोन्नति के लिये कोई सुनिश्चित मैनुअल है ? विगत एक दशक से पंचायत निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर पदोन्नति में क्या आधार रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं। कोई सुनिश्चित मैनुअल नहीं है। विगत एक दशक से पंचायत निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर पदोन्नति के निम्नलिखित आधार रहे हैं:—

१—पंचायत मन्त्रियों को उनकी ज्येष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्त को छोड़तेहुए) पदोन्नत किया गया ।

२—ग्राम सेवकों को चयन के आधार पर पदोन्नति दी गई ।

३—पंचायत मंत्रियों तथा ग्राम सेवकों की उक्त पद पर पदोन्नति हेतु ३:१ का अनुपात रखा गया है ।

इसके अतिरिक्त कुछ लिपिकों को ही उनकी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर उक्त पदों पर पदोन्नत किया गया था परन्तु राजाज्ञा संख्या १८२८-ए/३३—४७३/१९६३, दिनांक १३-४-१९६४ के अन्तर्गत उनकी उक्त पदों पर पदोन्नति रोक दी गई है ।

*१४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या उक्त पद पर विभागीय पदोन्नति के लिये वर्ष १९५८ में पंचायत राज विभाग में प्रान्त स्तर पर प्रत्याशियों की कोई सूची साक्षात्कार के द्वारा तैयार की गई थीं ? यदि हां, तो इसमें कितने प्रत्याशी पंचायत निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर नियुक्त किये गये, तथा उनकी नियुक्ति का क्या मापदंड रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां ।

उनकी नियुक्ति का माप दंड :—

(१) साक्षात्कार में प्राप्त अंक,

(२) चरित्र पुस्तिका के अंक, तथा

(३) सम्बन्धित व्यक्ति की योग्यता एवं कार्यक्षमता रहे हैं।

*१५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[माननीय सदस्य के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त ।]

हरदोई शुगर मिल मजदूरों के क्वार्टर्स

*१६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई शूगर मिल के मालिकों द्वारा मजदूरों के रहने के लिए वर्षों से काम आने वाले झोपड़ों तथा क्वार्टर्स को गिरा दिया गया जिसकी शिकायत सहायक आयुक्त को १६ जुलाई, १९६९ के आस-पास मिली ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। केवल एक झोपड़ी ११ जुलाई, १९६९ को एस० डी० एम०, हरदोई, के समक्ष हुए समझौते के फलस्वरूप गिराई गई थी।

*१७–१८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[२रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ११५–११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९–२०—श्री ओमप्रकाश सिंह—

[माननीय सदस्य के मंत्रि-परिषद् में समावेश होने के कारण अपास्त ।]

बी० आई० सी० कूपर ऐलन तथा नार्थ वेस्ट टेनरी ब्रांच, कानपुर, के मजदूरों को नोटिस

*२१—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी० आई० सी० कूपर ऐलन के ६४८ मजदूरों में से २४४ मजदूरों को २८ जुलाई, १९६९ को अलग करने का नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो सरकार उनके रोजगार के लिये क्या जतन कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, २८ जुलाई, १९६९ को डी० आई० सी० के कूपर ऐलन तथा नार्थ वेस्ट टेनरी ब्रांच, कानपुर के सेवायोजको ने एक नोटिस निकाल कर २४४ श्रमिकों की सेवाएं २९ अगस्त, १९६९ से समाप्त कर दी थी। इन श्रमिकों का विवाद अभिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायधिकरण, लखनऊ, को दिनांक १८ दिसम्बर, १९६९ को भेजा जा चुका है।

कानपुर एच० ए० एल० के हड़ताली मजदूरों के केस

*२२—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर एच० ए० एल० के १९६६ के हड़ताल में निकाले गये मजदूरों के केस में कब फैसला कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१९६६ की हड़ताल से निकाले गये २८ मजदूरों के मामले को अभिनिर्णय में भेजे जाने क आदेश हो चुके हैं। इनमें से २७ मजदूरों के मामले अभिनिर्णय में भेजे भी जा चुके हैं। एक मजदूर का मामला अभी अभिनिर्णय में नहीं भेजा गया है क्योंकि उसका उचित पता इत्यादि अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर, द्वारा भत्ता लेने की वैधानिकता

*२३—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, सीतापुर, के ११ जून, १९६९ से १४ सितम्बर, १९६९ तक उपाध्यक्ष, श्री परागीलाल चौधरी, चार्ज लेकर अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और इसी समय के कार्यकाल का भत्ता अध्यक्ष, श्री सुरेश प्रकाश सिंह, ने अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां । श्री सुरेश प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर, ने दिनांक ११ जून, १९६९ से १४ सितम्बर, १९६९ तक का नियत भत्ता प्राप्त किया है । भत्ता प्राप्त करने की वैधानिकता के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है ।

जनरल मैनेजर, रोडवेज, कानपुर, द्वारा रूट परमिट लेना

*२४—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि जनरल मैनेजर, यू० पी० रोडवेज, कानपुर, ने चैप्टर ४ मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत १० रूटों के ऊपर रोडवेज (परमिट) बसेज चलाने के लिये परमिट हासिल किये ? क्या यह भी सही है कि इनमें से सात मार्गों पर कभी कोई रोडवेज बस नहीं चलाई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं ।

गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी, का रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर पर बकाया

*२५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी के गन्ना सहकारी सदस्यों का सीजन १९६८-६९ में कुल कितना रुपया गन्ना का रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर पर बाकी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, हल्द्वानी के गन्ना सहकारी सदस्यों का निर्दिष्ट सीजन के गन्ना मूल्य की ओर रजा बुलन्द शुगर फैक्ट्री पर ३१ जनवरी, १९७० को कुल १.७४ लाख रुपया बाकी था ।

*२६—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह सही है कि सहकारी गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी द्वारा मिल को दिये जाने वाले गन्ने की कीमत प्रदेश के अन्य सेंटरों से दी जाने वाली कीमत से बहुत कम है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी द्वारा मिलों को दिये गये गन्ने की कीमतें तथा आस-पास की अन्य समितियों द्वारा उन मिलों को दिये गये गन्ने की कीमतें लगभग अनुरूप थी ।

औद्योगिक ऋण की वसूली

*२७—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६८–६९ में कितने औद्योगिक ऋण की वसूली की गई ? जिनसे वसूली नहीं हो सकी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६८–६९ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल १,७९,०४,४८७ रुपये औद्योगिक ऋण तथा ब्याज की वसूली की गई। जिन मामलों में ऋण की वसूली सामान्य रूप से न हो सकी, उनमें ऋणियों के विरुद्ध ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गई।

प्रतापगढ़ जिले की रोडवेज बसें बदलने की प्रार्थना

*२८—श्री जयराम यादव—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० रोडवेज, प्रतापगढ़ जिले की ७० प्रतिशत बसें खराब होने के कारण रास्ते में बिगड़ जाती हैं जिससे स्थानीय जनता को यातायात में बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिलों को नई बसें देने की योजना पर विचार कर रही है ।

श्री धर्मसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर में रिसीवर की नियुक्ति

*२९—श्री महीलाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि ५ जून, १९६९ को श्री प्रकाश चन्द्र झुन झुन वाला को रजा बुलन्द शुगर फक्टरी, रामपुर का कुछ शर्तों के साथ रिसीवर नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो वह शर्तें क्या-क्या थीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कलेक्टर, रामपुर ने दिनांक १० जून, १९६९ को श्री प्रकाश चन्द्र झुन झुन वाला को रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर का कुछ शर्तों के साथ रिसीवर नियुक्त किया था । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख है संलग्न क हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७१–८७२ पर)

*३०—श्री महीलाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रिसीवर, रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर ने ५ जून, १९६९ के पश्चात् कुल कितनी बोरी चीनी बेची है और शासन से तय शर्तों के अनुसार कितना-कितना रुपया गन्ने की कीमत और परचेज टैक्स का अदा दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपर्युक्त रिसीवर ने वर्ष १९६८–६९ के चीनी उत्पादन में से १,५७,१६२ बोरी चीनी २८ फरवरी, १९७० तक बेचा है तथा शर्तों के अनुसार रु० १४,२९,३०१–३१ पै० का भुगतान किया है । क्रय-कर की ओर कोई भुगतान नहीं हुआ है ।

रोडवेज बसों में बैठने की श्रेणियां

*३१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय परिवहन विभाग में ऐसी यात्री बसें कितनी हैं जोकि केवल लोअर क्लास के लिये ही एपरूव्ड हैं परन्तु उनमें अपर क्लास भी कायम है तथा क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

अगस्त १९६९ में शासन ने यह आदेश जारी किये कि राजकीय रोडवेज की नई बसों में तथा उन पुरानी बसों में जब उनकी बाडी फिर से बने, बैठने की केवल एक ही श्रेणी रहेगी, यानी आवश्यकतानुसार बसों में कुल प्रथम अथवा कुल द्वितीय श्रेणी होगी। जिन पुरानी बसों में अभी लोअर और अपर दोनों क्लास हैं उनमें अपर क्लास वालों से अपर का किराया लिया जाता है तथा लोअर क्लास वालों से लोअर का किराया लिया जाता है। परन्तु परिवहन आयुक्त ने प्रधान प्रबन्धकों को यह अधिकार दिए हुए हैं कि यदि किन्हीं सेवाओं में प्रथम श्रेणी के कम यात्री सफर करते हैं और इसके कारण आय में घाटा होता है तो ऐसी सेवाओं में बिना इस बात का इन्तजार किये कि सीटों के स्थान में हेरफेर हो, प्रथम श्रेणी समाप्त कर दें और सीटों पर यात्रा करने वालों से लोअर क्लास का किराया चार्ज कर लें।

गोंडा तथा बलरामपुर जिले में बसें

*३२—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, गोंडा में राजकीय परिवहन विभाग, गोंडा तथा बलरामपुर डिपो में कुल कितनी बसें चालू हालत में हैं तथा क्रमशः वे बसें कब-कब प्रत्येक डिपों की दी गई हैं ?

श्री धर्मसिंह—

जनपद, गोंडा में राजकीय परिवहन विभाग, गोंडा, में ३३ बसें तथा बलरामपुर डिपो में ३२ बसें चालू हालत में हैं। इन बसों को डिपों में देने की तिथि संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७३—८७४ पर)

कुरावली बस स्टेशन न बन सकना

*३३—श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली में बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने हेतु गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हुए एक साल से अधिक हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक बस स्टेशन न बनने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के अधीन जिला अधिकारी, मैनपुरी ने प्रकाशित कर दिया था। तत्पश्चात् काश्तकारों ने लैंड एक्वीजीशन अधिकारी मैनपुरी के न्यायालय में आपत्तियां दायर कर दीं। जिला अधिकारी, मैनपुरी, ने २७ अक्तूबर, १९६९ को निरीक्षण के पश्चात् यह सुझाव दिया कि इस भूमि को अध्यप्त करना उचित न होगा और दूसरी भूमि तलाश की जाय। ऐसी दशा में जब भूमि भी सुनिश्चित नहीं है, बस स्टेशन बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमरोहा चिनी मिल पर किसानों का बकाया

*३४—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) तथा श्री महेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद, पर काश्तकारों का कुल कितना गन्ने का मूल्य दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ तक बकाया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कुन्दन शुगर मिल्स 'अमरोहा', जिला मुरादाबाद, पर काश्तकारों का गन्ने के मूल्य के रूप में ३० सितम्बर, १९६९ तक कुल रु० १८.९५ लाख बाकी था, जिसमें रु० ७० हजार अतिरिक्त गन्ना मूल्य भी सम्मिलित है ।

*३५—श्री नौनिहाल सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगी कि सरकार उक्त मिल से काश्तकारों का बकाया गन्ने का मूल्य दिलाने की कुछ व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त मिल के विरुद्ध जारी किये गये वसूली प्रमाणपत्र के फलस्वरूप जिलाधिकारी, मुरादाबाद, में मिल की पूर्ण संपत्ति को कुर्क कर लिया । बकाया के भुगतान को उचित व्यवस्था एवं संतोषप्रद ढंग से मिल को चलाने के लिये एक रिसीवर (Receiver) की नियुक्ति भी कर दी गई है ।

हरगांव रोडवेज बस स्टेशन पर बुकिंग

*३६—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीतापुर जिले में सीतापुर–लखीमपुर रोड पर स्थित हरगांव रोडवेज बस स्टेशन समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस स्टेशन के समाप्त करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—

यह सत्य नहीं है कि हरगांव बस स्टेशन पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है, केवल हरगांव बस स्टेशन से बुकिंग क्लर्क को हटाया गया है क्योंकि बस सेवा से दैनिक आय की कमी की वजह से बुकिंग क्लर्क रखना वहां पर आवश्यक नहीं समझा गया । बुकिंग अब कण्डक्टर द्वारा वहां पर की जाती है ।

टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तर काशी जिलों का टेक्नोइकोनामिक सर्वे

*३७—श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी का टेक्नोइकोनामिक सर्वेक्षण कराने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सर्वेक्षण कराया जा चुका है ।

*३८—श्री महेन्द्रसिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

विलासपुर से मिलकखानम तक राजकीय बस चलाने की योजना तथा लखनऊ-हरदोई बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*३९—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की योजना रामपुर जिले में विलासपुर से मिलकखानम तक राजकीय बस चलाने की है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं।

*४०—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सरकार लखनऊ से हरदोई के बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रस्तावित योजना के विरुद्ध आपत्तियों की सुनवाई हियरिंग अथारिटी के सम्मुख होना शेष है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जा सकेगा।

राजकीय रोडवेज क्षेत्र, कानपुर, में परिगणित जातीय कर्मचारियों की नियुक्ति

*४१—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या परिवहन मंत्री २४ जुलाई, १९६९ के प्रश्न संख्या १४-१५ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने का कष्ट करेंगे कि बिना प्रार्थना-पत्र मांगे बुकिंग क्लर्क और कण्डक्टर की नियुक्तियां किस अधिकारी ने और कैसे कीं ?

श्री धर्मसिंह—

नियुक्तियां पुरानी प्रतीक्षा सूची, पहले कार्य किये हुए कर्मचारियों, जिनको कि पदों के कम हो जाने से अथवा काम की खराबी के कारण सेवा से अलग कर दिया गया था तथा अपील में बहाल किये गये, में से की गई। अतः प्रार्थना-पत्र मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में पर्यटक गृह निर्माण मखोड़ा स्थापित करने का सुझाव

*४२—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत मखक्षेत्र (मखोड़ा) जो एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर देश के कोने-कोने से प्रायः अतिथि आते रहते हैं कोई पर्यटक गृह निर्माण कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य सम्पन्न होगा ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं।

देवरिया जिले में चीनी मिलों पर बकाया

*४३—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन किन चीनी मिलों पर किसानों के कितना-कितना गन्ने की कीमत बाकी है तथा उस कीमत को किसानों को दिलाने की कौन सी व्यवस्था की जा रही है तथा क्या किसानों को अपने रुपयों का सूद भी मिलेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर ३१ जनवरी, १९७० तक गन्ने के मूल्य के बकाए का ब्योरा संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। सभी पुराने अधिक बकायादार तीन मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। नये बकायों की वसूली के लिये अन्य मिलों से भी जिलाधीश द्वारा अपरिवर्तनीय साख पत्र की मांग की गई है जिससे समय से गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सके। सरकार द्वारा २ मार्च, १९७० को संबंधित जिलाधिकारी को रामकोला खेतान, कटनी, खड्डा, बैतालपुर एवं देवरिया चीनी मिलों को सरकारी अधिकार में लेने तथा उनमें रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिये गये हैं। बकाया गन्ना मूल्य पर गन्ना समितियां चीनी मिलों से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(३) के अन्तर्गत ७ १/२ प्रतिशत (साढ़े सात प्रतिशत) प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लेती है तथा उसको कृषक के इच्छानुसार अपने कार्यक्षेत्र में उनके हित में विकास कार्यों पर खर्च करती है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८७५–८७६ पर)

भारत सरकार से उद्योगों को लाइसेन्स

*४४—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, १९६९ से दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ तक भारत सरकार से कौन-कौन से उद्योगों को महत्वपूर्ण उद्योगीकरण संबंधी लाइसेंस प्रदेश के लिये प्राप्त किये गये हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८७७ पर)

श्री सत्यपाल गुप्ता, बी० डी० ओ०, परीक्षितगढ़, को दण्ड

*४५—श्री मंजूर अहमद तथा श्री रामधारी शास्त्री—

क्या कृषि एवं सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड, परीक्षितगढ़, के भूतपूर्व बी० डी० ओ० और कुछ अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध रुपया गबन करने और सबसिडी के धन को हड़प कर जाने के विरुद्ध श्री महेन्द्र सिंह व अन्य काश्तकारों ने शिकायती-पत्र मंत्री व अधिकारियों को १९६७ में दिये थे जिस पर ए० डी० एम० (पी०) और ए० डी० एम०, मेरठ ने जांच की? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री शिवराज सिंह—

सन् १९६७ में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य काश्तकारों द्वारा दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी को संबोधित एक शिकायती-पत्र श्री रामपाल सिंह त्यागी का सन् १९६७ में प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने सत्यपाल गुप्ता, भूतपूर्व बी०डी०ओ०, के विरुद्ध सबसिडी के धन के हड़प कर जाने के बारे में शिकायत की थी। उस पर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) से जांच करवाई गई तथा श्री गुप्ता को उनके मूल पद (सहायक विकास अधिकारी) पर प्रत्यावर्तित किया गया और उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोकते हुए उनकी चरित्र-पंजी में उनकी भर्त्सना की गई।

बांदा जिले में प्रगति सहायकों का बकाया वेतन

*४६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में विकास खण्डों में काम करने वाले ऐसे कितने प्रगति सहायक हैं जिनका कि पिछले कई मास का वेतन बकाया है तथा उनका वेतन कब दे दिया जायगा ?

श्री शिवराज सिंह—

बांदा जिले में दो प्रगति सहायकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका था। इन दोनों प्रगति सहायकों को वेतन भुगतान के आदेश ९ दिसम्बर, १९६९ को प्रसारित कर दिये गये हैं।

नलकूपों तथा पम्पिग सेटों पर सब्सिडी न मिलना

*४७—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों को नलकूप तथा पंपिंग सेट हेतु दी जाने वाली सब्सिडी अब क्यों बन्द कर दी गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

अनेक दृष्टिकोणों, विशेषकर निजी लघु सिंचाई कार्यों की लोकप्रियता के उद्देश्य की पूर्ति, लघु सिंचाई कार्यों से सद्यः लाभ प्राप्ति, कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से लाभ और योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए शासन ने निर्णय लिया था कि कृषकों को नलकूप तथा पंपिंग सेटों पर सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांव सभाओं द्वारा निर्मित नलकूपों पर, जो सामूहिक उपयोग में आते हैं, सब्सिडी बन्द नहीं की गई और २५ प्रतिशत सब्सिडी अभी चालू है। पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली और डीजल दोनों से चलाये जाने वाले पंपिंग सेटों पर भी २५ प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

मुरादाबाद जिले में बिना भवनों के विकास खण्ड

*४८—श्री रियासत हुसैन—

क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में किस-किस ब्लाक के भवन अभी तक नहीं बने हैं और उनके न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला मुरादाबाद में निम्नांकित विकास खंडों में भवनों का निर्माण नहीं हुआ है :

१—छजलेट,

२—धनौरा,

३—भगतपुर टांडा,

४—गंगेशरी।

विकास खंड, छजलेट एवं धनौरा इस समय द्वितीय प्रक्रम में प्रविष्ट कर चुके हैं। प्रथम प्रक्रम काल में, देश में संकटकालीन परिस्थिति एवं सामुदायिक विकास योजना की प्लान सीमा में कटौती होने के कारण भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका। द्वितीय प्रक्रम में भवन निर्माण हेतु धन नहीं उपलब्ध होता है। इस अवधि में भवन निर्माण कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार में पत्र-व्यवहार चल रहा है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर भवन निर्माण की दिशा में आगे कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

विकास खण्ड, भगतपुर टांडा में भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन, क्षेत्र समिति के सदस्यों में मतभेद के कारण नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश, मुरादाबाद ने भवन निर्माण हेतु ग्राम भोजपुर में विकास खंड का मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा है। यह विकास खण्ड दिनांक १ अक्तूबर, १९६८ से द्वितीय प्रक्रम में प्रविष्ट कर चुका है। अतः यहां पर भी भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भवन निर्माण हेतु कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

विकास खंड गंगेशरी का मुख्यालय ग्राम रेहरा में स्थापित करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

*४९—श्री रियासत हुसैन—

क्या विकास मंत्री को यह मालूम है कि ब्लाक भगतपुर के भवन निर्माण के लिये स्थान चकबन्दी द्वारा छोड़ा जा चुका है फिर भी उनके निर्माण में क्या बाधा आ रही है?

श्री शिवराज सिंह—

चकबन्दी समिति, ग्राम भोजपुर, में ब्लाक भवन के लिए भूमि देने को तैयार हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र चकबन्दी अधिकारियों को दे दिया है किन्तु अभी चकबन्दी हो रही है, चक नहीं कट पाये हैं इस कारण अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिये प्रयास जारी है।

बी० डी० ओ०, डेरापुर ब्लाक, द्वारा तकाबी का गबन

*५०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर जिले के डेरापुर ब्लाक में किसानों को दिये जाने वाली तकाबी की धनराशि का बी० डी० ओ० द्वारा गबन किया गया था जिसकी जांच इस समय एस० आई० एस०, पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसी जांच के दरम्यान उन निर्दोष किसानों से गबन किये गये रुपये की सख्ती से वसूली की जा रही है? क्या सरकार जांच रिपोर्ट आने तक उक्त वसूली को स्थगित रखेगी?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। जांच रिपोर्ट आने तक उक्त वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

रायबरेली जिले में पंपिंग सेटों के अनुदान की जांच

*५१—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खंड, जगतपुर तथा खीरों में वर्ष १९६६–६७ में सरकार के राजाज्ञा के अनुसार ५ हार्सपावर के पम्पिंग सेटों पर ५० प्रतिशत तथा ५ से अधिक और १० तक साढ़े ३७ प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी दी गई है।

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं।

*५२—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६६–६७ में सरकार का कोई ऐसा आदेश था कि ५ हार्स-पावर तथा ५ से १० हार्स-पावर के पम्पिंग सेटों पर ५० प्रतिशत तथा साढ़े ३७ प्रतिशत के नियमों के बजाय १,५०० रुपये सामान्य रूप से सब्सिडी के रूप में दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्या सरकार जगतपुर व खीरी ब्लाक के सब्सिडी दिये गये ऐसे मामलों की जांच करा कर उन्हें ५० प्रतिशत की सब्सिडी दिलाने की कृपा करेगी?

श्री शिवराजसिंह—

जी नहीं, ऐसे कोई आदेश नहीं थे। शासकीय आदेशानुसार अनुदान न देने के संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में अल्प सिंचाई अनुदान

*५३—श्री राजितराम पांडेय—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ब्लाक प्रतापपुर व सैदाबाद व हंडिया में चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि अल्प सिंचाई हेतु सरकार ने दिया है ?

श्री शिवराज सिंह—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में जनवरी, १९७० तक निम्नलिखित धनराशि सरकार द्वारा अल्प सिंचाई पर अनुदान हेतु दी गई :—

विकास क्षेत्र का नाम	आवंटन की गई धनराशि
(१) प्रतापपुर	३,००० रु०
(२) हंडिया	८०० रु०
(३) सैदाबाद	१,००० रु०

देवरिया जिले में ग्रामीण जन-शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*५४—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य हेतु जिला परिषद्, देवरिया को वर्ष १९६५ से वर्ष १९६९ तक कितना रुपया दिया गया तथा उससे कौन-कौन सड़कें तथा तालाब बने ?

श्री शिवराजसिंह—

जिला परिषद्, देवरिया को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४–६५ से १९६८–६९ तक निर्माण कार्य हेतु ३४.७४ लाख रुपया दिया गया।

उक्त धन द्वारा निर्मित हो रही २५ सड़कों व ६५ तालाबों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' व 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८७८–८८० पर)

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*५५—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला में ब्लाक बिलरियागंज में १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में कितने निजी नलकूप बनाये? उसमें से कितने को लाइन दी गई और अभी कितने बाकी हैं तथा जो बाकी हैं उनको आज तक क्यों नहीं लाइन दी गई?

श्री शिवराजसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। अब केवल १२ नलकूपों को बिजली मिलना शेष है जिसके विशेष कारण धनाभाव और बिजली के तारों की कमी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८८१ पर)

बी० डी० ओ० पयागपुर का निलम्बन

*५६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी विकास खंड, पयागपुर, जिला बहराइच को किन आरोपों के आधार पर सितम्बर, १९६७ में निलंबित किया गया था ?

श्री शिवराज सिंह—

आरोपों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८८२ पर)

*५७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या विकास मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त आरोपों की जांच भी कराई गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले से सम्बन्धित शिकायती-पत्र गवाहान के बयानात व जांच अधिकारी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रक्खेगी ?

श्री शिवराजसिंह—

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*५८—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

प्रतापगढ़ जिले में विकास खण्ड अधिकारी

*५९—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में कितने कहां के और कौन-कौन खंड विकास अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं तथा उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवराजसिंह—

प्रतापगढ़ जनपद के १२ विकास क्षेत्रों में कोई भी क्षेत्र विकास अधिकारी ५ वर्षों से अधिक अवधि से नहीं है।

बहादुरपुर ब्लाक का मास्टर प्लान

*६०—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को पता है कि ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत बहादुरपुर ब्लाक, जिला इलाहाबाद का एक मास्टर प्लान १९६७ के संविद शासन काल में तैयार हुआ ? यदि हां, तो इस योजना में कितने धन का व्यय होगा और क्या सरकार इस प्लान को इस वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष में लागू करेगी ?

श्री शिवराजसिंह—

इलाहाबाद जिले के बहादुरपुर ब्लाक का मास्टर प्लान वर्ष १९६७ में अवार्ड (असोशियेशन आफ वालेन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट) ने बनाया था। इस प्लान में ५०,०१,८७५ रुपये के कार्य ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत बहादुरपुर ब्लाक में प्रस्तावित थे। धनाभाव के कारण इस प्लान को इस वर्ष या अगले द्वितीय वर्ष में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*६१—श्री हरिवंश सहाय—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

विकास खण्ड, मुरादनगर में नलकूपों के लिए सब्सिडी

*६२—श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादनगर ब्लाक, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में सन् १९६८-६९ में कितने लोगों को निजी नलकूप तथा पम्पिंग सेट हेतु सब्सिडी स्वीकृत की गई? यह स्वीकृत सब्सिडी किसानों को कब दी गई?

श्री शिवराजसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलिया जिले में रतसंड़-आसन मार्ग

*६३—श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला बलिया में रतसंड़-आसन मार्ग के निर्माण का ठेका टेंडर पाकिस्तान की लड़ाई से पूर्व हो चुका था परन्तु बाद में रोक दिया गया? यदि हां, तो निर्माण पुनः कब होगा?

श्री शिवराजसिंह—

जिला परिषद्, बलिया के रतसंड़-आसन मार्ग पर कोई काम स्वीकृत नहीं है। अतएव उसका ठेका दिये जाने एवं कार्य पूरा कराने के प्रश्न नहीं उठते हैं।

मड़ियाहूं-मछलीशहर सड़क का निर्माण

*६४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत मड़ियाहूं-मछली शहर सड़क को पक्का करने हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा अभी तक कितना धन व्यय हुआ और कितनी मील सड़क पक्की हुई।

श्री शिवराजसिंह—

जौनपुर जनपद की मड़ियाहूं-मछलीशहर सड़क को बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः २,२३,५०० रु० तथा १,११,७५० रु० वर्ष १९६० में स्वीकृत किया गया। अभी तक ७७,०३६ रुपया ११ पुलियों के निर्माण तथा मील के पत्थर लगाने में व्यय हुआ है और सड़क का कोई भाग पक्का नहीं हुआ।

*६५—श्री जगन्नाथराव—

क्या सरकार उपरोक्त मड़ियाहूं-मछलीशहर की सड़क को पक्का कराने में शीघ्रता करेगी?

श्री शिवराजसिंह—

इस सड़क के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने १६.५० लाख रुपये का पुनरीक्षित अनुमान लगाया जिस में दो बड़े पुल भी बनाने पड़ते। इस बड़े कार्य के लिये धन उपलब्ध न होने के कारण इस सड़क को पक्का कराने का कोई विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री चन्द्रपाल आजाद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

रोडवेज बरेली की गाड़ियां

२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन के किस-किस रोडवेज डिपो पर १ अप्रैल, १९६७, १ अप्रैल, १९६८ और १ अप्रैल, १९६९ को किस-किस मार्ग के लिये कितनी रोडवेज सवारी गाड़ियां मंजूर थीं? उनमें से कितनी चलाई गईं और कितनी बेकार करार दे दी गयीं, किस-किस मेक और माडल की यह गाड़ियां थीं? इन्हीं में से कितनी दिनांक १ सितम्बर, १९६९ तक रिप्लेस की गयीं?

श्री धर्म सिंह—

राजकीय रोडवेज में सवारी गाड़ियों की संख्या हर मार्ग के लिये मेक व रजिस्ट्रेशन नम्बर के हिसाब से निर्धारित नहीं की जाती हैं। रीजनल बस बेड़े से डिपो की आवश्यकतानुसार डिपो अधिकारी को गाड़ियां दे दी जाती हैं। डिपो अधिकारी डिपो की गाड़ियों के बेड़े में से विभिन्न समय में विविध मार्गों पर कुल उपलब्ध बसों में से आवश्यकतानुसार बसें संचालित करते हैं। १ अप्रैल, १९६७, १ अप्रैल, १९६८ और १ अप्रैल, १९६९ में बरेली रीजन में हर मार्ग पर कितनी गाड़ियां डिपो अधिकारी द्वारा विभिन्न मार्गों पर विविध समय में एलाट की गईं और उनमें से कितनी गाड़ियां चलाई (संचालित की) गयीं का विस्तृत † ब्यौरा संलग्न है। बरेली रीजन में १ सितम्बर, ६९ को १२६ (९८ लेलैंड तथा २८ मर्सडीज) पुरानी गाड़ियां बेकार करार दी गईं उनके स्थान पर बरेली रीजन को उनकी आवश्यकतानुसार संचालन हेतु ६४ (५२ लेलैंड तथा १२ मर्सडीज) बसें दी (रिप्लेस) गईं।

कानपुर में उद्योग विभाग के अधिकारियों पर जलकर बकाया

३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग, कानपुर में आफिसरों के लिये कुल कितने विभागीय मकान हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उद्योग विभाग, कानपुर के अधिकारियों के लिये कुल सात विभागीय बंगले हैं जिसमें कुल १७ अधिकारी रहते हैं।

४—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार द्वारा उक्त मकानों का बिजली, पानी के चार्ज का भुगतान आफिसरों से लिया जाता है? यदि हां, तो पिछले ५ सालों में किस-किस आफिसर के ऊपर कितना-कितना बकाया है? जिन आफिसरों के ऊपर उक्त धन बकाया है उनके वसूलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त मकानों का बिजली, पानी के चार्ज का भुगतान अधिकारियों से ही लिया जाता है। बिजली का मीटर अधिकारियों के नाम है और वह सीधे अपने बिलों का भुगतान करते हैं।

---

† छापा नहीं गया।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जहां तक पानी के बिल के भुगतान का प्रश्न है लक्ष्मन बाग के सभी बंगलों के लिये एक मीटर लगा है जिसका बिल उद्योग निदेशक के नाम आता है। उक्त मीटर के सब मीटर उपर्युक्त सात बंगलों के प्रत्येक हिस्से में लगा दिये गये हैं और उनकी 'रीडिंग' के आधार पर पानी के व्यय का भुगतान अधिकारियों से वसूल किया जाता है। पिछले ५ सालों में जिन-जिन अधिकारियों के ऊपर पानी का बकाया भुगतान है उसकी तालिका संलग्न है। जिन अधिकारियों के ऊपर उक्त धन बकाया है, उसकी वसूली के लिये संबंधित अधिकारियों को बराबर स्मरण कराया जाता रहा है। अब उन्हें अन्तिम नोटिस भी दे दिया गया है कि बकाया धनराशि उनके अगले वेतन से काट ली जायगी। कुछ भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध अब दीवानी का मुकदमा भी दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८८३ पर)

रोडवेज क्षेत्र बरेली की गाड़ियां

५—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन के किस-किस रोडवेज डिपो पर १ अप्रैल, १९६७, १ अप्रैल, १९६८ तथा १ अप्रैल, १९६९ को किस-किस मार्ग के लिये कितनी रोडवेज सवारी गाड़ियां मंजूर थीं उनमें से कितनी चलीं और कितनी इस समय वर्कशाप में हैं और कितनी बेकार करार दे दी गई हैं ?

श्री धर्मसिंह—

विस्तृत सूचना माननीय सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में दी गई है। जहां तक गाड़ियों के वर्कशाप में होने का प्रश्न है उनकी ७ फरवरी, १९७० को कुल संख्या ७० थी जिनमें से ५२ क्षेत्रीय वर्कशाप तथा १८ केंद्रीय कर्मशाला, कानपुर में मरम्मत हेतु खड़ी हैं।

लखनऊ-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर प्राइवेट बस सर्विस की मंजूरी

६—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५० के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या ७६३-टी/३०—७०८-टी-९-१९५०, दिनांक १२ फरवरी, १९५१ के अन्तर्गत बने नियम के तीसरी शेडयूल में यह प्राविधान था कि लखनऊ-उन्नाव-कानपुर पूरे मार्ग पर ४ स्टेट केरेज सर्विसेज चलाने की अनुमति दूसरों को दी जायेगी और १८ सर्विसेज विभाग स्वयं संचालित करेगा ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र दिनांक ३० अक्तूबर, १९६९ तक दूसरों के प्राप्त हुए और कितने मंजूर किये गये ?

श्री धर्मसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा समितियों का रजिस्ट्रेशन

७—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७-६८ और १९६८-६९ में कितनी सोसाइटियां रजिस्ट्रेशन के लिये डी० बी० आई० ओ०, मुरादाबाद के दफ्तर से भेजी गईं और उनमें से कितनी रजिस्टर हुयीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वर्ष १९६७–६८ में जिला मुरादाबाद से संबंधित समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिये जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बरेली के माध्यम से दो आवेदन-पत्र भेजे गये थे जिनमें से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। वर्ष १९६८–६९ में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, मुरादाबाद के माध्यम से समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं भेजा गया था।

मुरादाबाद जिले में उद्योग ऋण

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि साल १९६७–६८ और १९६८–६९ में जिला मुरादाबाद में किन-किन लोगों या फर्मों को ५ हजार से अधिक रुपया किस-किस उद्योग के लिये लोन दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ ८८४–८८६ पर।)

विकास खंण्ड झींझक का भवन

९—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड झींझक में विकास खण्ड भवन नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और वहां विकास खण्ड भवन कब तक बन जायगा ?

श्री शिवराजसिंह—

कानपुर जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड झींझक में विकास खण्ड भवन का निर्माण हो रहा है अब तक ६० प्रतिशत प्रगति हो चुकी है। आशा है भवन ३० मई, १९७० तक पूर्ण हो जावेंगे।

दर्शक दीर्घाओं के प्रवेश-पत्रों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान सदन की इस व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं कि सदन में दर्शक व अन्य दीर्घाओं के कुछ नियम हैं और उनके अनुसार साधारणतः माननीय सदस्यों के लिखने पर जनता को पास दिये जाते हैं और आपकी आज्ञा से लोगों को अधिकार है लेकिन हम देख रहे हैं कि अब की बार आप न मालूम कौन सी नई व्यवस्था चलाने जा रहे हैं क्योंकि पहले तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दिन यह गैलरीज खाली रहीं तथा जिस दिन अनियमित मत-पेटी द्वारा यहां मतदान कराने की बात हुई उस दिन भी गैलरीज खाली रखी गईं और आज फिर मालूम हो रहा है जैसे आज भी कोई विशेष चीज होने जा रही है। तो श्रीमन, कृपा कर हमें अवगत करा दें कि कौन सी तिथियों को आप पास इशू नहीं कराते और कब कराते हैं। आप कृपा कर के गैलरीज के पासों की इस नई व्यवस्था पर प्रकाश डाल दें कि किन-किन तिथियों को आप कैंसिल कर दिया करेंगे और कब आप पास इशू करायेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा और वह यह कि इस तरह से जनता को गैलरीज में आने से जो रोक दिया जाता है इससे व्यर्थ का एक आतंक सा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

उत्पन्न हो जाता है कि किसी को जबरदस्ती फेंकना है या क्या बात है, इस तरह का ख्याल होता है जैसे यहां कोई युद्धभूमि बनेगी। मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह गैलरीज के पासेज की व्यवस्था बहुत ही असाधारण स्थिति में समाप्त की जानी चाहिये अन्यथा जनता को जरूर दर्शक दीर्घाओं में आने देना चाहिये।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं भी बहुत थोड़े में केवल दो विशेष बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता था। पहली बात तो यही है जिसको अभी राय साहब ने उठाया। ऐसा लगता है कि जिस दिन लोगों को मालूम होता है कि आज गेलरीज के पास नहीं दिये जायेंगे उस दिन एक आतंक का वातावरण यहां उत्पन्न हो जाता है और लोग समझते हैं कि आज जरूर कुछ गड़बड़ है और मैं समझता हूं कि कुछ गड़बड़ है इस तरह का एक प्रागदर्शन में ही प्राइमाफेसी केस बनता है। लेकिन बजाय इसके कि जनता को रोका जाय और अगर कोई ऐसी बात हो तो अगर जनता वहां रहेगी तो हमें भी कुछ लज्जा रहेगी कि जनता के सामने हम कोई ऐसी चीज न करें जिससे बदनामी होती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से पासेज का रोकना गलत है।

एक और बात है, आप दोनों बातों पर अपनी व्यवस्था दे दें। दूसरी बात यह है कि एक आपत्ति-पत्र मैंने आपके पास भेजा है उसमें यह है कि गत ५ मार्च को जब सदन उठ रहा था...

श्री अध्यक्ष—

उसको अभी न लीजिए, वह तो आयेगा, जो आपने लिखित दिया है उसका उत्तर मैं दूंगा। इसमें उसको न मिलाइए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

केवल एक मिनट में मुझे कहने का अवसर दे दें....

श्री अध्यक्ष—

वह उसी वक्त होगा। वह तो मैं उसका उत्तर दूंगा आपको।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

आप श्रीमन्, इस पर व्यवस्था दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय मुझे भी दे दें, मैं एक वैधानिक आपत्ति करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन....

(श्री अवधेश कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सूचना नियम ५१ की आपको २ मार्च को दी थी जिसमें एक मैजिस्ट्रेट ने २ फैसले.....

श्री अध्यक्ष—

वह शाम को लिया जायगा, अभी आप बैठें।

श्री अवधेश कुमार—

आपने ५ तारीख निश्चित की थी लेकिन उस दिन भी आपने नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—

वह अब ११ तारीख को कर दिया है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपके आदेशों से गैलरी के पासेज का रोका जाना उचित नहीं मालूम होता है इसलिये कि इस सदन की यह परंपरा रही है कि जब कभी कोई डिस्कशन इस प्रकार का रहा हो तो पास इशू किये जाते हैं। गंभीर स्थिति की बात तो अलग है। जब से सदन चला है इसमें आम तौर से यह बात बन गई है कि पासेज इशू हो गये और बाद में कैंसिल हो गये जिससे समस्त प्रदेश में यह हालत पैदा हो गई है कि न मालूम जनता के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में क्या कर रहे हैं। जनता कहती है कि उनको उनके प्रतिनिधियों की बात सुनने का मौका नहीं मिलता है। हम जो भी कुछ करें, अच्छा या बुरा, हमारे जो असली वोटर है, जनता है वह गैलरी में बैठ कर हमारे आचरणों को देखने का हक रखती है। मैं चाहता हूं कि हम अगर यहां पर डेमोक्रैटिक ट्रेडिशन्स से काम नहीं करेंगे तो उन्हें देखने का मौका दिया जाय ताकि उनका हमारे ऊपर अंकुश रहे। अगर हमने यहां पर आकर कोई गलत काम किया है तो वे हमको रोकेंगे और टीका टिप्पणी करेंगे कि हमने आपको यहां पर इसलिये नहीं भेजा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप गैलरीज के जो पासेज बन्द किये जाते हैं उन्हें बन्द न कराया जाय और सारे प्रदेश को आप मौका दें कि वे हमें आंक सकें कि हम लोगों में से कौन-कौन सही और कौन-कौन गलत काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस संबंध में नियम ३०५ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है कि अजनबियों के प्रवेश का प्रबन्ध अध्यक्ष के आदेश से विनियमित किया जायेगा। उन्हें यहां किसी दिन पास न दिया जाय यह सुरक्षा के हिसाब से होता है। जब कोई आशंका होती है तभी यह करना पड़ता है। ४ और ५ मार्च को ऐसी घटनायें हुई हैं जिनसे मैं यह समझा कि उत्तेजनात्मक वातावरण न पैदा हो जाय। अजनबी जो होते हैं वे नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो कभी-कभी अनुशासन उनके द्वारा भी भंग हो सकती है। इसलिये इसको आपके हित के लिये ही सोचा है। यों तो अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर कोई आक्षेप नहीं होता है लेकिन अगर किसी बात में अलग से चर्चा करनी है तो नेतागण मेरे कमरे में बैठकर मुझ से बात कर लें लेकिन जब तक आपने मुझे अधिकार दिया है मैंने उसके अनुसार ही निर्णय लिया है।

चौधरी गिरधारीलाल (जिला बिजनौर)—

श्रीमन, मैं इस बात का तो एहसानमन्द हूं कि आपने हमारे हित का ध्यान रखा है। आप कुछ फैसला लें यह आपके अधिकार की बात है, लेकिन यहां पर इस प्रकार आतंक नहीं था जिसके कारणहम अपने उस अधिकार से वंचित किये जाते। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमारे और सहयोगी हैं, साथी हैं उनको भी इस बात का अधिकार था कि वे यहां पर पूरी तौर पर अपने विचार देते। मेरे खयाल से उनके विचार भी आप सुन लेते तो ज्यादा अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी राय है, मैंने अपनी राय दे दी। अब आगे का कार्यक्रम चलेगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, अब मेरी एक बात सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये मुझे भी सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, पिछली ५ तारीख को इस सदन में लेखानुदान प्रस्तुत किया गया। उस सिलसिले में मैं सिर्फ यह चाहता था—जब मुझे वह साहित्य मिला तो मैंने सोचा कि सदन से इस संबंध में पूछूं और इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष जो उस समय पीठासीन थे उनसे कुछ निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष—

जब वह आयेगा तो कर लीजिएगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

कब ?

श्री अध्यक्ष—

मैं शुरू करूंगा तो आपको बतला दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

आपने इस पर बहस के लिये १२ तारीख निश्चित कर दी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस सदन में लेखानुदान प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। हमारी सारी आपत्ति यही है। आप जब कहें तब मैं इस आपत्ति को उपस्थित करूं, लेकिन मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है वह लेखानुदान कायदे से प्रस्तुत नहीं है और इसलिए उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी उस प्रश्न को उठाया था। जब मैं उस पर आऊंगा तब उस प्रश्न को उठाइएगा। जब मैं शुरू करूंगा उस वक्त आप अपनी बात कह सकेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

यह तो उठा हुआ प्रश्न है। आपने इजाजत दी तब तो मैं बोल रहा हूं। आप सुन तो लें। मैं समझता हूं कि यह अनियमितता इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण १९६७–६८ व १९६८–६९†

शिवराजसिंह (कृषि मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ की (क) प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण १९६७–६८, तथा (ख) द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण १९६८–६९, को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट एवं लेखा विवरण सदन के पटल पर रखा गया है, मैं चाहता हूं कि उसके लिये आप कोई समय निश्चित कर दें ताकि उस पर विवाद हो जाय।

---

†छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें।

सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच समिति की रिपोर्ट मई, १९६५†

खाद्य तथा रसद उपमंत्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच समिति की रिपोर्ट मई, १९६५" को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री आशाराम इन्दु के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मेरे पास कई रोज से पड़ा हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं अपनी बात कहने के लिये एक मिनट में।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

खेद प्रकाश करना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेषाधिकार का प्रश्न पहले लें लूं।

श्री मोतीलाल देहलवी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है। मैं चाहता था कि उनसे इस संबंध में पूछ लूं। इन्दु जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई धमकी उन्होंने नहीं दी है लेकिन जब ऐसे परस्पर विरोधी बयानात हो जायं तो मैंने उचित समझा कि अगर यह बात सच है जिस पर श्री मोतीलाल जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, तो इसलिये उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर देता हूं ताकि वहां जांच हो जाय।

श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

उनका पूरा नाम मोतीलाल देहलवी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है कि वह जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। उस पर जो रिपोर्ट होगी वह सदन में आयेगी तो उस पर विचार होगा।

---

†छापी नहीं गई।

††५ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

सदन के बाहर नीति सम्बन्धी घोषणा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा प्रस्ताव है विशेषाधिकार की अवहेलना का ४० एकड़ से ३० एकड़ सीमा निर्धारण करने के बारे में, उस पर भी मैंने फैसला दे दिया था। उसमें कोई नई नीति का जिक्र नहीं है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो चीज मौजूद थी उसके बारे में कुछ शंकाएं थीं उसी के बारे में स्पष्टीकरण और उसके प्रोसीजर आदि को लागू करने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कहा है। इससे कोई विशेषाधिकर की अवहेलन का प्रश्न नहीं उठता है, जो माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आइन्दा नई नीति के संबंध में सदन में ही पहले घोषणा करेंगे, मैं नहीं समझता कि उसको किसी तरह से उन्होंने भंग किया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा माननीय रामधारी शास्त्री तथा माननीय अवधेश सिन्हा का है ट्रांसपोर्ट अथारिटी के बारे में। उन्होंने ४ तारीख के नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया है, मगर उसकी कटिंग मेरे पास नहीं भेजी है। उसकी कटिंग भी उनको मेरे पास भेजना चाहिये थी। वह वे भेज दें, उसके बाद मैं कोई फैसला उस पर विचार करके दे सकता हूं।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्र.न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय शिवराजसिंह के खिलाफ उठाया गया कि उन्होंने यहां आकर बैठने का प्रयास किया। इस सबंध में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि कुछ गलतफहमी में वे यहां आए। किन्तु जब हमारे सचिव ने उनको सूचना दे दी कि अध्यक्ष सदन को स्थगित कर गये हैं तो ये वापस चले गये, यहां बैठने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। गलत फहमी के कारण उनसे यह गलती हो गई जिसके बारे में उन्होंने यहां स्पष्टीकरण दे दिया। इसलिये यह प्रश्न भी मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

तो श्रीमन्, गलती के लिये उनसे खेद तो प्रकाशित करा दें।

श्री अध्यक्ष—

गलती सब से होती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न और है जो माननीय महीलाल जी ने माननीय अनन्तराम जायसवाल जी के विरुद्ध उठाया है। मैंने कार्यवाही को देखा उसमें वे शब्द नहीं हैं जिनके बारे में यह प्रश्न उठाया गया है। लेकिन एक बात थी, जब आपने यह प्रश्न यहां उठाया था तो उन्होंने उसमें यह इन्कार नहीं किया कि उन्होंने यह शब्द नहीं कहे हैं। फिर भी चूंकि कार्यवाही में वे शब्द नहीं लिखे हैं, मैं इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं मानता।

५ मार्च, १९७० को सदन में श्री उपाध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार सम्बन्धी घटना के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। एक मिनट दे दीजिये।

श्रीमन्, पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाओं का क्रम चला कि कुछ अशोभनीय घटनायें यहां घट गयीं। मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाना चाहता हूं कि वे घटनायें इस सदन की शायानेशान नहीं थीं और उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ है तथा मेरे दल के साथियों को भी उसका दुख है। पिछले दिन जो घटना घटी थी उसके लिये मैं हार्दिक खेद प्रकट करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

इस सम्बन्ध में श्री राजमंगल पांडेय का एक प्रस्ताव है, तो जिस समय वह प्रस्ताव आए....

श्री अध्यक्ष—

वह तो आगे देखा जाएगा। अभी तो उन्होंने यह कहा कि उनको बुरा लगा है।

५ मार्च, १९७० को बिना समय वृद्धि के प्रस्ताव के ५ बजे के उपरान्त की गई कार्यवाही की वैधानिकता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि एजेन्डे में निश्चित था कि ५ बजे आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाएगा। सदन का समय ५ बजे तक रहा है। यदि इसके बाद प्रस्तुत करना था तो अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार सदन को बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए थी। यह घोषणा नहीं की गई। बाद में बजट प्रस्तुत किया गया। समय बढ़ाने की घोषणा न किये जाने के कारण अनियमित सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है। अतः इसे पेश किया हुआ नहीं माना जाना चाहिए।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

गत ५ मार्च को मैं भी यहां उपस्थित था और मंत्री जी, जिन्होंने वह सप्लीमेंटरी बजट पेश किया, उसका भाषण वह पढ़ रहे थे, पूरा पढ़ नहीं पाए थे, जहां तक मेरी जानकारी है ५ बजे गये और पांच बजे का ही समय निश्चित था। पांच बजे के पहले कोई प्रस्ताव नहीं आया कि इसका समय बढ़ा दिया जाए। उस परिस्थिति में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि समय बढ़ा दिया जाए। लेखानुदान तो पेश ही नहीं किया गया। मैं समझता हूं इससे अन्य माननीय सदस्य भी सहमत होंगे, शायद सत्तारूढ़ दल के लोग इसे न मानें, लेकिन उन्हें भी सत्य की कसौटी पर देखना चाहिए कि वैसा कोई प्रस्ताव नहीं आया और न लेखानुदान पेश ही किया गया। सदन उठ जाने के बाद तक मैं उपस्थित था और बहुत ही अटेन्टिविली इस बात को सुन रहा था कि प्रस्ताव भी सामने नहीं लाया जा रहा है और लेखानुदान भी उपस्थित नहीं किया गया। इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। सभी सदस्यों ने चाहे इधर के हों या उधर क इस बात पर ध्यान दिया होगा कि ५ बजे के बाद जो बजट भाषण हुआ या सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया या यह कहा जाता है कि लेखानुदान पेश किया गया—यह सब पांच बजे के बाद की कार्यवाही गलत और अवैध है। और इतना उपाध्यक्ष महोदय ने भी समय नहीं बढ़ाया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, यह बात अपनी जगह पूरी तरह सही है कि पांच बजे या उससे पहले समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया न कोई प्रस्ताव आया। मैं समझता हूं सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि चूंकि कार्यक्रम में ५ बजे का समय लिख दिया गया था, इसलिए वह ५ बजे खयाल किया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि उस दिन सदन चल रहा था और पांच बजे लेना था, तो निश्चित रूप से समय बढ़ाया जाना चाहिए था। वैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे माननीय राज्यपाल के भाषण के लिए एजेण्डे में समय दे दिया जाता है—३ बजे। वह ३ बजे बाद का या पहले का हो सकता है। लेकिन ऐसा सम्भव नहीं कि जब कि सदन चल रहा हो तो वह बिना सदन की अनुमति और प्रस्ताव के बढ़ा दिया जाए। मेरे मित्र ने एक बात कही है, उसको दोहराना न समझा जाए यह सही है कि उन्होंने अपना अल्प बजट यहां पढ़ा था, पेश किया था। उसको उन्होंने पढ़ा लेकिन यहां पर बहुत शोर था, कुछ किसी ने सुना नहीं, इसके लिए उनको कोई दोष क्यों हम दें। लेकिन यह बात अवश्य सही है कि वह जो कुछ पढ़ा गया समय के बाद पढ़ा गया और यह भी सही है कि लेखानुदान पेश नहीं किया गया, जो कि पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, उन्हें नियमानुसार उसे सदन के पटल पर रखना चाहिए था। चूंकि लेखानुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उस पर विचार न किया जाए।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति तो यह है जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने की। दूसरी आपत्ति इसी सम्बन्ध में यह है कि अगर मान लें कि माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ा ही, तर्क के लिए कह रहा हूं, तो उनके बजट भाषण में लिखा हुआ है—अतः संविधान के अनुच्छेद २०६ के अधीन तीन महीने के लिए लेखानुदान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह अस्थायी बजट है। संविधान में या सदन की नियमावली में कहीं भी अस्थायी बजट का जिक्र नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न सिर्फ यह है कि पांच बजे के बाद सदन चलता रहा।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो मैं बाद में कह लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, श्री त्रिपाठी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं नियमावली के नियम १५ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम १५ इस प्रकार है—"सभा का उपवेशन ११ बजे पर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक होगा :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा उपवेशन के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी उपवेशन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ा सकेंगे।"

मान्यवर, यह साधारण नियम है। इसके विपरीत मैंने खोजने की कोशिश की कि कोई दूसरा नियम मिल जाय जिससे आपको शक्ति मिली हो कि आप बढ़ाएं भी न फिर भी सदन के समय को बढ़ा हुआ मान लिया जाय, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं न ऐसा कोई नियम खोज पाया न कोई नजीर पा सका। कहा यह जाता है कि चूंकि इस कार्य सूची में यह लिखा गया था कि पांच बजे यह लिया जायगा इसलिए उसका मतलब हो जाता है कि समय बढ़ा दिया गया। मान्यवर, ऐसी कोई नजीर ढूंढ़ने पर नहीं मिली। और अगर ऐसा हुआ भी हो तो नियम १५ के विपरीत, जो गलती पहले हो गयी, वह नजीर नहीं बनायी जा सकती। जब हमारे यहां स्पष्ट नियम है तो इस नियम के खिलाफ कोई नजीर अगर जाती है

तो वह मान्य नहीं होगी और उस गलती को आप सुधार देंगे। माधव बाबू ने ध्यान आकर्षित किया कि सप्लीमेंटरी बजट पांच बजे के कुछ पहले शुरू हुआ और सप्लीमेंटरी बजट ही चल रहा था तब पांच बज गये। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर उस दिन भी खड़ा हुआ था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। इसलिए मैं नहीं कह सका। यहां पर साधारण नियम यह है कि सदन ११ बजे से पांच बजे तक बैठेगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप समय बढ़ा दें और उस बढ़ाने का ऐलान करते रहे हैं। और अगर १५ मिनट के बाहर लाना है तो सदन का संकल्प होगा कि १५ मिनट के बाद एक निश्चित समय तक सदन चलता रहे। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इसलिए पांच बजे के बाद जो कार्यवाही हुई वह नियमों के विरुद्ध हुई और उसको कोई मान्यता नहीं दी जा सकती। हाउस ११ बजे से चल रहा था। उसी सलसिले में यहां सारी चीजें हुईं। जब यह हाउस उपवेशन में है तो उस समय यदि समय को बढ़ाया जाय तो या तो अध्यक्ष के आसन पर जो हों वे बढ़ावें या संकल्प लाया जाय, लेकिन इनमें से कोई चीज नहीं हुई। इसलिये ५ बजे के बाद जो कुछ भी यहां पर कार्यवाही हुई उसको अवैध और नियमों के प्रतिकूल आप घोषित करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नियमों के आधार पर ११ बजे से ५ बजे तक सदन की कार्यवाही होती है। ५ बजे के बाद अगर समय बढ़ाने की जरूरत हो तो उसको दो शकलों में ही बढ़ाया जा सकता है। या तो सदन के प्रस्ताव से या आप स्वयं अपनी तरफ से बढ़ायें लेकिन इन दोनों बातों में से कोई बात नहीं हुई। इसलिये मेरी मांग यह है कि ५ बजे के बाद जितनी भी कार्यवाही हुई उसको उस दिन की कार्यवाही से निकाल दें।

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन और जिस समय का जिक्र किया जा रहा है उस समय अध्यक्ष महोदय, आप मौजूद नहीं थे। उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय सदन में मौजूद थे। उस समय सदन के अन्दर कितनी गड़बड़ी थी और कितना शोरगुल था.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या ५ बजे के बाद बगैर अध्यक्ष की घोषणा या संकल्प हुये सदन चल सकता है?

श्री बलबीर सिंह—

मैंने निवेदन किया कि उस वक्त इतना शोरगुल था कि मेरे लायक दोस्त जो एतराज कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि किस वक्त बजट पेश किया और किस वक्त वोट आन अकाउन्ट पेश किया गया। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने बजट भाषण और वोट आन अकाउन्ट दोनों समय के अन्दर ही पेश किये हैं। साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के दौरान नियम १५ पर बहुत जोर दिया गया है। नियम १५ में जो समय दिया गया है उसमें उपवेशन का समय ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक होगा। वहां साथ साथ यह भी है कि "परन्तु विशेष परिस्थितियों में उपवेशन के समय को सदन के संकल्प द्वारा बढ़ाया जा सकता है अथवा अध्यक्ष स्वयं उपवेशन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा सकते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुये थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने यहां सदन में अपना बजट भाषण पढ़ा और लेखानुदान रखा। इसलिये मेरा निवेदन है कि हर हालत में यह समय के अन्दर और नियमों के मुताबिक ही पेश किया गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, उस दिन ५ मार्च, ७० की कार्य सूची में यह स्पष्ट दिया गया है कि बजट अपरान्ह ५ बजे के उपरान्त प्रस्तुत होगा। मुझे स्मरण है कि इस प्रकार की घटना सन् १९६६–६७ में या १९६५–६६ में भी हुई है जो माननीय अध्यक्ष के समक्ष आई थी। उस समय वित्त मंत्री माननीय कैलाश प्रकाश जी ने बजट प्रस्तुत किया था और वह केवल इसी आधार पर कि माननीय अध्यक्ष के माध्यम से कार्य सूची प्रसारित होती है। कार्य सूची में यह पहले से ही सूचित है कि ५ बजे बजट प्रस्तुत होगा। उसका अर्थ यह होता है कि माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है जो कि माननीय अध्यक्ष का अधिकार है। इसी आधार पर सन् ६६ या ६७ में इस प्रकार की आपत्ति निरस्त हो चुकी है। लिहाजा इस विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या चेयर की तरफ से यह निश्चित शब्द कहे गये थे कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, महीलाल जी ने कोई पुराना उदाहरण दिया। अगर गलती की बात न हो तो पुरानी बात दोहराई जा सकती ह लेकिन एजेंडे पर आ जाने पर समय अपने आप बढ़ जाता रहा हो ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है। एजेंडे में लिखने पर भी सदन में या तो कोई प्रस्ताव आता रहा है या अध्यक्ष स्वयं समय बढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसमें न तो माननीय अध्यक्ष ने समय बढ़ाया न कोई सदन ने प्रस्ताव पास किया। लिहाजा ५ बजे के बाद एजेंडे पर जो विषय लिये गये वे अवैध हो जाते हैं और उसको आप कार्यवाही में न रखें।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर मैं कल फैसला दूंगा आज नहीं दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

निर्णय देने के पहले आप हमको चेम्बर में भी सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे भी सुन लेंगे। अब विपक्ष की ओर से कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं रही। माननीय मंत्री जी तथा महीलाल जी दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया कि न तो अध्यक्ष महोदय ने ही कोई प्रस्ताव किया कि १५ मिनट का समय सदन का बढ़ा दिया गया है और न सदन में ही किसी ने प्रस्ताव पेश किया। अब कैलाश प्रकाश जी का उदाहरण जो दिया गया है पता नहीं किन परिस्थितियों में वह बात हुई। गलत परिपाटी न पड़े इसके लिए आप बैठे हैं कि आप उसमें सुधार करें। इस प्रकार नियम १५ की अवहेलना की गयी और इस पर अब शहादत देने की जरूरत नहीं है। सदन में अथवा कोर्ट्स में गड़बड़ियां होने के कारण यही है कि जो नियम दिये हुए हैं उनकी अवहेलना की जाती है। इनडायरेक्ट आदेश कोई आदेश नहीं होता। खड़े होकर अथवा बैठ कर यह कहते कि मैंने सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया अथवा कोई प्रस्ताव सदन की ओर से लाया जाता। (व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर लूं। यहां तो इजाजत न होने पर भी ज्यादा समय लिया जा सकता है। तो मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आदेश दिये गये थे। उन्होंने समय बढ़ाने के

लिये कह दिया। इनडायरेक्ट बात से आदेश नहीं हुआ। खड़े होकर कहना चाहिये था। दोनों स्थितियों में नियम का कम्प्लायेंस नहीं हुआ।

तीसरी बात यह कि पांच बजे पेश होगा। इसका अर्थ यह होना चाहिये था कि ५ बजे के पहले होगा। चाहे पौने पांच बजे पेश होता। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से भाषण ५ बजे के बाद दिया और वह कन्टीन्यू करते रहे। (व्यवधान)। यह चीज ऐसी नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट फेल हो जायगी। लेकिन आज कसौटी पर यह है कि यह सच बोलते हैं या गलत। वह इतना भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं और ५ बजे के बाद भाषण करते रहे। लेखानुदान पेश ही नहीं हुआ। इसलिये मैं कहता हूं कि जो यह कार्यवाही हुई वह अवैध है और बिलकुल गलत है। इसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर फैसला कल होगा। वह उत्तर दे चुके हैं। अब मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब सवाल यह है। एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिवदास जी यहां मौजूद हैं? ५ तारीख की घटना के संबंध में उनके ऊपर आरोप है। विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाया गया है। चूंकि वह मौजूद नहीं हैं। उनको नोटिस देना हमारा काम था। लेकिन वह मिले नहीं। इसलिये मैं साढ़े चार बजे तक का समय देता हूं। शायद वह उस समय तक आ जायं। साढ़े चार बजे इस प्रश्न को लेंगे। तब तक सदन की और कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हम समझ नहीं रहे हैं कि आप किस प्रश्न पर व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवदास जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। प्रथा के अनुसार वह मौजूद नहीं हैं इसलिये साढ़े चार बजे इस प्रश्न को लेंगे। तब तक हम उस दिन की कार्यवाही को भी देख लेंगे और जो माननीय सदस्य उसको देखना चाहें, मैं माननीय नेता विरोधी दल के लिये कह रहा हूं, सब को नहीं, वह उसको देख लें। इसके सम्बन्ध में ढाई बजे मेरे कमरे में सूचना मिल जायेगी।

श्री कृष्णानन्दराय—

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक जानकारी हम चाहते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम ६८ (२) पढ़ना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

वह तो हम जानते हैं । आप साढ़े चार बजे कहें ।

श्री महीलाल—

श्रीमन, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि माननीय सदस्य उपस्थित हों ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि इसको साढ़े चार बजे लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय त्रिपाठी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने चेम्बर में सूचना देने के लिये कहा तो हम लोग किस समय हाजिर हों ?

श्री अध्यक्ष—

एक तो आप लिख कर भेज सकते हैं । आज शाम को कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग है । इसके बाद आप मुझसे मिल लें । मुझे तो २४ घंटे आपकी सेवा में रहना है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा मूल प्रस्ताव है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात सुन कर इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि नोटिस उनको नहीं मिला है लिहाजा मैं इसको अवैध समझता हूं, ऐसी बात नहीं है । लेकिन इसलिए समय दिया है कि आप लोग देख लें और अगर वे हों तो दे दें ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न रखा था, उस पर आपने अपनी व्यवस्था देने के लिये कल का समय रखा है, लेकिन उसी से संबंधित एक प्रश्न आपने साढ़े चार बजे रख दिया है । उसको भी कल के लिये रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कल को आपने यह व्यवस्था दे दी कि ५ बजे के बाद की कार्यवाही वैधानिक नहीं थी तो फिर आज जो साढ़े चार बजे प्रश्न लिया जा रहा है वह भी समाप्त हो जायगा, इसलिए हमारा निवेदन यह था कि पहले आप इस पर व्यवस्था दे देते कि ५ बजे बाद हुई कार्यवाही वैधानिक थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे उसका कोई संबंध नहीं है । ५ बजे के बाद सदन चल रहा था या नहीं चल रहा था यह दूसरी बात है । मान लीजिए कि सदन नहीं चल रहा था तो क्या उससे यह वाजिब साबित हो जाता है कि चेयर की ओर पत्थर फेंके जायं ? कार्यवाही ठीक हुई या नहीं हुई, यह एक प्रश्न है और यह वाकआ हुआ या नहीं हुआ, यह दूसरा प्रश्न है । इसलिये इससे और उससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन, आप अपने जान पहचान वालों के ही नाम पुकारते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन, आप अपने जान पहचान वाले लोगों को ही पुकारते हैं, यह आपके ऊपर आक्षेप है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्री नित्यानन्द स्वामी जी ने जो बात कही कि वह घटना पांच बजे के बाद हुई, ऐसी बात नहीं है, वह साढ़े चार बजे से ही हो रही थी। आप इसकी इन्क्वारी करा लें कि वह घटना ५ बजे से पहले ही शुरू हो चुकी है।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, आज साढ़े चार बजे आप एक ऐसे विषय को लेना चाहते हैं जिसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है कि उस दिन ५ बजे के बाद क्या हुआ था। नित्य सुबह पहले हमें कार्यवृत्त मिल जाया करता था जिससे हमें मालूम हो जाता था कि पिछले दिन क्या-क्या हुआ, लेकिन अब वह नहीं मिल रहा है। हमें नहीं मालूम हो पाता कि कल क्या-क्या घटना हुई, कितनी देर वह घटना घटी और किसके बाद घटी, कुछ भी पता नहीं चल पाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन, पहले हम लोगों के पास पहले दिन की कार्यवाही और सारा लिटरेचर पहुंच जाया करता था। लेकिन इस बार जब से यह सदन चला है, हमें कोई चीज नहीं मिलती है, बड़ी लापरवाही बरती जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका प्रबन्ध करा दूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में तीन अधिवेशन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब श्री विकल जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं—"यह सदन निश्चय करता है कि लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में ३ अधिवेशन अनिवार्यतः निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करें:

आय-व्ययक सत्र	१ फरवरी से ७ मई तक,
वर्षाकालीन सत्र	१५ जुलाई से १५ सितम्बर तक,
शीतकालीन सत्र	५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर तक।

और नियमों में एतदर्थ संशोधन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपने चिटठी लिखी थी मेरे पास, सत्र की जगह अधिवेशन करने के लिये कि "यह सदन निश्चय करता है कि लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में ३ अधिवेशन अनिवार्यतः निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करें।" यही इसका मतलब है ?

*श्री राम चन्द्र विकल—

जी हां, नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर वातावरण में इस सदन में पेश हुआ है। इसकी आवश्यकता नहीं थी अगर यह सदन जैसा कि पूर्ववत् था चलता रहता और तीन बार अधिक समय तक चलकर जनतांत्रिक भावना को प्रकट करता रहता। सरकार आज कोई भी हो लेकिन विधान सभा से जनता की भावनाओं का प्रतिपादन होता है, इससे लोग हटते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सन् १९५२, ५३ में सदन ५, ५ १ / २ महीने चलता था और जनता की कठिनाइयां सामने आती रहती थीं लेकिन पिछले दो चार वर्षों से यह सदन कम से कम चलता है और जो भी सरकार है वह सदन से भी हटना चाहती है। तो विवश होकर यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि ३ सत्र सदन के जैसे कि लोक सभा में चलते हैं उसी तरह से चलाये जायं ताकि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता ने जिन कामों के लिये यहां सदस्यों को भेजा है, उन कठिनाइयों को समय-समय पर यहां रक्खा जाया करे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत साधारण सा प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं, उन सभी की भावनाओं को प्रतिपादन करता है। मैं चाहता हूं कि जनतंत्र की रक्षा के लिये यह विधान सभा अधिक से अधिक चले ताकि जनता के हित की बातों का यहां विवेचन कर सके। यह प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मत स्वीकार हो जाना चाहिये क्योंकि यह जनतंत्र की रक्षा के लिये रक्खा गया है। कोई भी सरकार जनतंत्र और विधान सभा से न भागे यह इसमें रक्खा गया है।

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री राम सिंह खन्ना ने एक संशोधन रक्खा है।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं यह कह रहा था कि माननीय विकल जी का प्रस्ताव यह है कि अनिवार्यतः ३ सत्र हों और आपका संशोधन है कि साधारणतया तीन सत्र हों। तो इससे मूल प्रस्ताव की भावना समाप्त हो रही है। प्रस्ताव की सीमा के बारे में विचार हो सकता है लेकिन यह तो दूसरा प्रस्ताव है इसलिये मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। तो इस प्रस्ताव के मूल प्राण इस संशोधन के बाद निकल जाते हैं इसलिये मैं आपत्ति करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति निरर्थक है। अगर इसको सदन नहीं चाहता है तो नहीं पास करेगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्री विकलजी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह सदन यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में निम्नलिखित सारिणी में दी गई अवधि के बीच साधारणतया तीन सत्र हों—

श्री अध्यक्ष—

आप सत्र कहते हैं या अधिवेशन ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

सत्र कहा है, अब यह अधिवेशन हो गया है —

(१) बजट अधिवेशन १ फरवरी, से ७ मई ।
(२) वर्षाकालीन अधिवेशन १५ जुलाई से १५ सितम्बर ।
(३) शीत कालीन अधिवेशन ५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो, से २२ दिसम्बर ।

मान्यवर, जो रेजोल्यूशन या प्रस्ताव माननीय विकल जी ने रखा है मैं उससे करीब-करीब सहमत हूं । पिछले दो सालों से खासतौर से सन् १९६७ के चुनाव के बाद से अब तक विधान सभा की बैठकें पूरी तरह से न होने के कारण हमारी जनता का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है खास-तौर से उन व्यक्तियों का बड़ा नुकसान होता है जो सन् ६७ के बाद चुनाव में चुनकर यहां पर आये हैं । उनको इतना मौका भी नहीं मिलता है कि जो महानुभाव जैसे विकल जी, त्रिपाठी जी आदि जो यहां बोलते हैं उनको सुनें, समझें और यहां की प्रणाली से अवगत हो सकें । सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्रों की बहुत सी आवश्यक बातें यहां पर बतलाते हैं जिनको वे नये सदस्य सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुरूप अपने को अभ्यस्त करते हैं । जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसको ठीक समझता हूं लेकिन मान्यवर इस टेक्निकल और लीगल मामले में कान्सीटयूशन के धारा १७४ के मातहत गवर्नर महोदय को यह अख्तियार है कि वह जिस वक्त चाहें कैबिनेट की एडवाइस से विधान सभा का अधिवेशन बुला सकते हैं । मान्यवर, यह तो ठीक है कि अधिवेशन अधिक से अधिक होना चाहिये परन्तु यह अनिवार्य शब्द जोड़ने पर कैबिनेट की एडवाइस का कोई महत्व नहीं रह जायगा । यह ठीक है कि विधान सभा का अधिवेशन अधिक से अधिक दिनों तक और ज्यादा से ज्यादा बार होना चाहिये और अगर संभव हो तो वर्ष में ३ के स्थान पर ४ बार इसका अधिवेशन बुलाया जाय जिससे हम लोग जनता की भावनाओं को यहां पर व्यक्त कर सकें और यहां की प्रणाली को सीख सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें । इस में अनिवार्य शब्द लिखने से कैबिनेट के अधिकारों का इन्क्रोचमेंट होता है । इसलिये मान्यवर, मैं यह एमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है माननीय रामचन्द्र विकल जी के द्वारा मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय विकल जी के प्रस्ताव पर हम लोग यहां पर विचार कर रहे हैं । सदन में यह भी बात इस संबंध में आई कि सदन में जो भी गड़बड़ियां होती है उसका यह भी कारण है कि सदन न होने से माननीय सदस्यों को जो अपनी बात सदन में रखनी है उनको उसके लिये समय नहीं मिल पाता और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर जनता की बातें सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं । इस कारण से सदन में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुआ करती है ।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो एजेंडा है उसमें सदस्यों को इसी लिये इतने अधिक प्रश्न रखने पड़े कि सदन ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता है इस लिये माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको सदन के अन्दर प्रस्तुत करने का मौका लेना चाहते हैं । इसीलिए यह आवश्यक है कि सदन जितना अधिक हो सके उसके अधिवेशन होने चाहिये । अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हमने यह देखा कि जिन विषयों को यहां रख कर उन पर चर्चा करने के बाद कानून के रूप में जारी किया जा सकता था उन नीति के प्रश्नों को आर्डिनेंस के जरिये से जारी करना पड़ा है । लोक सभा की यह परिपाटी है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उसकी बैठक होनी चाहिये ताकि वह अधिक से अधिक समय हर सदस्य को दे सके । इस कारण से मैं माननीय विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मैं श्री रामचन्द्र विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, हमारा जो संविधान है उसमें लोक सभा और विधान सभा प्रमुख अंग है और यह सचमुच बहुत खेद की बात है कि जब लोक सभा और विधान सभा हमारे संविधान के इतने आवश्यक अंग हैं तो इस विधान सभा का अधिवेशन और सत्र इतने विलम्ब से बुलाया जाय। इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम संविधान की उपेक्षा करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। श्रीमन्, विकल जी ने यह सच ही कहा कि पिछले दिनों से एक टेंडेंसी चल रही है कि विधान सभा के सदस्यों को कम से कम विश्वास में लिया जाय और शासन के संचालन में जितना भी कम विधान सभा का हाथ हो, उतना ही उससे सहयोग लिया जाय। श्रीमन, यह टेंडेंसी बहुत खतरनाक है। यह हमारे संविधान और प्रजातंत्र के लिये बहुत खतरनाक है। विधान सभा का अधिवेशन लम्बी अवधि तक नहीं होता है। जब विधान सभा का अधिवेशन लम्बी अवधि तक नहीं होता है तो उसका नतीजा यह होता है कि इससे नौकरशाही मजबूत होती है। हम नौकरशाही के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से वह शक्ति देते हैं जिसकी कि संविधान कदापि इजाजत नहीं देता है और श्रीमन, आज इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में जहां पर कि विधान सभा को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, वहां पर अराजकता के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वहां पर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। उसका कारण यही है कि विधान सभा के सदस्यों की हैसियत, उनकी मान, मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा और इस सदन का सम्मान पिछले दिनों में बढ़ा नहीं है, बल्कि गिरता चला जा रहा है। इसलिये यह आवश्यक है श्रीमन, कि यह सदन निश्चयपूर्वक यह बतला दे कि कब तक सदन का आवाहन आवश्यक है।

मेरे माननीय दोस्त ने एक आपत्ति उठाई थी, यद्यपि उन्होंने श्री रामचन्द्र विकल के प्रस्ताव का समर्थन किया था, कि चूंकि इस सदन को बुलाने का अधिकार माननीय राज्यपाल महोदय और कैबिनेट को है, इसलिये यह सदन इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता है। मैं नहीं जानता हूं उनकी इस आपत्ति में कितना बल है। श्रीमन, हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हम माननीय राज्यपाल से अनुरोध कर सकते हैं और मंत्रिमण्डल से भी अनुरोध कर सकते हैं। इस सदन को पूर्ण सत्ता प्राप्त है, पूरा अधि कार है और पूरी स्वतंत्रता है राज्यपाल से अनुरोध करने की। अगर माननीय राज्यपाल और मंत्रिमण्डल संविधान को दृष्टि में रखते हुए कार्य नहीं करते तो इस सदन को अधिकार है कि वह उनसे अनुरोध कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है और कह सकता है कि यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है। इसलिए श्रीमन, विकल जी का प्रस्ताव ठीक है और इन कारणों से हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, मैं विकल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके अन्दर किलाइमेटिकली डिफ्रेन्ट रीजन्स है। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं और यहां पर फसल से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी घटनाएं होती है ला ऐंड आर्डर से ताल्लुक रखने वाली बातें होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिए।

श्री रियासत हुसैन—

मैं दो मिनट में कहे देता हूं। आप जानते हैं कि जनता हमें चुन कर यहां पर भेजती है। हमारे यहां इस सदन के अन्दर बैठने का मकसद यही है और हमारी डयूटी भी यह है कि हम जनता के दुख दर्द को यहां पर कहें। हमारे पास जनता के दुख दर्द को कहने का और कौन का फोरम है। यह सदन ही केवल एक फोरम है। जब हम इस सदन से वंचित हो जाते हैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर हम जनता की बातों को किस प्रकार कहें। सूबे की हालत को देखते हुए यह लग रहा है कि सदन के मेक्सिमम पीरिएड के जगह पर अब मिनिमम पीरिएड चल रहा है और यह सब अपने जाती कारणों की वजह से हो रहा है। इस तरह से सारी जनता के हकूक छीने जा रहे हैं। जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं वे अपनी बात यहां पर नहीं कह पा रहे हैं। यही सदन एक फोरम है जिसके अन्दर वे उन तकलीफों को कह सकते हैं। इसलिये मैं माननीय विकल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह सदन सक्षम है यह तय करने के लिये कि साल के अन्दर तीन बार इस सदन का सत्र होना चाहिये। इसलिये इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। मैं विकल जी के प्रस्ताव का लफ्ज व लफ्ज समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वह अनावश्यक है। मेरा एक निवेदन है कि यह जो जनतंत्रीय प्रणाली है यह सदा बहने वाली नदी के समान है। अगर जल सदा बहता रहे तो वह गन्दा नहीं होगा लेकिन अगर वह स्टेगनेट हो जाय, स्थिर हो जाय तो सड़ने लगेगा। न मालूम कितनी घटनाएं होती है और वे लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा या स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या मंत्री जी के पास प्रतिवेदन या आवेदन के द्वारा यहां रखी जाती रहती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सदन बहुत कम बैठ पाया। इसके लिये हम सभी दोषी है चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले। यदि हम इस दोष का परिमार्जन कर सके, यदि ऐसा कर सकें कि जनतंत्रीय प्रणाली अपना कार्य कर सके तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक अवधि निश्चित करनी पड़ेगी जिसमें सदन बैठा करे। कदाचित, मेरा ऐसा मत है, नियमों के अनुसार सदन अपनी अवधि निश्चित कर सकता है या नहीं यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन मेरी निश्चित धारणा है कि सदन सार्वभौम है और उसको अपने बैठने की तिथि निर्धारित करने का अधिकार है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से लोक सभा में तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं और उन्हीं तिथियों में लोक सभा बैठती है। यदि लोक सभा के लिये यह हो सकता है तो विधान सभा के लिये क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता। विधान के एक क्षुद्र विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विधान में मैंने यह नहीं पाया कि सदन इसके लिये सक्षम न हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संबंध में माननीय विकल जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये और माननीय चन्द्रभान जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय चन्द्रभान जी का जो संशोधन है जैसा माननीय चन्द्रमणि जी ने कहा कि उससे तो प्रस्ताव की आत्मा ही समाप्त हो जाती है। उसमें (संशोधन में) 'साधारण' शब्द है कि अनिवार्य रूप से इन तिथियों में न बुलाकर साधारणतः बुला लें। जो शब्द साधारण लगता है वह साधारण नहीं है। उस शब्द के अन्दर एक बड़ी भारी बात छुपी है जिससे इस प्रस्ताव की आत्मा ही समाप्त हो जाती है। एक आपत्ति मेरे भाई चन्द्रभान जी ने कही कि विधान में में आर्टिकिल १७४ के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है कि सदन को जब चाहें तब बुल लें। लोक सभा में राष्ट्रपति को आर्टिकिल ८५ के अन्तर्गत यह अधिकार है। इस तरह राज्यपाल को विधान सभा बुलाने का और राष्ट्रपति को लोक सभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, इसमें अन्तर नहीं है। लेकिन जहां तक तिथियों के निश्चित करने का संबंध है तो यह सदन सार्वभौम है और तिथियां निश्चित कर सकता है। इसलिये मैं अपने पक्ष की ओर से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को, जो माननीय विकलजी ने प्रस्तुत किया है, मूल रूप में स्वीकार किया जाय। ऐसा ही एक प्रस्ताव माननीय त्रिपाठी जी द्वारा रखा जा चुका था जो कि सत्रावसान के कारण समाप्त हो गया था। मैं माननीय विकलजी के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, संभवतः आपको याद हो कि पिछले अधिवेशन में एक प्रस्ताव इस तरह का आया था जिस पर सभी दलों के, अविघटित कांग्रेस को छोड़ कर, हस्ताक्षर थे। माननीय चौधरी साहब के भी उस पर हस्ताक्षर थे, विकल जी के थे, हमारे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जनसंघ के थे, सभी दलों के थे। इसलिये इस वक्त जो यह प्रस्ताव विकल जी ने सदन के सामने पुरःस्थापित किया है वह एक तरह से सर्वसम्मत का प्रस्ताव हो गया है। आप भी समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि विधानसभा में अव्यवस्था का मूल कारण यह है कि सदन बहुत कम बैठा करता है। मिसाल के लिये अगर आप कार्यसूची देखें तो एक एक दिन में सौ-सौ, दो दो सौ और कभी कभी उसके ऊपर भी प्रश्न लगा दिये जाते हैं और आप जानते हैं कि एक दिन में १५–२० से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस तरह से असंतोष होना स्वाभाविक होता है और अव्यवस्था का एक बड़ा कारण बनता है। इसलिए आपने स्वयं कई दफा सलाह दी कि हम सदन की बैठकें ज्यादा किया करें तो आपकी सलाह भी है और सदन का सर्वसम्मत भी है और यह असेंबली जो है यह नुमाइन्दगी करती है इस प्रदेश की आबादी की और सरकार तथा जो पूरी नौकरशाही है वह इस सदन के प्रति जवाबदेह है।

अगर यह सदन बैठेगा ही नहीं तो यह जवाबदेही ढीली पड़ जाती है और उसका असर शासन पर भी पड़ता है। आप शायद इस चीज को सराहें कि जब कभी सेशन रहता है तो जो जो घटनाएं बाहर होती हैं उनको किसी न किसी रूप में उठाया जा सकता है और वह एक जबरदस्त अंकुश साबित होता है नौकरशाही पर। लेकिन जब वह मौका नहीं मिलता तो मामला बिगड़ता ही जाता है और उसका प्रतिबिम्ब यहां पर भी दिखाई पड़ता है कि यहां अव्यवस्था हो जाती है। हमारा प्रदेश ९ करोड़ आबादी का है। इसकी आबादी लगभग वही है जो जो यूनाइटेडकिंगडम की है और आप देखेंगे कि वहां का हाउस आफ कामन्स लगभग साल भर बराबर बैठा करता है। लेकिन हम इससे गुरेज करते रहे हैं एक या दूसरे कारणों से। इसका नतीजा यह होता है कि प्रतिनिधियों में असंतोष रहता है। जहां तक तारीखों का सवाल है, हमारी लोक सभा ने इन्हीं तारीखों में अनिवार्य रूप से साल में तीन दफा बैठक तय कर ली है और उसे देख कर ही विकल जी ने.....

श्री अध्यक्ष—

जरा संक्षेप में कहिए और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी अच्छा। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। यहां पर साधारणतः और अनिवार्य रूप को लेकर बहस इसलिये चल पड़ी कि वहां पर भी अनिवार्य रूप से तीन दफा बैठक होना तो तय है खाली तारीखों में कभी कभी हेर-फेर हो जाता है क्योंकि मान लीजिए कि कभी किसी तारीख को छुट्टी वगैरह पड़ गई और जो अवधि दी गई उसमें बराबर वह बैठा करती है। तो उसने अपने निश्चय और लम्बी प्रैक्टिस के जरिये से जो एक परम्परा बना दी है यहां पर खाली उसी के अनुसार बैठने के लिये कहा गया है। जहां तक राज्यपाल के बुलाने का सवाल है, हमारे नित्यानन्द जी ने कहा कि वह तो एक औपचारिकता मात्र है। जब शासन चाहता है तब राज्यपाल से सिफारिश करके सदन को आहूत करवाता है। यह विधान सभा जो अपने आप में खुद सुप्रीम है अगर वह यह तय करती है कि अनिवार्य रूप से हम तीन दफा बैठेंगे तो इसमें कोई चीज बीच में आती नहीं है। तो मैं यह चाहूंगा कि यह सदन सर्वसम्मति से इस विकल जी के प्रस्ताव को पास करे, इससे जनतंत्र सुदृढ़ होगा, जनता की शिकायतों और स्थितियों को रखने का अधिक अवसर मिलेगा और यहां जो अव्यवस्था कभी-कभी दिखाई देती है वह भी आपके काबू में रहेगी और आप को भी आराम रहेगा। साथ ही यह सदन भी संतुष्ट रहेगा। सारिणी यही रहे और तिथियों के बारे में जो आप उचित समझें वह संशोधन कर दें।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विकल जी का आभारी हूं कि उन्होंने समय निर्धारण का संकल्प यहां रखकर जनभावनाओं को प्रकट किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनतंत्र में यदि शासन निरंकुश रहता है तो जनतंत्र का जो अभिप्राय है वही लुप्त हो जाता है। माननीय विकल जी ने जनतंत्र को मजबूत करने के लिये, जनभावनाओं को जन प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त करने के लिये को संकल्प सदन के सामने सदन की बैठक निश्चित समय पर कराने के लिये रखा है मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि इसके लिये विकल जी धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है लेकिन माननीय चन्द्रभान शर्मा ने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत आवश्यक है क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले इस सदन को व्यवहारिकता को भी अपने सामने रखना ही चाहिये। निश्चित समय ही उसमें किसी भी एक दिन घंटे या मिनट का अन्तर न पड़े ऐसी चीज व्यवहारिकता में कुछ कठिनाई ला सकती है। इसलिये मेरा माननीय विकल जी से निवेदन है कि वह अपने संकल्प में माननीय चन्द्रभान शर्मा के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, मैंने उनसे अभी बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं....

श्री रामचन्द्र विकल—

मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री महीलाल—

मैं अभी उनकी कुर्सी पर गया था, मेरी उन से अभी बात हुई, मैंने उनसे प्रार्थना की थी और अनुरोध किया था कि आप यह संशोधन स्वीकार कर ले जो श्री चन्द्रभान जी का है और मैं उनके शब्दों को दोहरा दूं, उन्होंने कहा कि यदि संशोधन व्यवहारिक है तो मुझे उसके स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह प्रस्ताव सर्वसम्मिति से इस संशोधन के साथ स्वीकार हो जाय। अभी बहुत देर नहीं हुई है माननीय जायसवाल जी मेरे साक्षी हैं..

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या बात कर के गये हैं उसका हवाला वह दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वह बिलकुल निराधार बात कह रहे हैं।

श्री महीलाल—

मैं आपके द्वारा श्रीमन्, उनसे निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा कि वह श्री चन्द्रभान शर्मा का संशोधन स्वीकार कर लें क्योंकि वह व्यवहारिक है और उससे जो कठिनाई इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता में आ सकती है वह दूर हो जायेगी। उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। वह यह न समझें कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि हम शासन में है, या शासन में सदा हम ही बैठने वाले हैं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो आप विश्वास रखिए कि हमें इसकी भावनाओं को और इसके मन्तव्य को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती थी।

श्री अनन्तराम जायसलाल—

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या माननीय महीलाल जी को मालूम है कि पहले भी जब हम और आप विपक्ष में बैठा करते थे माननीय चरण सिंह जी ने इसी प्रकार के प्रस्ताव पर दस्तखत किये थे ?

श्री महीलाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं यह मान सकता हूं कि माननीय जायसवाल जी कहते हैं, ठीक ही होगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उस प्रस्ताव के शब्द क्या थे क्या नहीं थे यह तो चौधरी साहब ही बता सकते हैं कि वास्तव में उसकी शब्दावली क्या थी। उनका मन्तव्य यह हो सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपके द्वारा एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक सप्ताह पूर्व कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के अन्दर जिसमें माननीय वीरेंद्र वर्मा और माननीय महीलाल जी भी थे इसी प्रस्ताव की जिसमें अनिवार्य शब्द है स्वीकृति दी थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हो कि उस प्रस्ताव को पढ़ दिया जाय जिस पर माननीय चौधरी साहब के हस्ताक्षर भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय जो प्रस्ताव है और उस पर जो संशोधन है, उनको ही ले रहे हैं। आपका और चौधरी साहब का वहां पर क्या समझौता हुआ, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

केवल शब्द के.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा स्पष्टीकरण जो है बतला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इन सब सवालों का जवाब माननीय महीलाल जी कैसे दे सकते हैं।

श्री महीलाल—

मैं माननीय स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे स्मरण रखते हों तो उन्हें विदित होगा कि वहां पर केवल विचार विनिमय इस बात पर हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के बाहर किसी समिति में क्या निर्णय हुआ, क्या तर्क या वितर्क हुआ या क्या चर्चा हुयी, उसे यहां पर घोर विरोध का विषय नहीं बनायेंगे। मैं भी था। वहां एक प्रश्न यह तय हुआ था कि सदन की ३ बैठकें होनी चाहिये।

श्री महीलाल—

जो मकसद था उसको हमने स्वीकार किया था। मैंने उनकी भावना की सराहना की थी, उसका स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है लेकिन व्यवहारिकता के नाम से उनसे अनुरोध किया है कि माननीय चन्द्रभान शर्मा का जो संशोधन है उसे स्वीकार कर लें। माननीय चन्द्र भान शर्मा ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय एक संवैधानिक कठिनाई की ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय राज्यपाल कभी-कभी साल में दो बार, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इस सदन को बुलाते हैं और महामहिम राज्यपाल को अधिकार है, हमारे संविधान में, कि वही इस बारे में निश्चय करें। उसमें माननीय सदस्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उनके अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं, सुझाव नहीं दे सकते हैं और उनके अधिकारों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए माननीय विकल जी उदारतापूर्वक माननीय चन्द्र भान शर्मा जी के संशोधन को जो कि संविधान की परिधि के अन्दर है, स्वीकार करने का कष्ट करें जिससे हमारा फैसला संविधान के बाहर न जा सके, संविधान की अवहेलना न कर सके, इसलिये संविधान के अन्दर रहते हुये हमें यह सिफारिश करनी है। यदि माननीय विकल जी उदारतापूर्वक इस संशोधन को

स्वीकार करलें तो हम संविधान की परिधि के अन्दर रहेंगे और गवर्नर के अधिकार को चैलेंज नहीं करेंगे । इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें ।

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामचन्द्र विकल जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस संबंध में आपसे मुझे यह निवेदन करना है कि आखिर यह प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी । अगर साधारण नियम या साधारण परिस्थिति में, जो संशोधन पेश हुआ है, अगर इस प्रस्ताव के द्वारा विधान सभा की बैठक बुलायी जाय, यह मंशा होती तो संभवतः इस प्रकार की चर्चा यहां नहीं उठती । या विधान सभा हो सकता है इस बात के लिए मजबूर करे कि विधान सभा के तीन सत्र जरूर हुआ करें, और उस मंशा से ही यह प्रस्ताव आया हो । इसलिये मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो संशोधन रखा गया है उसमें फिर वही मंशा निहित है जिस मंशे के द्वारा अब तक विधान सभा की बैठक नहीं बुलायी जा सकी या बैठक नहीं हुआ करती थी । इन सारी चीजों को देखते हुए जहां तक कठिनाई का संबंध है, या विधान सभा के बुलाये जाने के संबंध में गवर्नर या दूसरों के हस्तक्षेप का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई खास कठिनाई नहीं दिखलायी पड़ती । यदि कुछ हेरफेर की आवश्यकता होगी तो संभवतः इसमें जो रखा है ऐसा हो सकता है कि यह सदन निश्चय करता है कि लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश में ३ सत्र अनिवार्यतः निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करें । इसमें एक बन्धन है और मैं चाहता हूं कि इसमें दो बातें हों । एक यह कि सदन का जो समय निश्चित हो तो आवश्यकता पड़ने पर उसकी अवधि २–४ या ५ रोज बढ़ायी जा सकती है, यह उसमें मेंशन कर दिया जाय । लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ४–५ दिन की छुट्टी पड़ती हो तो उस वक्त के लिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि अगर आवश्यक हो तो तिथि बढ़ाई जाय या निश्चित तिथि से ३ दिन तक हेरफेर हो सकता है । यह एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं समझता हूं कि महीलाल या दूसरे लोगों का मकसद साफ हो जायेगा । इसमें कोई गुंजायश नहीं है कि सदन के तीन सत्र निश्चित रूप से वर्ष के अन्दर होने चाहिये, इसकी आवश्यकता सदन महसूस करता है और इस संबंध में तमाम विरोधी पार्टी व दूसरे लोगों की मंशा जाहिर है । मुझे आपसे यही निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

"सत्र" के स्थान पर "अधिवेशन" हो, इसमें तो आप सब की सहमति है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, "सत्र" के स्थान पर "अधिवेशन" ही होना चाहिये । मैंने अध्यक्ष महोदय से भी कह दिया था कि "सत्र" के स्थान पर "अधिवेशन" कर दिया जाय । इस संबंध में मैंने अध्यक्ष महोदय को अपनी मंशा दे रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दो दृष्टिकोण हैं जिन पर आप अपने विचार केंद्रित और सीमित करें । एक तो यह कि तीन सत्र हों, इस संबंध में तो शायद किसी को कुछ नहीं कहना है लेकिन कब कब हों, इस बारे में जैसा कि श्री रामकरन जी ने कहा तिथियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है । तो इसी पर आप अपने विचार केंद्रित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि साल में तीन दफा सेशन बुलाया जाय उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि जो तिथियां उन्होंने इसके लिए रखी हैं उनका मैं विरोध करता हूं। माननीय विकल जी खुद किसान हैं, किसानों के नुमाइन्दा हैं और उनकी पार्टी का नाम भी किसान पार्टी है। यह तिथियां सभी ऐसी हैं जो फसल काटने और बोने से संबंधित हैं। मेरा सुझाव यह है कि फसल काटने और बोने के टाइम में बिलकुल सेशन नहीं होना चाहिये। जो भी तिथियां इसमें रखी गयी हैं यह तीनों ऐसी हैं जब कि फसल बोई या काटी जाती है। मुझे इसमें कतई एतराज नहीं है कि साल में तीन बार सेशन हो, मगर यह उन तिथियों में हो जब कि फसल के बोने या काटने का समय न हो। माननीय विधायक भी खेती करते हैं। इसके अलावा फसलों के बोने और काटने में अमूमन गांव में झगड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में भी विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में रहना आवश्यक है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जायद, रबी और खरीफ तीनों फसलें ऐसी हैं कि कभी कोई कभी कोई हमेशा ही बोई और काटी जाती हैं।

श्री मुल्तानसिंह—

काटने और बोने का समय नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं भी माननीय सदस्य, दादरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इस तरह का प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया जिस पर मैं समझता हूं कि सदन में सभी करीब-करीब एक मत हैं। जहां तक मैं समझ पाया सदन में सभी इस प्रश्न पर एक मत हैं कि सदन में वर्ष में ३ अधिवेशन हों कम से कम। ज्यादा हों तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तीन, इसमें सभी एक मत हैं। किन्तु इसकी भाषा के संबंध में कुछ मतभेद है। मैं चाहूंगा कि इसकी भाषा ऐसी हो जो संविधान के अनुसार हो और सभी इसको पसन्द करेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप माननीय सदस्य दादरी और माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर तथा अन्य सम्मानित दलों के नेताओं को बुलाकर अपने कक्ष में बुलाकर, विचार विमर्श कर उसकी भाषा ऐसी बना लें जो संविधान के अनुसार हो और सबको स्वीकार हो। इसके लिए कल या परसों या जब भी आप उचित समझें आमंत्रित कर लें।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

इस प्रस्ताव पर बोलने के पहले मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्य फलां माननीय सदस्य फलां न कह कर उसकी जगह उनका नाम ले लिया करें या जिले का नाम ले लिया करें तो समझ में आ जाय। वे संसदीय प्रणाली के बड़े ज्ञाता हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, इंगलैन्ड में तो जहां इस तरह की प्रथा है क्षेत्रों का नाम लेने की, वहां ठीक हो सकती है, क्योंकि वह छोटा सा देश है, हमारे यहां इतना बड़ा देश है कि यह उपयुक्त नहीं है कि यहां भी उसी तरह का प्रयोग किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष महोदय भी नाम लेते हैं, मैं भी माननीय सदस्यों का नाम लेता हूं, इसलिये यदि कोई....

श्री बसंतलाल शर्मा—

मेरा तो कहना यह है ....

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यदि यह नहीं कहना चाहते, और वह संविधान के नियमों के विपरीत नहीं है तो ठीक है । अब आप अपनी बात खत्म कीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान मंडल की हस्तपुस्तिका जो बंटी है, जो प्रत्येक माननीय सदस्य के पास होगी और माननीय सदस्य बहराइच के पास भी होगी, उसके पेज २१ की तरफ दिलाना चाहता हूं—

"संसदीय व्यवहार"

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह वांछनीय नहीं है। (श्री शर्मा जी से) आप जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके ? (उत्तर "नहीं" मिलने पर) आप काम की बात कहिये ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

जो विकल जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसमें जो संशोधन माननीय चन्द्र भान शर्मा जी की तरफ से आया है उसका मुझे विरोध करना है। आज तो अन्तरात्मा की पुकार का युग है और इस प्रस्ताव में सभी की अन्तरात्मा का समर्थन है। केवल प्रस्ताव के शब्द 'के अनिवार्यतः' शब्द पर कुछ माननीय सदस्यों का विरोध है जो उसके स्थान पर शब्द 'साधारणतया' रखना चाहते हैं । इसमें मेरा यह निवेदन है कि तिथियां जो निश्चित की गई हैं, यदि इन तिथियों को मान लिया जाये तो हम सभी सदस्यों को एक जानकारी रहेगी कि इस तिथि को सदन के अन्दर चलना है। जहां तक राज्यपाल के अधिकारों का संबंध है, इसमें उनके अधिकारों का कोई एन्क्रोचमेंट नहीं होता है। वह तो संक्षेप में है कि वह तीन से अधिक भी सत्र बुला सकते हैं । उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां पिछले दिनों जो घटनायें घटी हैं, वे बड़ी ही शर्मनाक घटनायें हैं । मैं उनका एक ही मतलब निकालता हूं कि यह ४२६ मेम्बरों का सदन है और उनकी विभिन्न समस्यायें हैं। हम सबको अधिकार है कि हम अपनी बात को शासन के समक्ष रख सकें और प्रश्न उपस्थित कर उस पर अंकुश रख सकें । नियम ५१–५२ अब, कामरोको प्रस्ताव आदि द्वारा माननीय सदस्य इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं । मेरी बड़ी दिक्कत यह है कि आप वहां पर बैठने के बाद हमें भूल जाते हैं। बड़ा हाउस है। अतः आप हमें भूल जाते हैं जो स्वाभाविक है, आपकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ ही नहीं पाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जाये तो महीलाल जी को कोई कठिनाई नहीं होगी । इससे सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, जो कठिनाइयां आती हैं उनका निराकरण हो जायगा और इससे अशोभनीय घटनायें इस सदन में नहीं हो सकेंगी । हम अपने अपने क्षेत्रों की बातों को यहां कहना चाहते हैं इसलिये सदन का अधिवेशन कम से कम ३ बार अवश्य होना चाहिये । जो तिथियां इसमें दी गई हैं, वे बिलकुल सही हैं । जो फसलों का अड़ंगा इसमें लगाया गया है, उचित नहीं है। हम में से बहुत से काश्तकर हैं, मैं भी काश्तकार हूं । मैं समझता हूं फसलों का कोई बहाना सामने नहीं आ सकता है। सन् ५२ से मैं सदन में देख रहा हूं वर्षाकालीन, शीतकालीन और बजट अधिवेशन लगभग इन्हीं तिथियों में होते हैं । यदि यह निश्चित हो जाये और निश्चित कर दिया जाए जैसा लोक सभा में है, तो हमारे जो क्षेत्र प्रोग्राम होते हैं उनमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी और सदन का काम भी सुविधा पूर्वक चल सकेगा । उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से सदन स्वीकार करे, यह सदन की पूरी इच्छा और आकांक्षा है।

*कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र विकल जी के प्रस्ताव के उद्देश्य और उनके विचारों से पूर्णतया सहमत हूं, परन्तु मुझे खेद है कि जिस भाषा में यह प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मुझे विरोध करना पड़ेगा । मान्यवर, सदन के अधिवेशन का आधार क्या है ? इस प्रश्न पर हम विचार करें और अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको किसकी सिफारिश से है, इस पर भी हम विचार करें । इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। मान्यवर, स्पष्ट है कि हम सदन में कुछ कार्य सम्पादन करते हैं । एक तो सरकारी कार्य है । दूसरे जो ४२६ विधायक गण हैं, अपने-अपने मस्तिष्क के बल पर, अपनी-अपनी जानकारी के आधार पर जनहित में स्पीकर महोदय को और सचिव महोदय को सूचित कर के वहां भेजते हैं । तीसरे अधिवेशन काल में कभी-कभी सदन स्वतः अपने निर्णय के अनुसार यह निश्चित कर देता है कि इन-इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे । इस प्रकार से यह तीन स्रोत हैं, सदन की कार्यवाही के, और सामूहिक रूप से जब कभी ये पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो अधिवेशन बुलाने का आधार बन जाता है। मेरी निश्चित राय है कि अध्यक्ष महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वे महामान्य राज्यपाल को सलाह दें, जब कभी पर्याप्त मात्रा में विधान सभा के अधिवेशन के लिए यह काम इकट्ठा हो जाय और परामर्श देने से पूर्व वे सरकार की सुविधा जानने की दृष्टि से मुख्य मंत्री से भी परामर्श करें । मैं समझता हूं कि शायद यह पद्धति उत्तर प्रदेश में अपनायी जाती है। यदि हम इस आधार पर अधिवेशन बुलाने की इस पद्धति से सहमत हो जायं तो सारा प्रश्न हल हो जाता है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सदन इस बात को मान लेगा सर्वसम्मति से कि जब कभी भी पर्याप्त मात्रा में अधिवेशन के लिए कार्य एकत्र हो जाय तो सदन बुलाना चाहिये । संख्या तीन भी हो सकती है, चार या पांच भी हो सकती है। हमारी आपत्ति श्रीमन्, यह थी कि गत मंत्रिपरिषद काल में सदन के समक्ष सरकारी वित्तीय कार्य शेष थे, असरकारी कार्य शेष था, सदन अपनी ओर से भी विचार करने के लिए कार्य निश्चित कर चुका था, तीनों प्रकार के कार्य ऐसी मात्रा में शेष था जिसके लिए अधिवेशन बुलाना आवश्यक था । यह आपत्ति थी । मैं उसी राय का हूं । हम सब हाई पाथेटिकल बात करते हैं । फर्ज कर लीजिये कि किसी वर्ष में तीन सत्रों के लिए कार्य न हो । पहला अधिवेशन ही इतना लम्बा चल जाय कि जितना कार्य है सब पूरा कर लें । फिर दूसरा अधिवेशन बुलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्य इकट्ठा न हो पाय तो क्या यह धन का अपव्यय नहीं होगा ? अगर सदन यह निर्णय ले ले कि लाजिमी तौर से हम जरूर बैठेंगे चाहे कार्य हो या न हो ? जब कार्य होता है तो हम किस प्रकार के व्यवहार करते हैं । आप स्वयं जानते हैं। जब कार्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो दो दृष्टियों से, एक तो धन का अपव्यय न हो, दूसरे जब कार्य हो तब सदन बुलाया जाय यह "अनिवार्य" शब्द मुनासिब नहीं है। साधारणतया तीन सत्र हों यह बात समझ में आ सकती है। १९५२ से लगातार सदन कुछ वर्षों को छोड़ कर साधारणतया हर वर्ष तीन सत्र बुलाये ही जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाना आवश्यक नहीं है। कोई अध्यक्ष विधान सभा होंगे वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने को निभायेंगे । जब भी काफी कार्य एकत्र हो जायगा वे निश्चित रूप से महामान्य राज्यपाल को मशविरा देंगे सदन को बुलाने के लिए और उनको अधिवेशन बुलाने में कोई हिचक नहीं होगी । इसलिये श्रीमन्, इस प्रकार का प्रस्ताव मेरी दृष्टि में पूर्णतः अनावश्यक है। यदि इस प्रस्ताव को पेश करना माननीय सदस्य जरूरी समझते हैं तो इस प्रस्ताव में शब्द "अनिवार्य" रखने से निश्चित ही यह कभी हमको कठिनाई में डाल सकता है । परेशानी पैदा कर सकता है । जब कभी कोई काम न हो उस वक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत पेश आ सकती है।

जहां तक तिथियों का प्रश्न है तिथियों के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता है । अभी जो भाषण मैंने सुने उनसे मैं यही निष्कर्ष निकालता हूं कि सब की राय यह है कि सरकार को, अध्यक्ष विधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभा को और राज्यपाल महोदय को तिथियों से बांधना उचित नहीं है। इनका जो अधिकार है सभा को बुलाने का यह उसके विपरीत कार्य करना होगा। इन कारणों से यह प्रस्ताव जिस भाषा में व्यक्त किया गया है, वह भाषा उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। इस प्रस्ताव का फिर से निर्माण किया जाय और यह प्रस्ताव आज पास न करें.....

श्री रामचन्द्र विकल—

यह मन्त्री जी जो बात कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को आज पास न करें तो क्या उनको यह अधिकार है कि इस प्रकार से कहें कि फिर से यह आना चाहिये। यह सदन में इसके पहले पेश हो चुका है और सभी ने मन्जूर किया है। इस पर बहस हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज इस पर विचार हो रहा है तो इसी पर वह कह रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह—

विकल जी मेरे अभिप्राय को समझ नहीं सके। मेरा अभिप्राय यह था कि उनके प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की है जिसको पास करना नहीं है लेकिन उनका उद्देश्य इस प्रकार का है, जिससे मुझे सहमति है। इसलिए उनके उद्देश्य को मानते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव को लाने की जरूरत थी जिससे उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जिस भाषा में यह प्रस्तुत किया गया है विरोध करता हूं और जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकल जी ने जो प्रस्ताव सदन के सन्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो उस पर संशोधन है उसका विरोध करता हूं। इसके दो कारण हैं। अभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने कुछ सुझाव दिये। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह कहना कि सदन में कोई काम नहीं रहेगा तो उसके लिए नियम बना देना कि तीन अधिवेशन हुआ करें, यह उचित नहीं होगा, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। अगर सदन यह समझता है कि हमारे लिये कोई काम नहीं है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में संकल्प करने के लिए वह स्वयं सक्षम है। वह इस प्रकार का संकल्प करेगा कि हमारे पास इस अधिवेशन में इतने दिन का ही काम है तो वह इतने दिन ही चलेगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने फसल का अभी हवाला दिया तो मेरा निवेदन यह है कि लोक सभा की समय सारिणी को देखकर ही इस प्रस्ताव में तिथियां रखी गई हैं। लोक सभा में भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता उनको वहां भेजती है। वे प्रतिनिधि वहां जाकर जनता के भलाई के काम देखते हैं। अगर फसल ऐसे समय में होती है तो थोड़े दिनों के लिए वह कटाई को छोड़ सकते हैं। जब तक सदस्यगण यहां रहेंगे तो वे काम नहीं होंगे। यहां भी उनकी भलाई का ही काम देखना है।

तीसरी बात यह है कि यह कहा गया कि संविधान में माननीय राज्यपाल के जो अधिकार हैं या अध्यक्ष के जो अधिकार हैं वे कम होंगे। इससे उनके अधिकार कम नहीं होते हैं बल्कि संशोधन में यह कहा गया है कि निश्चय की जगह पर सिफारिश रख दिया जाय। मैं कहूंगा कि यह सदन स्वयं ही सक्षम है तो हम सिफारिश किस को करेंगे। एक बात यह भी है कि अगर सिर्फ यही रखें कि अधिवेशन साल में तीन बार हुआ करे तो सरकार की तरफ से यह होगा कि जैसा २–३ साल से होता चला आ रहा है कि २–४ दिन के लिए सदन को बुला लें और फिर समाप्त कर दें। चीफ व्हिप की मद्रास में कांफ्रेन्स हुई थी जिसने यह सिफारिश की थी कि कम से कम साल भर में १२० दिन बैठक होनी चाहिये छुटिटयों को छोड़ कर। १२० दिन की बैठक विधान सभा की तीन सत्र में होनी चाहिये।

[श्री रामधारी शास्त्री]

तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह ठीक है। छुट्टी होगी तो वह निकल जायंगी। साफ लिखा है कि लोक सभा में जो पद्धति अपनायी जाती है वही यहां अपनायी जाय। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मैं विकल जी के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और सरकारी पक्ष से जो बातें कही जा रही हैं उन पर जिद्द न की जाय और शर्मा जी का जो संशोधन हैं उसे वापस ले लिया जाय और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने दिया जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पिछले सत्र में मैंने तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न रखे थे कर्मचारियों, शिक्षकों तथा प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में वे सारे प्रश्न समाप्त हो गये और लिखित सूचना मुझ को मिली। जब से हम यहां चुन कर आये यह विधान सभा ४० दिन के लगभग बैठी, जब कि सचेतकों की सभा में मदरास में निर्णय लिया गया है कि १२० दिन विधान सभा बैठेगी। जनता की भावनाओं का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व हो सके, सप्लीमेंटरी प्रश्न किये जा सकें, नियम ५१, ५२ तथा ४९ के अन्तर्गत समस्याओं को रखने के लिये पर्याप्त समय चाहिये। लिहाजा १२० दिन का प्रस्ताव यहां भी पास होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में अनेक प्रजातन्त्र की लड़ाइयां लड़ी गयीं। इस प्रदेश का गौरव है कि तीन-तीन प्रधान मंत्री यहीं के थे और प्रजातन्त्र की मसाल सब से अधिक यहीं से जलाई गयी लेकिन यहां पर बराबर सत्रावसान कर दिया जाता है। ३० अगस्त को जिन परिस्थितियों में यहां सत्रावसान कर दिया गया उसके परिणामस्वरूप अनेक बिल तथा समस्यायें निरस्त हो गयीं। इसी सत्र में १०० प्रश्न स्वीकार मैंने कराये लेकिन एक प्रश्न एजेंडे पर ऊपर आ सका बाकी कभी ७८ और कभी ८२ नम्बर पर वे रहते हैं। वे प्रश्न जन भावनाओं को लेकर होते हैं। जब उधर के लोग इस तरफ बैठते थे तो श्री चरण सिंह जी ने श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री अनन्त राम जायसवाल के साथ यह प्रस्ताव रखा था कि तीन अधिवेशन जरूर हों। तो साधारणतया शब्द जोड़ने की बात गोलमोल है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा चन्द्रभान शर्मा से कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और किसी भी दल की सरकार हो यहां पर तीन सत्र अवश्य होने चाहिये, इस सम्बन्ध में जो विकल जी का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव श्री रामचन्द्र विकल जी का समिति में प्रस्तुत हुआ तो उस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने एडवोकेट जनरल की जो राय इस सिलसिले में मांगी थी वह समिति के सामने पढ़ कर सुनाई, किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उससे अपनी असहमति प्रकट की। यह बात सही है कि हम लोग चाहे किसी भी दल से सम्बन्धित हों इस बात से पूर्णतया सहमत थे कि असेम्बली का अधिवेशन अधिक होना चाहिये और तीन दफा जरूर होना चाहिये। इसमें करीब-करीब सभी माननीय सदस्य सहमत थे। माननीय विकल जी का यह जो प्रस्ताव है उसमें सरकार को, माननीय सदस्यों को और माननीय सदन को कुछ कठिनाई हो सकती है, मैंने विकल जी से इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे। वह यह हो सकती है कि पहली फरवरी से ७ मई तक अनिवार्य रूप से सत्र होगा, दूसरा १५ जुलाई से १५ सितम्बर तक अनिवार्य रूप से तथा तीसरा ५ नवम्बर से २२ दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से विधान सभा का सत्र होगा। इससे स्पष्ट है कि इन तिथियों में चाहे सदन के पास काम हो अथवा न हो, लेकिन अनिवार्य रूप से पहली फरवरी से बैठेंगे। उस दिन इतवार हो सकता है या और छुट्टी हो सकती है। (व्यवधान) इस दृष्टि से माननीय निकल जी का जो उद्देश्य है उससे मैं शत प्रतिशत सहमत हूं और सरकार की ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि सदन के तीन अधिवेशन होने चाहिये इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तिथियों की बात है वह ठीक नहीं है।

श्री रामकरन—

उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना है कि वर्मा जी ने कहा कि मैं सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं तो यह परम्परा और नीति का सवाल है। इसमें सरकार रहे या न रहे इसका सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं कर रहा हूं और न सरकार विरोध कर रही है। इसलिये मैंने कहा कि उसमें सोचने की आवश्यकता है, परेशानी की कोई बात नही है। सरकार को तीन अधिवेशन के लिये कोई आपत्ति नहीं है लेकिन तिथि निश्चित हो चाहे काम हो या न हो, इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। इस दृष्टि से मैं विकल जी से प्रार्थना करूंगा कि अनिवार्यतः के स्थान पर यथासम्भव कर दिया जाय। सात मई को समाप्त न होकर सत्र ३० अप्रैल को समाप्त हो सकता है। यह तो कार्य पर निर्भर है। यदि यह हो जाये तो सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विकल जी जो सुझाव 'यथासम्भव' का आया है उसके संबंध में आपका क्या विचार है?

श्री रामचन्द्र विकल—

उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज कोटर्स में तथा लोक सभा में भी है। मान लीजिये उस दिन इतवार पड़ गया तो सत्र सोमवार को हो सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं तिथि के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि लोक सभा में तिथि निश्चित हैं। उस दिन छुट्टी होने पर सत्र दूसरे दिन शुरू हो जाता है।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल यह है कि विकल जी की जो भावनायें हैं, उनसे तो सदन के सभी सदस्यों की सहमति प्रतीत होती है। इसलिये जो विकल जी का प्रस्ताव है उसमें कुछ शाब्दिक हेर-फेर करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह प्रस्ताव ट्रेजरी बेंचेज को भी स्वीकार होगा और माननीय विकल जी को भी स्वीकार होगा। उसके शब्द इस प्रकार से होंगे—"यह सदन निश्चय करता है कि लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे"।

इसके माने यह हो जायेंगे कि अगर आवश्यकता पड़ जाये तो ३ के बजाय ४ सत्र भी हो सकते हैं। इसलिये यह रखा गया है कि कम से कम ३ अधिवेशन होंगे। इसके आगे होगा—"जो यथासम्भव निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करेंगे"।

जो सारिणी है वह भी एक तरह से सिद्धान्ततः स्वीकार की जा चुकी है। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जिससे उन तारीखों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाय, इसलिये यह रखा गया है कि "यथासंभव निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करेंगे"। मेरा खयाल है कि विकल जी को यह बात स्वीकार होगी और ट्रेजरी बेंचेज तो इस बात को स्वीकार कर ही चुकी हैं। तिथियों के रखने से जो दिक्कत हो सकती है वह भी इन शब्दों के रखने से दूर हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

उद्देश्य के बारे में तो मैं समझता हूं सब लोग सहमत ही हैं कुछ शब्दों के ऊपर बात है। अगर आप १० मिनट में कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव ला सकें तो १० मिनट के लिये इन को स्थगित कर दिया जाय। सब लोग आपस में विचार कर के सर्व सम्मत प्रस्ताव लें आयें।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं आपकी इस भावना को तो स्वीकार करता हूं लेकिन १० मिनट में ये सब बातें नहीं हो पायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस पर राजी हो जायें तो अधिक समय भी रखा जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आज कार्यमंत्रणा समिति की शाम को बैठक होने वाली है। उसमें इस पर विचार कर लिया जाय। भाषा के बारें में भी वहां पर ही देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति के सामने यह विषय आ चुका है उसने कुछ निर्णय भी लिये थे जिनके अनुसार माननीय विकल जी ने यह प्रस्ताव आपके सामने रखा था। अब जो कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी, उसमें इसको रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये अभी कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव आपस में बातचीत करके आ जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सब लोग इसके बारे में करीब-करीब सम्मत हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि भावना से सब लोग सहमत हैं, कुछ शब्दों का हेर-फेर चाहते हैं। मैं समझता हूं यह अच्छा होगा कि माननीय विकल जी अपनी सहमति इसमें दे दें कि उनकी भावना के अनुसार हेर फेर शाब्दिक करके कोई प्रस्ताव आ जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

अगर कोई सर्व सम्मत प्रस्ताव आ जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर मेरे जैसा मुलायम आदमी भला किस प्रकार से इसका विरोध कर सकता है। जो कानूनी अड़चन की बात कही जाती है, एडवोकेट जनरल अगर हाउस में ही पेश हो जाते तो अच्छा था। सर्व सम्मत प्रस्ताव में मुझे कोई आपति नहीं होगी लेकिन १० मिनट में यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

विधि संबंधी और संविधान संबंधी कोई कठिनाई न तो मुझे मालूम होती है और न सदन के दिमाग में ही मुझे दिखाई पड़ती है। अच्छा हो कि सब लोग बातें करके एक सर्व सम्मत प्रस्ताव ले आयें। अगर वह १० मिनट में नहीं हो सकता तो अधिक समय उसके लिये रखा जा सकता है...

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

आधा घन्टा समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आधा घंटा के लिए हम उठते हैं। उसके बाद आधे घंटे में मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ६ मिनट पर स्थगित हुआ और २ बजकर ३६ मिनट पर सदन की कार्यवाही, श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, यह जो वादविवाद अभी चल रहा था और जिस पर अभी सदन स्थगित हुआ था उस पर यह निर्णय हुआ है कि कल तक के लिए इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाय ।

†उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, यह जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसकी भावनाओं का हम स्वागत करते हैं । यह जो विधेयक लाया गया है सचमुच इसकी आवश्यकता बहुत पहले से ही थी परन्तु अब भी आया है, कोई हर्ज नहीं । हमने जो यह संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका कारण केवल एक है । हम उसको डिले नहीं करना चाहते हैं । भाषा विधेयक बड़े महत्व का है और सिविल प्रोसीजर कोड संशोधन है परन्तु इसका नाम है राज भाषा विधेयक अधीनस्थ न्यायालय रख दिया है परन्तु यह तो बहुत बड़ा रेन्ज कवर करता है । मैं चाहता था कि इस पर भलीभांति विचार करने के लिए एक प्रवर समिति गठित हो जाय और उसके समक्ष यह मामला पेश किया जाय । हम सब इस पर एक मत हैं कि कितनी आवश्यकता है कि हिन्दी सारे देश और प्रदेश में अपना उचित स्थान प्राप्त करे और हर कार्य चाहे न्यायालय का हो अथवा सरकारी कर्मचारी हो हिन्दी में कार्य हो और उनको हिन्दी में इन सब स्थानों का कार्य संचालन करने दिया जाय । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका क्या औचित्य है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय । मान्यवर, हिन्दी में इस राज्य का सारा कार्य हो इसके लिए धीरे-धीरे पहले मन्थर गति से सरकारी पालिसी थी । ११ जनवरी, १९६४ को सरकारी आदेश निकला था कि राज्य में टाइपराइटर्स तथा टाइपिस्ट की व्यवस्था हिन्दी में की जाय और सभी कार्य हिन्दी में होना चाहिये जिससे सन् १९६५ तक सभी कार्य हिन्दी होने लगें । सन् १९६७ में इस प्रकार का एक और परिपत्र सरकार के द्वारा जारी हुआ और ऐसे अनेक परिपत्र जारी हुये । इस प्रदेश की राज भाषा हिन्दी घोषित हो चुकी है कि राज्य के सब काम में हिन्दी का प्रयोग होगा । फिर सन् १९६८ में इस प्रकार का एक और परिपत्र निकला कि सरकार का सारा कार्य हिन्दी में होगा । पहले भी यह आदेश जारी हो चुके थे कि २६-१-६८ से राज्य का सारा कार्य हिन्दी में हो । इतना होने पर भी पूर्णरूप से यह क्यों नहीं हो सका उसका एक कारण है । उत्तर प्रदेश की एक प्रतिशत जनता भी अंग्रेजी नहीं जानती है परन्तु कुछ वर्ग ऐसे हैं जो प्रशासन में अंग्रेजी को लादे रखना चाहते हैं, यह ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है ।

मुझे याद है पिछली बार जब माननीय गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप इस ओर कदम उठायें । आज भी हम देखते हैं कि जितने जिलाधीश हैं, जिलाधिकारी हैं या सचिवालय के सेक्रेटरीज या ऊपर के अधिकारी हैं, वे अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं । उस वक्त मैंने माननीय गुप्ता जी से कहा था कि हिन्दी की प्रगति मन्द है ।

---

†२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको दंडित करेंगे, लेकिन आज तक एक भी मिसाल नहीं है कि किसी अधिकारी को वार्निंग तक दी गयी हो। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव का मेम्बर हूं और वहां पर एक्जीक्यूटिव के मेम्बर्स अधिकांशतः संस्कृत के पंडित और विद्वान् हैं। संस्कृत के धुरन्धर विद्वानों के अलावा २–४ अंग्रेजी जानने वाले भी हो सकते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि सचिवालय से जो परिपत्र जाते हैं या लिखा-पढ़ी होती है वह सब अंग्रेजी में ही होती है और सब परिपत्र अंग्रेजी में भेजे गये। कलेक्टर्स के आफिसेज में जो पत्र सचिवालय से जाते हैं वे सब अधिकांशतः अंग्रेजी में ही जाते हैं। सेक्रेटरी रैंक के या उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं और जो अंग्रेजी की दासता के जमाने से है वे ही अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस ब्यूरोक्रेसी की चाहे वे आई०ए०एस० हों, पी०सी०एस० हों या आई० पी० एस० हों, आदत पड़ गयी है और इन परिवर्तित स्थितियों में वे उनको बदलना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास स्टेनोग्राफर आये और वे चिट्ठी को बोल दें और उनको कोई कष्ट न उठाना पड़े। वे हिन्दी पर्यायवाची शब्दों को याद करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। तो श्रीमन्, यह सब पर्सनल सुविधा और असुविधा को ले कर हो रहा है और इस प्रकार हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। मुझे दुःख तो इस बात का होता है कि मुख्य मंत्री के पद से निकले हुये जो आदेश होते हैं उनका भी पालन नहीं होता है। वे भी अंग्रेजी में जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि क्या फायदा है हमारी सरकार के समय-समय पर घोषणा करने से। यह मैं मानता हूं कि हिन्दी का प्रयोग हो रहा है, मगर इसकी उन्नति चारों ओर होनी चाहिये और इसका प्रयोग सभी जगह होना चाहिये।

मैं उस बात का उल्लेख तो यहां पर नहीं करना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा की क्यों आवश्यकता है और राष्ट्रीयता की दृष्टि से उसका क्या महत्व है। यहां पर एक ऐसा संगठन है जो चाहता है कि हिन्दी का हित खत्म हो जाये और उसका पर्पज डिफीट हो जाये। सरकार की नीयत तो बहुत साफ है। वह उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक लायी है। मैं मुख्य मन्त्री जी व सरकार से निवेदन करूंगा। मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि हिन्दी सब जगह हो जाये। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता हूं मगर क्या कारण है कि ४–५ वर्षों से परिपत्र जारी होने पर भी सरकारी अधिकारी आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और उनकी अवहेलना कर रहे हैं। पता नहीं आप उनसे क्यों इतना नत्थी हो गये हैं। वे आपकी बात नहीं मानते हैं। और आप डिटो करते जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना तो इत्तफाक से भूल हो गया था। जनता के आदमी जो यहां पर प्रार्थना–पत्र भेजते हैं उनका उत्तर भी अंग्रेजी में जाता है।

तो श्रीमन्, हिन्दी की ऐसी दुर्दशा हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इन सब बातों को मान ले और इन पर विचार कर ले। सरकार को चाहिये कि वह यह देखे कि जो भी लिखा-पढ़ी होती है वह हिन्दी में होती है। कोई भी छोर इस दिशा में बाकी नहीं रहना चाहिये। अदालतों के लिये मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० है और इसकी परिधि बढ़ सकती है। उस पर भी प्रवर समिति विचार कर सकती है। आज तक हिन्दी के प्रति जितनी उपेक्षा की गयी है वह नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वे एक प्रवर समिति गठित कर लें। वे चाहे ७, ८ रोज का समय या ४ रोज का समय दे दें ताकि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे सके। प्रवर समिति उन लूप होल्स का पता लगायेगी जिनके कारण हिन्दी की प्रगति मन्द गति से चल रही है। मैं मुख्य मंत्री जी की भावना को जानता हूं। उनकी यह भावना नहीं है कि हिन्दी को आदर न मिले। मुझे आशा है कि संयुक्त प्रवर समिति का गठन करने की ओर कदम उठाये जायेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय त्रिपाठी जी का जो उद्देश्य है इसको प्रवर समिति में भेजने का, उस पर हम बैठ कर विचार करेंगे कि क्यों देर होती रही है। क्यों अभी तक परिपत्र अंग्रेजी में जाते रहे हैं,

इसको भी देखा जायेगा। क्यों गवर्नमेंट की मंशा पूरी नहीं होती वगैरह वगैरह। लेकिन प्रवर समिति में यह बिल भेजा जायगा तो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से देरी होती रही है, उससे तो इसका कोई वास्ता नहीं होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह बढ़ जायगा।

श्री चरण सिंह—

कैसे बढ़ सकता है? हम तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के मातहत न्यायालयों में हिन्दी में काम होने लगे। आप कह रहे हैं कि फौरन कर दिया जाय और तो अमेंडमेंट आपका है नहीं। अमेंडमेंट और कोई हो भी नहीं सकता। आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाय। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं कि जल्दी हो जाय। अगर आपने प्रवर समिति में भेज दिया तो उसकी रिपोर्ट में चार महीने लग जायंगे। अच्छा यही होगा कि हम और आप बैठकर बात कर लेंगे। हमारा और आप का उद्देश्य एक है कि जल्दी से जल्दी हो जाय तो इसमें उसके अल्फाज बाधक नहीं होते हैं। जल्दी हो जाने वाली जो आप की भावना है उसको हम मानते हैं। लेकिन प्रवर समिति को सुपुर्द करने से यह मंशा पूरा नहीं होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मन्त्री जी यह आश्वासन दे दें कि जिन खामियों को मैंने बताया है उन्हें दूसरे तरीके से पूरा कर दिया जायगा और हिन्दी के प्रयोग करने में प्रशासन की ओर से जो ढिलाई है उसको दूर किया जावेगा तो मैं उस अमेंडमेंट को वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि यह बात इसमें नहीं आयेगी तो उसके लिये मैंने कहा था कि इसकी परिधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर वे आश्वासन दे दें.....

श्री चरण सिंह—

अगर त्रिपाठी जी और भी कोई आश्वासन चाहें तो देने की तैयार हूं। लेकिन उस आश्वासन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी बिला इस बात के लिहाज के यह आश्वासन देने के लिये तैयार हूं कि जितनी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह सत्य है कि हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं लेकिन इसमें अब भी कुछ खामियां हैं जिन पर मुख्य मन्त्री जी ध्यान देंगे। इसमें यह नहीं है कि हर न्यायालय में हर काम हिन्दी में होगा बल्कि खंड दो में देखें तो उसमें शब्द "निर्दिष्ट" है कि जिन वादों में निर्दिष्ट किया जाय। तो यह संपूर्ण नहीं है और डिस्क्रिमीनेशन है, एक तरह से वर्गीकरण कर दिया है। जिसमें आर्डर देते हैं तो हिन्दी में होगा और जिसमें आर्डर नहीं देते उसमें नहीं होगा। इस तरह का संशय इसमें है। इसलिये अगर यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया जायगा तो इस तरह की जो कमियां हैं वे दूर हो जायंगी। जहां तक बिल का सम्बन्ध है, हम इसका स्वागत करते हैं और यह तो और पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अच्छा होगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन पर मैं इसे (संशोधन को) वापस लेना चाहता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें माननीय मुख्य मन्त्री जी कि ऊपर के अधिकारी ऐसे लोगों के पास अंग्रेजी में पत्र भेजते हैं जो अंग्रेजी तो क्या हिन्दी भी नहीं जानते। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अंग्रेजी में पत्र भेजे जाते हैं। इस पर वे कृपया ध्यान दें। म इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मूल प्रस्ताव इस प्रकार है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

अधिनियम संख्या ५, १९०८ की धारा १३७ का संशोधन

२—सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १३७ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च-न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड २ में से "उस दिनांक से—नियत करें" निकाल दिया जाय। इसमें यह है कि प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे सरकार द्वारा न्यायालय के परामर्श से गजट में अभिसूचना द्वारा नियत करे। तो न्यायालय से परामर्श करने की क्या आवश्यकता है? सरकार जो दिन निश्चित करे उसी दिन से उसे लागू कर दिया जाय। तो जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि जो आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाय उसमें और देरी हो जायगी अगर प्रवर समिति गठित हो जायगी। तो यह तो देरी अनन्त हो जायगी। यह मैंने संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि जिस देरी को मुख्य मन्त्रीजी और हम भी दूर करना चाहते हैं वह देरी और हो जायगी अगर अधिकारियों के विवेक पर इसे छोड़ दिया जायगा कि जब चाहें तब समय निश्चित करें। ऐसा नहीं, समय निश्चित सरकार करे या जिस दिन से यह पारित हो जाय उस दिन से लागू हो जाय। नहीं तो जैसे और बहुत से विधेयक पड़े हुये हैं उनको लागू करने का मौका अधिकारियों को नहीं आया वैसे ही यह भी पड़ा रह जायगा। तो मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह—

मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय त्रिपाठी जी क्या चाहते हैं? वह तो प्रवर समिति को भेज रहे थे इसीलिये ताकि जल्दी हो जाय और वह सब होने के बाद फिर वहीं के वहीं रह गये तेली के बैल की तरह।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा खयाल है माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान कहीं और था। वह तो वापस ले लिया। अब खंडशः चल रहा है।

श्री चरण सिंह—

इतनी बात तो मैं भी समझ रहा हूं लेकिन प्रवर समिति को तो आप इसीलिये भेज रहे थे कि जल्दी हो। और कोई मंशा तो नहीं था?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

और मंशा था।

श्री चरण सिंह---

और मंशा तो हो ही नहीं सकता था। आप चाहते थे कि जल्दी से हो। इसीलिये आप प्रवर समिति को भेज रहे थे। मैंने कहा कि मंशा उल्टा हो जायगा। अब आप कह रहे हैं कि फौरन हो जाय। मैंने यह कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी करने की कोशिश की जायगी लेकिन फौरन कैसे हो जाय? आखिर गवर्नमेन्ट के काम ऐसे तो नहीं चलते, दस पांच दिन लग सकते हैं, जहां बरसों हो गये, १५-२० साल हो गये वहां २ हफ्ते, एक महीना और लग जायगा, केवल यह एक फार्मेलिटी की चीज है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं शायद स्पष्ट नहीं कर सका। मैं माननीय चौधरी साहब की राय से सहमत हूं और वह भी चाहते हैं कि इसमें देरी न हो। हमें भी यह विधेयक स्वीकार है लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आग और देरी न हो। यदि आप इस विधेयक को पढ़ें तो इसमें है कि "न्यायालय के परामर्श" से है तो इस के यह अर्थ हो जाते हैं जब उनकी राय होगी तभी यह लागू किया जायगा। मेरा कहना है कि न्यायालय परामर्श की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय लें और न्यायालय के निर्णय पर इसको आधारित न करें क्योंकि ऐसा करने से उनकी राय इसमें बाधक हो सकती है और ऐसा जरूर होगा वह सोचेंगे कि अंग्रेजी में ही सुविधा चल रही है और हमें इसमें कठिनाई होगी, समय वह मांगेंगे और सोचेंगे समझेंगे। इसलिये उसमें समय न जाय यह जरूरी है कि यह उन पर लादा जाय और अनिवार्य किया जाय। इसमें उनके परामर्श की बात न रहे यही मैं चाहता हूं।

श्री चरण सिंह---

हाई कोर्ट के प्रति इसमें एक सम्मान की भावना है, बाकी जो सरकार चाहेगी वही होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी---

इस तरह से तो जब तक टालना चाहेंगे तो टालेंगे, इसमें कोई समय तो निश्चित किया जाय, यह परामर्श कितने दिन तक होगा?

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें यह जो लिखा है कि 'उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।' इस को आप निकलवाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---

यह अधिकार तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है, केवल हाईकोर्ट से परामर्श लेने की बात इसमें है। जूडिशियरी का भी हमारे बराबर का स्थान है, हाईकोर्ट के सम्मान के लिये यह शब्द रखे गये हैं लेकिन अन्तिम निर्णय और अधिकार तो सरकार का ही है, उन का मशवरा लेना जरूरी है। जैसे हाई कोर्ट की बेंच की बात होती है वैसे ही गवर्नमेन्ट जो चाहे कर सकती है, उनके परामर्श से हम बंधते नहीं हैं, बहुत सी बातें हम नहीं मानते। इसमें हाईकोर्ट को भी अड़चन नहीं होगी, उनकी बात सुन तो लें। अब जब लेजिस्लेचर की यह मंशा है तो अन्तिम मास्टर तो सब चीजों का यह लेजिस्लेचर है परन्तु जूडिशियरी के प्रति एक आदर की भावना से ये शब्द रखे गये हैं। इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है केवल सम्मान देने की जरूरत है उसके बिना दुनिया में काम नहीं चलता। इसीलिये यह शब्द रखे गये हैं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वह सुप्रीम है और उसी को हक है कि वह राजभाषा या आफिशियल लैंगुएज वह डिक्लेयर करे। हमारे यहां लोगों को हिन्दी सीखने में समय लगेगा, केवल कहने से या यहां पास करने से काम नहीं चलेगा। आफिशियल लैंगुएज तभी हो सकती है

[श्री ए० सी० ग्राइस]

जब उसकी किताबें कम्पलीट हों। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर सारे देश का बंटवारा कराना है तो जरूर इसको करिये लेकिन इस तरह के बिल लाने की अभी क्या जरूरत है, आज २० साल आजादी को हो गये अभी हमने हिन्दी को बोलना सीखना शुरू किया है तो वह वक्त से होगी। परन्तु यह भी अगर निर्णय हो गया तो राज्य की राज भाषा हिन्दी होगी तो बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जायगी। जितने हमारे सीनियर आफिशियल्स हैं वे अभी तक हिन्दी नहीं सीखें हैं, उनका मेन्टल एटीट्यूड अंग्रेजी है। जितनी टैक्स्ट बुक्स हैं विज्ञान आदि की वे सभी अंग्रेजी में हैं। इसके अलावा हमारे बैरिस्टर आदि जो हैं वे हिन्दी में आरगू नहीं कर सकते हैं। अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर सोच समझ कर कोई कदम उठाया जाय क्योंकि इसको लादने का सरकार को कोई हक नहीं है। आज चारों ओर ढ्योढ़ी पीटी जाती है कि हमारी राज भाषा हिन्दी है हिन्दी है लेकिन हमारी पार्लियामेंट कहती है कि हमारी भाषाएं हिन्दी और अंग्रेजी एसोशियेटेड हैं। हमें हिन्दी को लादने का क्या अधिकार है। इस हाउस की भाषा हिन्दी हो सकती है लेकिन राज्य भाषा हिन्दी हो, यह बिल्कुल गलत है और यह नहीं हो सकता है। केवल पार्लियामेंट को अधिकार है कि इसको लागू करे। लेकिन वह कहती है कि हिन्दी और अंग्रेजी हमारी एसोशियेटेड लैंग्वेज हैं। जब तक पार्लियामेंट इसको न लागू करे मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो एक संक्षिप्त सा संशोधन रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श के बारे में उल्लेख किया है, यह सही है कि हम उच्च न्यायालय का आदर करते हैं लेकिन विधि निर्माण करने का अधिकार इस सदन को है। हमारे देश की ओर विशेष रूप से हमारे प्रदेश की राज भाषा हिन्दी है तो ऐसी परिस्थिति में यदि उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया तो बहुत देर हो जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि जुलाई में प्रवर समिति की रिपोर्ट आवेगी तो इससे भी देर हो जायगी। इस सम्बन्ध में उनकी भी स्वयं इच्छा है कि इसमें जल्दी हो और इसमें सुधार हो। सदन में हम सदस्यों में सावरेन्टी निहित है और विधि निर्माण करने का अधिकार, जैसा कि मैंने कहा, इस सदन को है। उच्च न्यायालय हमारे विधान के प्रतिपादन के मापदंड को देखता है। वह यह देखता है कि जो हमारे कानून हैं वे ठीक हैं अथवा नहीं। कानून बनाने का अधिकार हमारा है। उसके कार्यान्वयन के लिए शासन होता है जिसके हेड हमारे मुख्य मंत्री होते हैं। इसे उच्च न्यायालय की सलाह के लिए नहीं टाला जाना चाहिए क्योंकि इसमें बेकार में विलम्ब होगा। हो सकता है कि उच्च न्यायालय एक दिन में जवाब दे दे। हो सकता है कि वह इसके लिए एक महीना ले ले और एक साल भी वह उत्तर देने में ले सकता है। आज हमारी अदालतों में जो सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे मुख्य मंत्री जी के सामान्य प्रशासन में आते हैं, वे भी अपने जजमेंट हिन्दी में न देकर अंग्रेजी में ही देते हैं। इसके अलावा अगर कोई आर्डर भी प्रसारित करते हैं तो वे भी अंग्रेजी में ही होते हैं। उन्हें आज भी हिन्दी से कोई प्रेम नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में इस साधारण से संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि इससे उन्हीं के अधिकारों की सुरक्षा होगी और कार्य भी जल्दी से हो सकेगा। चूंकि यह हमारे अधिकार की बात है अतः मैं समझता हूं कि इसमें उच्च न्यायालय की कोई सलाह न ली जाय।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक इस सदन को भी मालूम है और आम जनता को भी मालूम है कि इस प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी है। हमने कई बार संकल्प

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया है लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हो सका। यह बड़ दुख की बात है कि हमारे यहां दो धारायें समानान्तर रूप से बहती हैं। एक है प्रगतिशीलता की और दूसरी है प्रतिक्रियावादिता की। मेरा ऐसा ख्याल है कि यह सदन प्रगतिशीलता की निशानी है और जो अदालतें हैं, और उच्च न्यायालय हैं वे प्रतिक्रियावादिता की निशानी हैं, ऐसा होता है कि इन दोनों में सामंजस्य बनाने की जो मुख्य धारा है वह दब जाती है। और उच्च न्यायालय के जजेज और मैजिस्ट्रेट्स इसमें कारगर हो जाते हैं। इसलिये हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात मैं और देखता हूं कि इसमें "हिन्दी होगी" के स्थान पर "हिन्दी ही रहेगी" जोड़ देना चाहिये जिसकी वजह से माननीय त्रिपाठी जी के मन में जो शंका है वह भी दूर हो जाय। मैं समझता हूं कि हम सब की मंशा यह है कि इस प्रदेश का सारा कामकाज हिन्दी में ही होना चाहिये। लोकसभा में अक्सर हमें यह प्रताड़ना सुनने को मिलती है कि हमारे उत्तर प्रदेश का सारा कामकाज हिन्दी में नहीं हो रहा है। यह भी यहां की ९ करोड़ की जनता के लिये कलंक है। माननीय त्रिपाढी जी का यह संशोधन मान लेने से यह कलंक भी दूर हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि या तो संकल्प को मान लें या इन शब्दों को जोड़ दें कि "हिन्दी ही रहेगी" तो माननीय त्रिपाठी जी की मंशा पूरी हो जायेगी।

*श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसा कहा है कि न्यायालय से परामर्श करने की बात को, केवल उनको आदर देने के खयाल से रखा गया है। मेरा कहना यह है कि यहां पर जो बिल, अधिनियम या विधेयक पास होता है उसमें हम राज भाषा हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। इसमें किसी दूसरे से परामर्श करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बल्कि इससे तो हमारी अवमानना होती है अगर हम इसको छोड़ देते हैं हाईकोर्ट के आधार पर। हमारी राज्य भाषा हिन्दी है और इसके ऊपर हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। अगर हम उनके परामर्श पर छोड़ देंगे तो पता नहीं वे कब तक परामर्श देंगे या नहीं देंगे क्योंकि वे तो चाहते हैं कि अंग्रेजी राजभाषा बनी रहे। इसलिये उनका परामर्श का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिये। अपने नियमों में चाहे जो कुछ संशोधन कर लें इतने दिनों में फलां से परामर्श करके इसको लागू कर देंगे।

श्री बलवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो त्रिपाठी जी से इतना ही कहूंगा कि इस में से अगर इन शब्दों को निकाल देते हैं—"हाई कोर्ट से परामर्श लेने की जो बात है", तो मेरे ख्याल से वह अच्छा नहीं मालूम देता क्योंकि जैसा कि चौधरी साहब ने भी आश्वासन दिया है, इस में केवल हाई कोर्ट से परामर्श करने की बात है, जल्दी तो हम करेंगे ही, देरी की कोई बात होगी तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये और अड़चन की कोई बात नहीं रह जायेगी। इस लिए माननीय त्रपाठी जी से मेरा निवेदन है कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि हम ने इस का ध्यान रखा है कि इस में देरी न होने पावे लेकिन हमें अदालतों और हाई कोर्ट को आदर देना है इसी मंशा से यह रखा गया है। श्रीमन्, मुझे यह तर्क कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट वालों ने एक रूलिंग दी और बहस करते-करते यह कह दिया कि अगर विधायकों के पास बुद्धि नहीं होती, भगवान ने उन को बुद्धि नहीं दी तो हम उन को बुद्धि देने नहीं जायेंगे। हम तो अपने तरीके से ऐक्ट का इन्टरप्रिटेशन करेंगे। इस इन्टरप्रिटेशन से न मालूम कितनों का नुकसान हुआ हो, लेकिन वे तो अपनी भावना के अनुसार ही काम करेंगे। मैं किसी प्रतिशोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

की भावना से यह बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह सोचने की बात है कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और हम अपने क्षेत्र मे स्वतंत्र हैं और इस लिए हमें एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिये। लेजिस्लेचर का काम है कि वह कोई कानून बनावे और अदालतें उनका इन्टरप्रिटेशन करें। जिसका नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के लिए भला बुरा कहा गया। हम मान्यवर, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, इस प्रक्रम में उन के लिए सम्मान का कोई स्थान नहीं है। हम तो एक चीज चाहते हैं कि हिन्दी जल्दी से लागू हो। हमारे ग्राइस साहब की भावना को देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, मगर आज एक परसेंट भी लोग अंग्रेजी जानने वाले नहीं हैं। फिर हाई कोर्ट में जितने केसेज जाते हैं उन में ९९ फी सदी ऐसे लोगों के होते हैं जो जाहिल होते हैं, अंग्रेजी नहीं जानने वाले होते हैं। तो उन के ऊपर अंग्रेजी भाषा को लादा जाय यह बड़ा ही अन्याय है। मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री हिन्दी के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना मैं हूं, मगर मैं इस संशोधन को वापस लेने को तैयार नहीं हूं, मेरी इच्छा है इसे आप सदन के समक्ष रख दें। आज कल की उलट फेर में, मान्यवर यह भी हो सकता है कि कोई सरकार आये और उसको ४ वर्ष के लिए रोक दें या जस्टिस ब्रूम की तरह का कोई जस्टिस यह कह दे कि हमें यह स्वीकार नहीं है और माननीय मुख्य मन्त्री उसे डिटो कर दें। इसलिए मैंने जो संशोधन रखा है वह आवश्यक है बड़ी सीधी भावना से इसको रखा है। सरकार को इसे मान लेना चाहिये।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय माधव प्रसाद जी को अपनी राय का न कर सका। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने भले ही हमारे लिए कुछ कहा हो, लेकिन हमें हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों का सम्मान रखना ही होगा और ऐसा ही करना हमारे देश और प्रदेश के हित में है। अगर हमें डेमोक्रैसी को चलाना है तो उनका आदर करना होगा। जितनी हम इन की इज्जत बढ़ायेंगे, उतना ही हम प्रजातन्त्र की रक्षा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल करने में जो कठिनाइयां हो सकती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगें, लेकिन हो सकता है कि इसमें महीना दो महीना लग जाय। अब ऐक्ट अगर आप ने पास कर दिया, बाद को उससे कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो उससे पब्लिक इन्टरेस्ट का ही नुकसान होगा। हमारी पूरी मंशा जल्दी से जल्दी इसको करने की है। मैं माननीय त्रिपाठी जी की भावना की और अपने दूसरे मित्रों की भावनाओं की बड़ी कद्र करता हूं, लेकिन जहां साढ़े २२ वर्ष हो गये, वहां अगर महीना दो महीना और रुक जायें, तो कोई आसमान नहीं गिर जायेगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि माननीय त्रिपाठी जी अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे गलत न समझा जाय, मैं सब से बड़ा जूडिशियरी को मानने वाला हूं, उसके सम्मान में मैं सदैव नतमस्तक हूं, उस के फैसले के लिए नत मस्तक हूं और उसकी इज्जत करता हूं। परन्तु कानून बनाते समय नहीं। माननीय मुख्य मन्त्री कहते हैं कि महीना दो महीना लग जायेगा। फिर उस में वही महीना दो महीना ही रख दिया जाय। इसलिए मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में से "उस दिनांक से.....नियत करें" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड ३

अधिनियम संख्या ५, १८९८ की धारा ३६७ का संशोधन ।

३—दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३६७ की उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायें, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी ।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं खंड ३ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—खंड ३ में से "उस दिनांक से..... द्वारा नियत करे" निकाल दिया जाय । मेरा तर्क वही है जो मैं दे चुका हूं । उन्हें दोहराना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में से "उस दिनांक से.....द्वारा नियत करे" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड ४

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९७० का निरसन ।

४—उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७०, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के अन्त में निम्नलिखित लिख दिया जाय—

"(३) यह तुरन्त प्रभावी होगा।"

इसके तर्क वही हैं जो पहले दे चुका हूं। इसका उद्देश्य यह है कि जिस दिन विधेयक पास हो, उसी दिन लागू हो जाय। यह तभी हो सकता था जो मैंने लिखा था कि उसे परामर्श करने के बाद लागू करेंगे, यह न होगा। इस लिए दोहराना नहीं चाहता।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलबीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०†

खाद्य तथा रसद उप मन्त्री (श्री राम किंकर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।

मान्यवर, इस टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट का इतिहास बड़ा दुखद है । यह टेम्पोरेरी विधेयक सन् १९४७ में पास किया गया । उसके बाद कांग्रेस सरकार आयी तथा उसकी जो जुज उसमें से निकली हैं, किसी का प्रशासन आया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया । उसके मस्तिष्क में "टेम्पोरेरी" शब्द का अर्थ समझ में आया ही नहीं । पिछले अनेक बार टेम्पोरेरी रेंट कन्ट्रोल एक्ट जो है, उस पर एक कम्प्रिहेंसिव ऐक्ट लाने की बात आयी और मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों ने यह वचन दिया कि हम एक कम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे, इस पर पुनर्विचार करेंगे । किन्तु १९५१—५३ तक ही की बिल्डिंग पर इसे लागू किया गया और उसके बाद आज लगभग १७ वर्ष हो गये, परन्तु इस १७ वर्ष में अवसर नहीं आया कि इस पर ध्यान दे सरकार । कोई संशोधन नहीं ला सके इस पर, कोई कम्प्रिहेंसिव बिल नहीं ला सके । मुझे अच्छी तरह याद है इस पर करोड़ों निर्णय हाई कोर्ट के हो चुके होंगे जिसमें यह हुआ होगा कि लेजिस्लेचर पर स्ट्रिक्चर के रूप में रिमार्क किया गया होगा कि हम लोग इस पर ध्यान दें । आज जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । एक बिल्डिंग खाली हुई, उस पर रूलिंग हुई फिर वह अवसर पाया उस के अनुरूप काम किया और १—२ वर्ष में दूसरी रूलिंग उस पर हो गयी । कई बार हेर-फेर रूलिंग का होता रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे विधि विशेषज्ञ कैसे हैं कि जो इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं । आखिर विधि डिपार्टमेंट किस लिए है । जब विधि में खामियां बतायी जाती हैं और कहा जाता है कि वह ठीक नहीं बना था, इस विधान सभा ने ठीक कानून नहीं बनाया, अमुक अमुक, गलतियां हैं, तो इसे विभाग द्वारा तुरन्त न ठीक किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

चाहे टेनेन्ट्स हों, चाहे लैण्ड लार्ड्स दोनों ही इससे बुरी तरह परेशान हैं । इसमें संशोधन होना चाहिये, तो यह सरकार के सामने इसे क्यों नहीं लाते ? यदि लाते हैं तो सरकार को और दुनिया भर के काम करने की फुरसत है, लेकिन इस पर कम्प्रेहेंसिव बिल लाने की फुरसत नहीं है। अब कहा जा रहा है कि १९७० तक के लिए इसे जारी रखा जाये । इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है । इसकी कमी को दूर करने का किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया । जनता कराह रही है, चाहे वह लखनऊ की हो, चाहे बस्ती की हो, टेनेन्ट्स और मकान मालिक सभी इससे परेशान हैं और इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है । चाहे मरम्मत कराने का प्रश्न हो, चाहे बेदखली कराने का प्रश्न हो, सभी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं । आज कहा जाता है कि समय के परिवर्तन के अनुसार कानून में भी परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन जिसमें करोड़ों

---

†२६—२—७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

आदमी प्रभावित हैं उसपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक आज का यह कानून है। इसका एक बार एसोशिएशंस में विधि ज्ञाताओं की राय जानने के लिए घुमाया जाए तो बहुत अच्छा हो। महत्वपूर्ण कानून के सम्बन्ध में ऐसा करना जरूरी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इससे हमारे मंत्री महोदय के सामने इसकी खामियां आ जाएंगी और वह उस पर विचार करें और सही रूप में इस कानून को लायें। इसका आज कोई औचित्य नहीं है कि आज २० वर्ष से ज्यादा यानी २३ वर्ष हो गये और इसमें एक लफ्ज का भी संशोधन नहीं हुआ। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैंने यह कहा था कि आज जिसके कारण मकान मालिक और किरायेदार दोनों ही कराह रहे हैं उन असुविधाओं को दूर किया जाय। उनमें संशोधन किया जाय जिसमें दोनों को राहत मिले। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जहां पर इसमें सुधार हो सके। इसमें हमारा दोष नहीं है कि अब ४ रोज ही लेजिस्लेचर के बन्द होने के रह गये हैं और इसकी उमर खतम हो रही है तो इसकी मियाद ३० सितम्बर तक और बढ़ा दी जाय। क्यों नहीं सरकार इसको पहले ले आई। एक कास्प्रेहेन्सिब बिल सामने आना चाहिये था जो समाज की कठिनाईयों को दूर करता। इसमें हमारा अपराध नहीं है कि सरकार इसको नहीं लाई। इन भावनाओं को रखकर मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाय। ४ रोज ही रह गये हैं इसलिए मियाद बढ़ायी जाय यह दलील देना है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं इसलिए कि जिस भोलेपन से उन्होंने तकरीर की है इससे बहुत लोग बहक सकते हैं अगर उनको वाक्यात मालूम न हों। सरकार वह पहले थी जिसने ऐसा नहीं किया। इस सरकार ने नहीं किया। जब आप जानते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया बल्कि आपके नये दोस्तों ने जो पहले सरकार बनाई थी उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि आप चाहते थे। तो यह उनका ही दोष रहा....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम तो आपको भी अपना दोस्त मानते हैं। आप नहीं समझते।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह तो थोड़े दिन से ही साथ है माननीय चरणसिंह तो उस सरकार के १८ वर्ष तक साथ रहे तो उनका ज्यादा सम्बन्ध रहा है।

श्री चरण सिंह—

२६ फरवरी, १९६९ को वह सरकार बनी और ३० सितम्बर को इस कानून की मियाद खतम होने वाली थी तो ७ महीने का समय था। उस समय में उन्होंने नहीं बनाया तो यह हमारा दोष नहीं है। फिर ३१ अगस्त को सत्रावसान कर दिया गया जब कि उस कानून की मियाद नया कानून पास करने से या संशोधन विधेयक पास करके बढ़ानी चाहिये थी ३० सितम्बर से आगे की लेकिन सत्रावसान हो गया। आर्डिनेन्स जारी किया गया और उसके जरिये से इसकी मियाद ६ महीने बढ़ाई गयी लेकिन ६ महीने तक भी उनको फुरसत नहीं मिली। ३० सितम्बर से ३१ मार्च तक उनको मौका नहीं मिला कि बिल ले आते लेकिन वह नहीं लाये। इसमें दोष किसका है? अगर त्रिपाठी जी को इसी में तसल्ली हो और मैं इस बात को कह दूं कि इसमें दोष हमारा है तो दुनिया इसको नहीं मानेगी और उनका जमीर भी इस बात को नहीं मानेगा।

जब १९६७ में संविद की सरकार थी तो हमने करीब-करीब वह बिल तैयार कर लिया था और सिर्फ मंत्रि-परिषद् में उसको जाना था लेकिन मन्त्रि-परिषद् की बैठक नहीं हो सकी और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो वह बिल पहले से तैयार है। अगर हमारे दोस्त की

पुरानी सरकार, कृष्णानन्द राय जी वाली सरकार चाहती तो उस बिल को उठाकर थोड़ा बहुत संशोधन करके ले आती लेकिन वह नहीं लाई। वह बिल तैयार है। मैं अपने मित्र को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जुलाई तक हम इसको एप्रुव करके गजट में छपवा देंगे। अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है और मेरे दोस्तों ने देखा है। अब इस बिल की मियाद ३० सितम्बर तक बढ़ाने के लिए यह पेश किया गया है। अगर प्रवर समिति को यह सुपुर्द कर दिया गया तो उस बिल पर विचार नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह संशोधन त्रिपाठी जी वापस लेंगे ऐसी मुझे आशा है। इस संशोधन से उनकी यही मन्शा है कि नया कानून बनाने के लिए या संशोधन विधेयक लाने के लिए उस महत्व की तरफ ध्यान आकर्षित हो तो वह उनका मन्शा पूरा हो गया। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं लेकिन यह संशोधन कोई महत्व नहीं रखता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इन आश्वासनों के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेण्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। — संक्षिप्त ना

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६९" के स्थान पर संख्या "१९७०" रख दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उ०प्र० अध्यादेश सं० ५, १९६९ का निरसन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम किंकर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन। (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७०†

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

३१ दिसम्बर, १९६९ को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ को यहां प्रख्यापित किया गया था और अब उसी को विधेयक के रूप में ला कर पेश किया गया है।

इस प्रदेश के उत्तराखंड डिवीजन में तीन जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में अन्तरिम जिला परिषद कार्य कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश जिला परिषद् ऐक्ट, १९५८ के तहत में कार्य कर रहे हैं, इस ऐक्ट में सन् ६३ में संशोधन करके इसका कार्यकाल १८ दिसम्बर, ६७ तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद प्रेसीडेंट ऐक्ट, ६७ के माध्यम से इन जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, ६९ तक बढ़ा दिया गया था और ३१ दिसम्बर, ६७ और २८ जून, ६८ के बीच जब यह प्रेसीडेंट ऐक्ट लागू किया गया था उसे अधिनियमित नहीं किया जा सका अब सोचा यह गया कि इन जिला परिषदों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाय। कारण यह है कि अभी जिला परिषदों का चुनाव कराने की स्थिति में सरकार नहीं थी। सोचा यह गया कि प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ जिला परिषद स्थापित किये जायं, इसलिये उचित यह समझा गया कि एक वर्ष के लिए अन्तरिम जिला परिषद इन तीन पहाड़ी जिलों में चालू रखे जायं। इसलिये इन दो उद्देश्यों को लेकर यह विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सिपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अन्तरिम जिला परिषदों के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान बहुत बार आकृष्ट किया गया होगा। इनमें बहुत गड़बड़ी है और चौधरी साहब भी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। आज जिला परिषदों के अध्यक्षों द्वारा अध्यापकों को कितना तबाह किया जा रहा है। प्राइमरी मास्टरों को ४, ५ महीने तक तनख्वाह नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष लोग यह जान कर कि अब हमें जाना है खुले हाथ लूट मचा रहे हैं। आज एक भी अध्यक्ष ऐसा नहीं है। मैंने कोट किया था एक-आध ही मुश्किल से ऐसा अध्यक्ष मिल सकेगा जिस पर हम उंगली रख सकें कि यह सही आदमी है। आज जिला परिषदों के अध्यक्षों की यह हालत है कि कहीं सड़क नहीं बन रही है, कहीं सड़के उनके लिए रो रही हैं, कहीं अध्यापक उनके लिए रो रहे हैं और शिक्षा तो जहन्नुम में चली गई है। सामान खरीदने में इन्होंने लाखों रुपये बनाये हैं, अध्यापकों की नियुक्ति में लाखों रुपये बनाये हैं। पूरे प्रदेश भर में २, ४ जिले ही ऐसे होंगे जहां बदबू दूर से न आती हो। चर्चिल कहा करते थे कि this administration is stinki g from the dist nce" जिला परिषदों

---

†२६-२-७० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रशासन में दूर से ही बदबू आती है। मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब कोई रास्ता निकालते जिससे इस बदबूदार प्रशासन में सुधार होता। आज लाखों रुपये इन लोगों की जेबों में जा रहे हैं। वे स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं इसीलिये मैंने यह संशोधन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है।

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर के घंटे में मैंने जिक्र किया था और सदन को सूचना दी थी कि प्रदेश के ५१ जिला परिषदों में से ३७ जिला परिषदों के संबंध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और सरकार इससे चिंतित है। जहां तक इसका संबंध है सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि इनको कैसे दूर किया जाय। लेकिन इन जिला परिषदों का इन अन्तरिम परिषदों से जिनका कार्यकाल बढ़ाने का लक्ष्य इस विधेयक द्वारा है, कोई संबंध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार तैयार है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में, मैं अपने विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मान्यवर, चाहे एक जिला परिषद् की बात हो या सम्पूर्ण प्रदेश के जिला परिषदों की बात हो, इसका सीधा संबंध देहाती जनता से तथा जो नये नागरिक बनाने वाले अध्यापक हैं उनसे है। २०, २५ साल में जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इन्होंने ऐसा करुण दृश्य उत्पन्न कर दिया है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। अपने निकट के लोगों को लूटने की गरज से इस प्रशासन में जिसमें चौधरी साहब भी शरीक रहे हैं २० साल से, एप्वाइंट कर दिया बैल की दुम में टिकट बांध कर देहाती क्षेत्र पर। ये लोग मनमाने जुल्म देहात की जनता के ऊपर करते रहे हैं। सड़कों की बुरी दशा है। नवाबगंज जिला बरेली की बात मैं जानता हूं कि शीशम का एक-एक पेड़, ५, ५ रुपये में नीलाम कर दिया गया। शिक्षा की भी बहुत बुरी दशा है। अपने बालकों को तो यह मांटेसरी और किंडर गार्टन में शिक्षा दिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार में जा रहे हैं। अपने को संशोधन तक ही सीमित रखिये।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं अभी खत्म किये देता हूं।

श्रीमन्, जो मास्टर इनके स्कूलों में अध्यापक का कार्य करते हैं उनको ६–६ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। शिक्षा को तो इन्होंने चौपट ही कर दिया है। इसलिये यह जो संशोधन माधव प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं तो कहता हूं कि चौधरी साहब क्यों नहीं इनको सुपरसीड कर देते हैं, क्यों नहीं उनको सरकारी प्रशासन में लेते हैं। इन कारणों से मैं प्रवर समिति को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उधर से जो आश्वासन दिया गया है उससे मैं यह सोच रहा हूं कि इसको वापस ले लूं लेकिन उसके पहले मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं इस बारे में बिलकुल निश्चित हूं कि सूबे में जिला परिषदों में बहुत गड़बड़ी है।

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय अन्तरिम जिला परिषदों का मामला सदन के विचाराधीन है। मैंने विधेयक को प्रस्तुत करते समय ही यह कहा था कि

[श्री शिवराज सिंह]

इस विधेयक का संबंध केवल ३ जिलों से है और अन्तरिम जिला परिषदों से है, उसके सिलसिले में भला क्यों कर जिला परिषदों पर बहस हो सकती है और क्योंकर जिला परिषद् ऐक्ट के बारे में चर्चा की जा सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जनरल डिस्कशन में हम किसी एक पंक्ति तक तो अपने आपको सीमित नहीं रख सकते। उससे संबंधित जो तर्क होंगे, उनको हमें अवश्य ही देना होगा। अगर आपका इस संबंध में कोई और मार्ग दर्शन होगा तो दूसरी बात है। मैंने प्रारम्भ में भी कह दिया था कि इसके द्वारा मैं सरकार को कुछ बतला देना चाहता हूं। सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला परिषदों में क्या गड़बड़ी है। मैं भी स्वयं उत्सुक हूं कि इस संशोधन को विदड्रा कर लूं। मैं समझता हूं कि चौधरी साहब भी इसके लिए चिंतित होंगे कि जिला परिषदों की गड़बड़ी को दूर किया जाय जिला परिषदों को सुधारने के लिये जो कदम उठाया जाना चाहिये वह अवश्य उठाया जाय। गड़बड़ आदमियों को कभी भी क्षमा न किया जाय लेकिन जिस भावना से आज की राजनीति चल रही है, उसकी गंध उसमें न आने पाये। राजनीति के दृष्टिकोण से किसी के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से) आप चाहें तो भाषण दे सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अब तो मैंने कह दिया कि मैं इसको वापस लेता हूं।

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अवसान के होते हुए भी, उक्त अधिनियम, जहां तक कि वह चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों से संबंधित है, पुनः अधिनियमित किया गया समझा जायगा और ३१ दिसम्बर, १९७० तक प्रवृत्त बना रहेगा, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) इस प्रकार प्रभावी होगी मानों शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त हो जायेगी।" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९७० को समाप्त हो जायेगी," रख दिये गये हों।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

वैधीकरण

३---शंकाओं के निराकरण के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन के तात्पर्यित निर्वहन में ३१ दिसम्बर, १९६७ को या तत्पश्चात किया गया कोई कार्य, या की गई कोई कार्यवाही, या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उदगृहीत किया गया कोई कर या पथ-कर या लिया गया शुल्क आता है, इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानों वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उदगृहीत किया गया या लिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में असफलता से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या असफलता ३१ दिसम्बर, १९६७ को या तत्पश्चात् और २८ जून, १९५८ से पूर्व हुई हो ।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

खंड ३ में मेरा भी संशोधन है, टेक्निकल संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास संशोधन नहीं है ।

श्री भारत सिंह चौहान---

खंड ३ में तीसरी पंक्ति में 'क' के स्थान पर 'के' कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ में तीसरी पंक्ति में 'क' के स्थान पर 'के' कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १९, १९६८ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९ १९६९ का निरसन

१---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियम और चालू रखा जाना) विधेयक १९७०

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियमन, १९५८ के पुनः अधिनियमन और चालू रखे जाने का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिल परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) यह १ जनवरी, १९६८ को प्रदत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० जैसाकि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०†

*कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४, तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ के उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करने को प्रस्तुत किया गया है । इसके अलावा कुछ उपबन्धों में परिवर्तन किया गया है ताकि मंडियों में क्रय-विक्रय के कार्यक्रम में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकें । साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी को अधिनियम में कृषि उत्पादन परिभाषा में सम्मिलित करने में आपत्ति की थी । श्रीमन्, इसके निवारण हेतु यह विधेयक आप के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करने के लिये अनुमति देगा ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

---

†२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि जितने विधेयक आज विचाराधीन हैं सभी में मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने की प्रार्थना की है। कारण क्या है ? कारण यह है कि इतनी जल्दी में विधेयक लाकर सरकार घुड़दौड़ करना चाहती है और जिन अनियमितताओं को रेग्युलराइज करना चाहती है वह इससे और बढ़ेगी। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा है। अब इस संदर्भ में, मैं इस मंडी विधेयक को भी आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग २५० मुख्य मंडियां हैं और इतनी ही संख्या में गौड़ मंडियां हैं। अब तक उक्त अधिनियम के अधीन ७९ मंडियां विनियमित हो चुकी हैं।

मान्यवर, हमने जहां पर बिना सोचे समझे इस विधेयक को लागू किया है उसके कारण जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं वे तबाह हैं। चौधरी साहब यह कह सकते हैं कि यह तो हम नहीं जानते और इसको तो पहले वाली सरकार जानती है। जो विधेयक है वह पहले वाली या पीछे वाली सरकार से सम्बन्धित नहीं है और इन बातों के ऊपर विचार करते समय जो कोई भी सरकार आई हम उससे उचित बात की ही आशा करते हैं। अगर पुरानी वाली सरकार अच्छी थी तो आप क्यों आये ? अब इस समय पर विचार करना आवश्यक है कि इसमें कोई कमी रहने से आपको फिर से विधेयक न बनाना पड़े ताकि किसी प्रकार की नुक्ताचीनी का अवसर न आये। इसलिये श्रीमन्, मैंने इसको रखा है। आप देखेंगे कि यह जो विधेयक हमारे सामने है, यह कितना बड़ा है। यह तीन पन्ने का है और पांच मिनट में आप इसको पास करवा लेना चाहते हैं। उन्होंने भी इस पर विचार नहीं किया है इसको वे मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो प्रस्ताव रखे हैं वे बिलकुल ही उचित है और उनको स्वीकार करना चाहिये।

*श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह अध्यादेश अधिनियम विधेयक सदन में कई रोज पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका था। यह आवश्यक है कि जो विधेयक विचारार्थ सदन के पटल पर रखा जाता है, माननीय सदस्यगण उसका नोटिस लें और वे उसको निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे और जो उनके सुझाव होंगे उनको संशोधन के रूप में देंगे। इसमें एक सूची नत्थी है "छ" उसमें काफी संशोधन हैं। उनको मैंने देखा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनसे कठिनाइयों के निवारण में कोई चीज सहायक नहीं है। इस कारण यह कहना कि प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिये, से मैं सहमत नहीं हूं। सदस्यों को पूरी आजादी थी कि वह कोई भी संशोधन प्रस्तुत कर सकते और उस पर विचार किया जा सकता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के कारण गुड़, राब, शक्कर आदि को भी कृषि उत्पादन में मान लिया जाय और जो प्रस्तुत विधेयक है उसको भी देखें कि उसमें बड़ी विस्तृत सूची हमने दे दी है। कृषि उत्पादन में उद्यान उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पशु पालन उत्पादन, वन उत्पादन आदि जितने भी प्रकार के उत्पादन सोचे जा सकते थे, वे उसमें हैं। जितने भी प्रकार की कठिनाइयां इसमें हो सकती थीं उनका निराकरण करने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय माधवप्रसाद जी त्रिपाठी इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इस विधेयक पर अपने सुझाव देंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहता था परन्तु कृषि मंत्री जी ने जो कहा इस कारण हमको बोलना पड़ रहा है। यह बात सही है कि कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पर एक प्रवर समिति बैठनी चाहिये। उन्होंने दलील दी कि माननीय सदस्य नोटिस नहीं लेते हैं और उन्होंने यह भी मन्तव्य कर लिया कि इस के खंडों में बहुत से संशोधन आये हैं। यह आवश्यक है कि इसके लिये एक प्रवर समिति का गठन कर लिया जाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि खंडों में संशोधन व्यक्तिगत विचारों के अनुसार आते हैं और प्रवर समिति में बैठ कर सामूहिक डिस्कशन होता है, एक दूसरे की राय ली जाती है, विचारों का आदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

प्रधान होता है और एक दूसरे के परामर्श से एक चीज तय होती है। यह पंचायती राज्य का जमाना है। तो ऐसी स्थिति में मंत्री जी की दलील समझ में नहीं आती है।

प्रवर समिति की परिधि के बढ़ने के बारे में जो संशोधन में कहा गया है वह सही है, क्योंकि कृषि उत्पादन मंडी विधेयक जब बनाया गया था तब माननीय चरण सिंह जी भी सरकार में सम्मिलित थे और आदरणीय गेंदा सिंह कृषि मंत्री थे। उनकी दिलचस्पी लेने की मंशा यह थी कि जो गरीब किसान अपना गल्ला पैदा करके बाजार में लाता है उसका शोषण न हो सके और वह शोषक वर्ग का शिकार न होने पाये। वास्तव में यह नहीं हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि प्रेक्टिकल रूप में यह नहीं हो रहा है। इसका कृषक वर्ग को कोई लाभ नही हो रहा है। मैं पश्चिमी जिलों की बाबत तो नहीं कह सकता हूं, मगर पूर्वी जिलों मे कृषकों को इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। इस विधेयक में बहुत सी खामियां रह गई हैं और सम्भवतः यह होना चाहिये था कि प्रवर समिति इन सब पर विचार करती। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या बार-बार इस सदन का समय नष्ट किया जायेगा? जो संशोधन आये हैं उन पर विचार होना बड़ा जरूरी है और वे उपयुक्त हैं, इनको माना जाना चाहिये और इसे प्रवर समिति में भेजना चाहिए। इस संबंध में सामूहिक विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। जो इसमें त्रुटियां रह गयी हैं उनको दूर करना आवश्यक है। हमारे मुख्य मंत्रीजी किसानों के बड़े हामी बनते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का स्वागत करता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

हमारे मन्त्री जी ने बड़े मीठे तरीके से आक्षेप किया कि जब बिल्स रखे जाते हैं तो उनसे यानी माननीय सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे उनको देखेंगे। उनके इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अच्छी तरह से उसे पढ़ा है और जो विचार श्री बसन्त लाल शर्मा ने व्यक्त किये, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। जो संशोधन खंडों पर रखे गये हैं, वे आपके सामने हैं। उन पर विचार होना आवश्यक है। जब हम परिधि बढ़ने की बात कहते हैं तो हम कुछ बातें सोचकर कहते हैं। ऐक्ट एज ए होल जो बना हुआ है उससे कृषक और छोटे-छोटे व्यापारियों का कोई लाभ नहीं होगा। इसमें अनेक ऐसी खामियां हैं जो विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। वे बहुत महत्व की हैं और उन पर विचार होना नितान्त आवश्यक है। आप १७ मर्तबा संशोधन लावेंगे। कितना सदन का समय नष्ट होगा और कितना रुपया बर्बाद होगा। इससे बेहतर था कि एक बार बैठकर हम भली-भांति उन पर विचार करते और एक ही बार संशोधन लाते ताकि दुबारा संशोधन लाने की नौबत न आती। अगर यह प्रवर समिति में जाता है तो हम बुद्धिमत्तापूर्वक उसमें विचार करेंगे। आपने एक सेक्शन में अगर संशोधन रखा है तो हम दूसरे में कर सकते हैं। इससे बार-बार टेक्सपेयर का पैसा नष्ट होगा और सदन का समय भी बेकार जायेगा इसी दृष्टि से मैंने प्रवर समिति का सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से प्रश्न निहित हैं। मूल ऐक्ट में भी बहुत सी खराबियां हैं। उन पर विचार करने का भी अवसर नहीं दिया। इस दृष्टि से मेरा आग्रह है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं और विचारों से भी सहमत हूं, परन्तु मेरी कठिनाई को आप समझने की कोशिश करें। आपसे तात्पर्य है श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से। मैंने प्रारम्भ ही में कहा था कि इस अध्यादेश लाने के क्या कारण थे। इसका कारण यह था कि उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में गुड़, शक्कर, राब, जेगरी आदि को कृषि उत्पादन में सम्मिलित करने पर आपत्ति की थी। मान्यवर इसको हम सब जानते हैं। प्रत्येक मंडी में गुड़, राव, शक्कर इत्यादि का क्रय-विक्रय प्रारम्भ हो गया और बड़ी तेजी पर किया जा रहा है। उस क्रय-विक्रय को अधिनियमित करने की बहुत बड़ी जरूरत है अन्यथा किसानों और व्यापारियों को जो आज इस में लगे हुये हैं, बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायंगीं। इसी उद्देश्य से अध्यादेश

प्रख्यापित किया गया था और उस अध्यादेश को अधिनियमित करने की दृष्टि से यह विधेयक रखा है । मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे गुड़ और शक्कर के हित और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव को वापस लेंगे और जो भी उनके सुझाव होंगे हम उन्हें किसी न किसी रूप में इस विधेयक में लाने की कोशिश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५, १९६४ की धारा २ का संशोधन

"(क) 'कृषि-उत्पादन' का तात्पर्य कृषि, उद्यान-कर्म, द्राक्षा-कृषि, मधु मक्खी पालन, कोश-कीट-पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु-पालन, या बन उत्पाद, की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संशोधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी तथा जगरी भी है ।"

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में '४' के स्थान पर '२' रखा जाय एवं "और सदैव रखा गया समझा जाय" हटा दिया जाय ।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कटाक्ष किया था कि जितने विधेयक आते हैं उन्हें सदस्य पढ़ते नहीं । मंत्री जी हमें बतलादें कि क्या उन्होंने इसको पढ़ा या उनके सचिव या स्टाफ ने पढ़ा कि यहां दो होना चाहिये या ४ होना चाहिये । इसी के साथ-साथ मूल अधिनियम को देखें ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, प्रस्तुत संशोधन के पहले भाग को मैं स्वीकार करता हूं कि खंड २ में ४ के स्थान पर २ रखा जाय। परन्तु इसका दूसरा भाग "और सदैव से रखा गया समझा जाय" हटा दिया जाय, स्वीकार नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जहां पर आप यह रखेंगे कि 'पिछला रखा हुआ समझा जाय' तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसको भी जानने की कोशिश की। उस पर आप कैसे लागू करेंगे जिसका हिसाब ही नहीं रखा गया। तो जिस दिन से आप इसको परिवर्तित करते हैं उस दिन से जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वह लागू होंगे वरना इसके टेक्निकल इम्प्लीकेशन्स बहुत खराब होंगे।

श्री शिवराज सिंह—

यह मुझे स्वीकार नहीं है और इसका कारण स्पष्ट है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था न्यायालय ने यह आपत्ति की थी कि गुड़, राब, शक्कर और जैगरी इत्यादि कृषि उत्पादन नहीं हैं परन्तु गत वर्षों में जितनी कृषि मंडियां थीं उन सब में इनका क्रय-विक्रय हुआ है और इस अधिनियम के माध्यम से हुआ है। इसको रेगुलराइज करने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यकीय है कि ये शब्द रखें जायें। इनके निकाल देने से इस विधेयक का पूरा मतलब खप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में '४' के स्थान पर '२' रखा जाय एवं "और सदैव से रखा गया समझा जाय" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह—

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को आप कृपया दो हिस्सों में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यही पूछ रहा था आप से कि आप इसको मंजूर करते हैं या नहीं।

श्री शिवराज सिंह—

मैं इससे पूर्व निवेदन कर चुका हूं कि इस संशोधन का पहला भाग मुझे स्वीकार है और दूसरा भाग स्वीकार नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी अकेले कोई चीज स्वीकार कर लें तो वह हाउस की स्वीकृति नहीं मानी जाती है। एक मर्तबा आपने हाउस से पूछा, अब फिर वह कहते हैं कि मैंने इसको मान लिया। तो आप अपनी व्यवस्था दें कि कौन सी बात होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अब प्रस्ताव पास हो गया है, ६ महीने के अंदर संशोधन नहीं आ सकता।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

हाउस के निर्णय को आप को उलटना नहीं चाहिये ।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आप ने "हां" और "नहीं" के द्वारा इसको पास करा दिया । अब क्या विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष—

जो चीज गलत फहमी पर होती है वह सुधारी जा सकती है ।
प्रश्न यह है कि खंड २ में '४' के स्थान पर "२" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में से "और सदैव से रखा गया समझा जाय" हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जिला फैजाबाद के थाना जहांगीरगंज के थानाध्यक्ष के घर से २ लड़कियों की बरामदगी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब दिनांक २७–२–७० को थाना जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद के थानाध्यक्ष के क्वार्टर से दो लड़कियों के बरामद होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत श्री रामधारी शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होगा ।

नियोजन उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

दिनांक २६/२७/२/७० की रात में लगभग २ बजे पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को जिला मैजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि थाना जहांगीरगंज के थानाध्यक्ष अपने क्वार्टर में दो लड़कियों को दुराचरण के लिये रखे हुये हैं । पुलिस अधीक्षक तुरन्त पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा परगना मजिस्ट्रेट को साथ लेकर रातों-रात चलकर जहांगीरगंज प्रातः ६ बजे पहुंचे और थानाध्यक्ष के क्वार्टर को घिरवा कर दरवाजा खटखटाया । थानाध्यक्ष श्री मोहम्मद जलील ने स्वयं दरवाजा खोला । उनके मकान के अन्दर बरामदे में सुवर्ना नाम की एक स्त्री आयु १८–१९ वर्ष जिस की गोद में एक बच्चा था, तथा सुवर्ना की छोटी बहिन प्रेमा आयु करीब ८ वर्ष और रमजान (थानाध्यक्ष का नौकर) मिले । थानाध्यक्ष के परिवार का कोई सदस्य उस समय क्वार्टर में नहीं था । सुवर्ना ने पुलिस अधीक्षक तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकार किया कि रमजान से उसका अनैतिक सम्बन्ध था । उस ने थानाध्यक्ष से अनैतिक सम्बन्ध होने से इन्कार किया ।

अधिकारीगण जब पूछतांछ में व्यस्त थे थानाध्यक्ष चुपके से वहां से खिसक गये । चूंकि थानाध्यक्ष द्वारा कोई हस्तक्षेप अपराध होना नहीं विदित हुआ था अतः उनको तुरन्त हिरासत में

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

नहीं लिया गया था। बाद में काफी खोज करने पर भी थानाध्यक्ष नहीं मिल सके। अतः पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थानाध्यक्ष को निलम्बित करने व पुलिस लाईन स्थानान्तरित करने का आदेश दिया और क्षेत्राधिकारी को जांच सौप दी।

यह सही है कि थानाध्यक्ष थाने से २५-२-७० को १५.०५ बजे रवानगी पर थे और रोजनामचे में उन की वापसी नहीं अंकित थी।

श्री मोहम्मद जलील की चारों ओर तलाश की गई। ३.३.७० की रात में थाने के करीब ही एक अरहर के खेत में उनकी लाश मिली। पास में उनका एक सरकारी रिवाल्वर मय एक चले हुये कारतूस के मिला। लाश का पोस्ट-मार्टम कराया गया जिससे यह प्रतीत हुआ कि श्री जलील की हत्या की गई। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दरोगा की लाश मिली क्या उसका पोस्ट-मार्टम कराया गया? यदि हां, तो उसके कहां-कहां चोटें थीं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हां, दरोगा की लाश का पोस्ट-मार्टम हुआ था।

श्री विश्वनाथ कपूर—

पोस्ट-मार्टम में कौन-सी चोटें कहां-कहां बताई गई हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

पोस्ट-मार्टम में दो चोटें मुख्य रूप से बताई गयी हैं, डाक्टरी रिपोर्ट में लिखा है कि "डेथ वाज ड्यू टु शाक एन्ड हेमरेज एज ए रिजल्ट आफ इनजरीज।"

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि लाश की बरामदगी के बाद डी० आई जी० को डाक्टरी रिपोर्ट दी गई कि जब लाश बरामद हुई तो उसके कन्धे, नाक और कान कटे थे?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी लड़की का मेडिकल एक्जामनिशन क्यों नहीं कराया गया और क्यों नहीं उसका स्टेटमेंट रिकार्ड किया गया?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उनमें से एक बालिग लड़की थी और एक नाबालिग। लेकिन दोनों ने डाक्टरी कराने से मना कर दिया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास क्या फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर वे यह कहते हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

जो लाश बरामद हुयी, वह थाने से कितनी दूर पर थी, और क्या यह सही है कि जिस स्थान पर लाश मिली, वहां पर मोटर गाड़ी के पहियों के निशान थे ? दूसरे पोस्ट-मार्टम और लाश बरामदगी के बीच के समय में ४२ घंटे का अन्तर था, क्या यह सही है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने कहा कि लाश थाने के करीब मिली एक अरहर के खेत में जो करीबन १०० गज था ?

श्री प्रियदर्शी जेटली—

क्या यह सही है कि वह स्थान थाने से केवल २० गज था ?

श्री चरण सिंह—

हमारे पास एफ० आई० आर० नहीं आयी है। उत्तर में कह दिया है कि करीब था थाने से। इतनी इत्तला कि वह २० गज थी या १०० गज थी, हमारे पास नहीं आयी है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि जिलाधीश, फैजाबाद को यह प्रथम सूचना मिली कि दरोगा ने २ हिन्दू लड़कियों को अपने घर में बन्द कर रखा है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जिलाधीश को यह तो सूचना मिली कि एस० ओ० के क्वार्टर में २ लड़कियां हैं।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि लाश थाने से कितनी दूर मिली, पोस्ट-मार्टम और लाश मिलने के समय में ४२ घंटे का अन्तर था और क्या वह स्थान जहां पर लाश मिली, थाने से ३० कदम पर था ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

श्रीमन्, इन्होंने २ प्रश्न किये हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कि लाश मिलने का स्थान थाने से ३० कदम पर था, मेरा निवेदन है कि हमारे पास यह इत्तिला नहीं है कि निश्चित रूप से कितनी दूरी पर मिली। उत्तर में कहा गया है कि वह थाने के करीब मिली। यह दूरी २० गज भी हो सकती है और १०० गज भी हो सकती है। जहां तक समय के अन्तर की बात है, यह भी हमें मालूम नहीं है और इसके लिए हमें नोटिस की आवश्यकता है। वहां पर किसी सवारी के निशान थे या नहीं, यह भी हमें मालूम नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जिस स्थान से वह लाश बरामद हुयी है, क्या उस जगह पर कोई खून वगैरह के धब्बे थे जिनसे यह साबित होता कि वह वहां पर मारा या कहीं और मारकर वहां पर डाल दिया गया ?

श्री चरण सिंह—

इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी है। इसके अलावा इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० इन्क्वायरी हो रही है। डिटेल में जाना उनका कर्तव्य है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि जो सम्बन्धित डी० एस० पी० हैं, उनके पास बहुत पहले इस बात की शिकायत पहुंच चुकी थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ? यदि पहुंच चुकी थी तो उन्होंने क्यों कोई ध्याम नहीं दिया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि कोई सूचना उनके पास बहुत पहले पहुंच चुकी थी । यह तो किसी स्थानीय कार्यकर्ता ने वहां के जिलाधीश को सूचना दी ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस दफा में यह मुकदमा दर्ज किया गया है ?

श्री चरण सिंह—

अभी तो तफतीश हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि वहां पर २ महिलायें बरामद हुयीं । एक बालिग थी और एक नाबालिग । बालिग ने तो मना कर दिया, ठीक है जबरदस्ती नहीं हो सकती, लेकिन नाबालिग ने अगर मना कर भी दिया था तो भी उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हो सकता था, तो वह क्यों नहीं हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने तो निवेदन किया कि दोनों ने मना कर दिया ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

लड़की ८ वर्ष की थी जिसका अनैतिक सम्बन्ध नौकर से था । प्रेमा नामक लड़की का अनैतिक सम्बन्ध रमजान नौकर से था जिसके खिलाफ जुर्म बना तो फिर एफ० आई० आर० क्यों नहीं लिखाई गयी और उस लड़की का भी डाक्टरी मुआयना होना चाहिये था जो नहीं किया गया । यदि ऐसा हुआ तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

यह सुनने की गलती है । छोटी लड़की के साथ नौकर का अनैतिक सम्बन्ध नहीं था बल्कि बड़ी बहन सुवर्णा से था जो १८ वर्ष की थी । छोटी बच्ची ८ वर्ष की थी । दोनों बहनों ने डाक्टरी मुआयना कराने से इंकार किया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब प्रेमा भी उस क्वार्टर में बन्द पायी गयी और ऐसी परिस्थिति पायी गयी जिसमें उसका मेडिकल एक्जामिनेशन कराना आवश्यक था तो फिर उसका मेडिकल एक्जामिनेशन क्यों नहीं कराया गया ?

श्री चरण सिंह—

उसकी जरूरत क्या थी यह एलिगेशन उस बच्ची के सम्बन्ध में नहीं था । मोटे तौर पर यह इत्तला मिली थी कि उन लड़कियों का अनैतिक सम्बन्ध एक नौकर से है जिनमें एक १८ वर्ष की है और एक ८ वर्ष की । इसलिए मेरी समझ में छोटी बच्ची का डाक्टरी मुआयना कराने की बात नहीं आती ।

के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसकी तरफ में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "दिनांक २६/२७–२–७० की रात में लगभग २ बजे पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को जिला मैजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि थाना जहांगीरगंज के थानाध्यक्ष अपने क्वार्टर में दो लड़कियो को दुराचरण के लिए रखे हुए हैं।"

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं ? और दूसरी बात यह कि जो बुलेट इन्जरी दारोगा के शरीर पर हुई है, क्या उसकी नाक पर भी कोई इन्जरी है ?

श्री चरण सिंह—

यह तो आचार्य जी ने फजूल में तकलीफ की पढ़ने की। मैंने तो खुद कहा है कि एक लड़की १८ वर्ष की और दूसरी ८ वर्ष की थी और उन्होंने डाक्टरी मुआयना कराने से मना कर दिया। अगर इस तरह से डिटेल में सवाल पूछा जायेगा जब कि सी० आई० डी० की तरफ सेइनवेस्टीगेशन जारी है, मैं समझता हूं कि अगर मेरे साथियों से गलती से कोई बात निकल गयी तो उसका इस्तेमाल मुकदमें में किया जायेगा। इसलिये मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि वे इतनी तफसील में एक गवाह की तरह से जिरह न करें तो बेहतर हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो फैक्ट है।

केसा कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

परिषद् के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में विचार पिछले हफ्तों में होता रहा है और कर्मचारियों की कुछ मांगें समय-समय पर मंजूर होती रही हैं। गत १२ फरवरी को आयुक्त एवं सचिव सिंचाई के कमरे में इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी जिसमें अन्य मजदूर नेताओं के अतिरिक्त सर्वश्री अर्जुन अरोरा, एम० पी०, विमल मेहरोत्रा, हरीश तिवारी, त्रिलोकी नाथ खन्ना, हरिशंकर तिवारी व महेश नारायण चतुर्वेदी ने भी भाग लिया था। इसी मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि केसा कर्मचारियों की मांगों पर अलग से विचार करने के लिए कोई तिथि निश्चित कर ली जाय। परन्तु चूंकि श्री अर्जुन अरोरा मार्च के पहले हफ्ते के अन्त में उपलब्ध नहीं थे अतएव मार्च के दूसरे हफ्ते में यह मीटिंग करने का निर्णय हुआ था। उस समय मजदूर नेताओं को यह आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और हल निकलने की आशा भी थी।

उपरोक्त आश्वासनों के बावजूद भी २३ फरवरी को कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियम ने एक ३२ मांगों से युक्त छपा पर्चा प्रसारित किया और यह भी इस पर्चे में लिखा कि २३ फरवरी तक मांगों के न पूरा होने की दशा में उसी दिन से अनिश्चित कालीन भूख-हड़ताल शुरू की जायेगी और पूर्ण हड़ताल के लिए स्ट्राइक बैलेट लिया जायेगा। उसी दिन अर्थात् २३ फरवरी को ही श्री त्रिलोकी नाथ खन्ना ने केसा हाउस के गेट के सामने भूख-हड़ताल शुरू कर दी।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

यह खेद का विषय है कि जब मजदूरों की मांगों के बारे में बातचीत चल रही थी और विद्युत परिषद् ने उस बात चीत के दरम्यान में मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा निपटाने की इच्छा व्यक्त की थी और मार्च के आरम्भ में अमली मीटिंग करने का निर्णय भी हो गया था तब भी कतिपय मजदूर नेताओं ने जल्दबाजी से काम लेकर आन्दोलन करने का निर्णय लिया । जहां तक सरकार को सूचना है केसा में प्रतिद्वंदी यूनियनें हैं और उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण ही इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई ।

उसी के बाद २७ फरवरी से श्री पी० एन० त्रिवेदी ने, जो यू० पी० बिजली कर्मचारी संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं, पनकी पावर हाउस के सामने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और २८ फरवरी की सुबह ६-३० बजे दूसरी प्रतिद्वंदी यूनियन की ओर से महेश नारायण चतुर्वेदी ने एक मांग-पत्र दिया जिसमें कि लगभग वही मांगें थीं जो कि पिछली यूनियन की ओर से पेश की गई थीं और इसमें भी पहली मार्च से भूख हड़ताल करने की धमकी थी । पहली मार्च से श्री महेश नारायण चतुर्वेदी भी भूख हड़ताल पर बैठ गये ।

मजदूरों के मामलों को सुलझाने का निरन्तर प्रयास हो रहा है। परन्तु भूख हड़ताल के कारण वातावरण ऐसा नहीं रहा जिसमें बातचीत करके कोई हल निकल सके और इसके लिए जिम्मेदारी इन मजदूर नेताओं की है जिन्होंने बातचीत के दरम्यान ही आन्दोलन चलाने का निश्चय किया । १ मार्च को जनरल मैनेजर, केसा से श्री अर्जुन अरोरा, श्री बिमल मेहरोत्रा और श्री हरीश तिवारी ने मुलाकात की और इसी बातचीत के सिलसिले में उन्होंने यह सुझाव रक्खा कि निम्नलिखित दो मांगे यदि तुरन्त लिखित रूप से स्वीकार करलें तो वातावरण सुधर सकता है ।

(१) पिछली १-१-६४ से २८-२-६६ के समय की प्रोरेटा लीव के पैसे का भुगतान।

(२) आकस्मिक अवकाश में छुट्टियों को जोड़ने की सुविधा ।

बाकी मांगों के ऊपर बातचीत करके विचार करने की बात हुई थी । इसी आशा में कि आन्दोलन वापस होकर बातचीत से मामला सुलझेगा ४ मार्च को परिषद ने इन दोनों मांगों के स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिये । जहां तक सरकार को सूचना है इसके बाद ५ तारीख को श्री अर्जुन अरोरा ने मजदूर नेताओं को भूख हड़ताल वापस लेने की सलाह भी दी परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ ।

क्योंकि श्री खन्ना की हालत खराब हो रही थी और उन्हें फोर्सड फीडिंग की आवश्यकता थी अतएव जिला अधिकारियों ने उन्हें ४-५ मार्च की रात्रि में हटा लिया । इसी कारण श्री पी० एन० त्रिवेदी को भी हटवा दिया गया । ६ मार्च से श्री सीताराम शुक्ला श्री खन्ना के स्थान पर भूख-हड़ताल पर बैठ गये हैं और इसी प्रकार पनकी में श्री त्रिवेदी की जगह श्री ए० एच० कुरैशी और सुरेश सिंह यादव भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं।

जहां तक विद्युत परिषद् तथा प्रशासन का संबंध है भूख हड़ताल समाप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु खेद है कि इन प्रयासों का कोई असर नहीं निकला । वातावरण सुधारने की आशा में ४ मार्च को मजदूर नेताओं से हुई बातचीत के आधार पर कुछ मांगें मंजूर भी कर ली गई और यह आश्वासन दिया गया कि बाकी मांगों के विषय में बातचीत करके तय कर लिया जायेगा परन्तु तब भी मजदूर नेता भूख हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए । केसा कर्मचारियों की कई यूनियनें हैं जिनकी आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण यह परिस्थिति पैदा हुई हैं । २ मार्च से केसा प्रशासन के कार्यालय के कर्मचारियों ने भी १० बजे से ३ बजे तक कलमबन्दी भी आरम्भ कर दी है ।

यहां यह उल्लखनीय है कि केसा के कर्मचारियों को विद्युत परिषद् के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले में वेतन, महंगाई भत्ता और बोनस आदि में विशेष सुविधायें प्राप्त हैं ।

इसके बावजूद भी जो दिक्कतें उन्होंने अपने मांग- पत्र में दी हैं उनका हल निकालने के लिए बराबर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन दिये गये हैं और कुछ मांगें पूरी भी की गई हैं। बातचीत के दरम्यान में इस अन्दोलन के होने का सरकार को अत्यन्त खेद है और सरकार को यह आशा है कि मजदूर नेता अब भी अपना आन्दोलन त्याग कर बातचीत के द्वारा अपनी मांग को संतोषजनक तरीके के मार्ग को अपनायेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४८ से अब तक कितने बार बोनस में तरमीम की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है । इससे तो यह प्रश्न पैदा होता नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और ये कितनी पुरानी हो गयी हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, २३ फरवरी को उन्होंने अपनी ३२ मांगें दी हैं और उससे पेश्तर बातचीत कर रहे थे, और उसी दिन भूख हड़ताल पर बैठ गये। २३ को ही मांगें दीं और २३ को ही भूख हड़ताल पर बैठ गये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मांगें तो बता दें मंत्री जी, कम से कम संक्षेप में बता दें । (उत्तर न मिलने पर) तो क्या यह सही है कि २६ लाख रुपया बोनस का मजदूरों से लिया गया, लेकिन जमा नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कैसा कालोनी का शीघ्र निर्माण किया जाए, वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाए, बोनस आयोग के अनुसार वेतन पर २० प्रतिशत बोनस दिया जाए, उत्पादन बोनस समस्त केसा कर्मचारियों को दिया जाए, केन्द्रीय वेतन आयोग की इस बारे की सिफारिश अन्तरिम वेतन की, शीघ्र लागू की जाए, तथा प्रोरेल लीव के बकाया पैसे का भुगतान २३-२-७० तक कर दिया जाए । इस प्रकार ३२ मांगें हैं । कहें तो सारी पढ़ूं ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि मार्च के दूसरे हफ्ते में जो मीटिंग होने जा रही थी, अब उस मीटिंग के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि वह मीटिंग जल्दी हो जाय और गवर्नमेन्ट मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हम अब भी प्रयत्नशील हैं कि अब भी मामला सुलह से निपट जाय और हमें पता चला है कि माननीय अर्जुन अरौड़ा, एम० पी० कल शायद आने वाले हैं । वह आएंगे तो कल फिर बातचीत करेंगे कि वह मामला शान्तिपूर्वक सुलझ जाय ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार और बोनस देने के लिए जो कर्मचारियों नें मांगें रखी हैं उनको पूरा करने में विद्युत् मंत्री को क्या कठिनाई आ रही है

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने बताया कि जितनी मांगें हैं, उनमें दो मांगें जिनकी मैंने अपने उत्तर में चर्चा भी की, स्वीकार कर चुके हैं। शेष मांगों के लिए आश्वासन दिया था कि अगर सही वातावरण में आएंगे तो जितनी भी बातें न्यायोचित होंगी उन्हें स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन दो यूनियनों का जिक्र किया है मंत्री जी ने, उनमें सिर्फ एक यूनियन मान्यता प्राप्त है जिसके मंत्री हैं श्री महेशनारायण चतुर्वेदी और दूसरी जिस यूनियन का जिक्र किया है उस के अधिकारी हैं श्री अर्जुन अरौड़ा जिनका सम्बन्ध सरकारी पक्ष से है। जब एक यूनियन मान्यता प्राप्त है और दूसरी यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है तब मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं से बातचीत क्यों नहीं की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जितने नेताओं का मैंने चर्चा किया है वह आपकी उस यूनियन के भी नेता हैं, उनसे भी बातचीत की है। उसके अलावा तीन चार नेताओं की और चर्चा की। उनसे भी बातचीत की है। माननीय अर्जुन अरौड़ा से भी बातचीत की है। किसी को नेगलेक्ट नहीं किया है, न करेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत मंत्री को विदित है कि जो केसा के कर्मचारी अनशन कर रहे थे अब उस अनशन से कलमबन्द हड़ताल और आम हड़ताल की आशंका हो गयी. जिससे कानपुर बिजली का उत्पादन बन्द होने वाला है ? यदि हां, तो कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए और बिजली का उत्पादन बन्द न हो इसके लिए क्या तात्कालिक व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह जानकारी नहीं है कि जो विशारद जी ने सदन को दी कि बिजली का उत्पादन बन्द होने वाला है। कलमबन्द हड़ताल में भी कल के मुकाबले में आज सुधार है और कल और सुधार होने वाला है। इस सिलसिले में सरकार और बिजली के अधिकारी कल भी यह प्रयास करेंगे कि यह मामला निपट जाय।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने सारी जिम्मेदारी मजदूरों पर डाल दी है। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि केसा के जनरल मैनेजर ने भी मजदूरों से १३ फरवरी को बात करने का वादा किया था लेकिन वह बगैर किसी कारण को बताए हुए बातचीत में शरीक नहीं हुए ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, १३ फरवरी को नहीं, शायद माननीय गोविन्द सिंह जी को ठीक तिथि का ध्यान नहीं रहा, १२ फरवरी को आपस में बातचीत हुई थी और यह तय हुआ था कि मार्च के पहले सप्ताह में इन लोगों की दिक्कतों पर, मांगों के ऊपर ध्यानपूर्वक विचार किया जायगा।

मार्च के पहले हफ्ते में जैसा कि मैंने उत्तर में बताया अर्जुन आरोड़ा, एम० पी० को मौका नहीं था। इसलिए सब के मशविरे से तय हुआ कि इसको बढ़ाकर दूसरे हफ्ते में मीटिंग रखी जाय और तब मजदूरों की मांगों पर विचार किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या श्रम मन्त्री जी इन हालात को देखते हुये और आगे आने वाले कठिन समय को देखते हुए मजदूरों के सभी प्रतिनिधियों से श्रम आयुक्त के साथ बुलाकर तुरन्त ही बातचीत करने के लिए तैयार हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

समझौते के लिए हम हमेशा ही तैयार हैं । अगर वह बुला लें तो हम कल भी तैयार हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आप इनिशियेटिव लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वह तो हम हमेशा ही ले रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

वे कौन सी मांगें हैं जिनको सरकार मान चुकी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सारी मांगों को जो ३२ हैं मैंने सदन में पढ़कर सुनाया था । मामली तौर पर यह थी कि ६४ से ६६ तक के पैसे का भुगतान, आकस्मिक अवकाश की छुटटी वगैरा ऐसी मांगे थीं, जिनको मान लिया था ।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

हम लोग बराबर उठते बैठते रहते हैं लेकिन आपकी नजर नही पड़ती है । महेश चन्द्र की हालत खराब है फिर भी आप प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते हैं ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

४ तारीख को यहां पर ओला पर बहस हुई थी और मंत्री जी ने कहा था कि इलाहाबाद में लगान वसूली नहीं होगी लेकिन हमने जाकर वहां पर देखा कि फसल खराब होने के बावजूद भी वहां पर सख्ती से लगान वसूली हो रही है .....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

मैंने लखनऊ के मेडिकल कालेज के विषय में सूचना भेजी थी कि वहां पर हजारों विद्यार्थी क्लास से बाहर हैं, बीमार सड़कों पर पड़े हैं और स्थिति खराब होती जा रही है । तो आप उसको नियम ५१ में स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको कल लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरा था कि बाजार से डालडा गायब हो गया है । चीजों की कीमत बहुत बढ़ गयी हैं । गरीब मजदूर कराह रहा है । सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं । जब से यह सरकार आई है तभी से यह दाम बढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में मैंने कहा कि कल देख लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मेरा यह प्रस्ताव है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का मेरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रस्ताव पेश हो जाने दें । इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री राजमंगल पांडेय—

इस सदन में ५-३-७० को उपाध्यक्ष महोदय के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया जो इस माननीय सदन के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है । मैं चाहूंगा कि उसकी पुनरावृत्ति न हो । उस व्यवहार से इस सदन का अवमान हुआ है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर से जनता की आस्था टूटती जा रही है । जो हम को चुन कर जनता भेजती है वह हमसे आशा करती है कि हमारा ऐसा आचरण होगा जिस पर सबको विश्वास हो । मेरा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव है:—

"यह सदन निश्चय करता है कि श्री शिव दास, सदस्य विधान सभा, इस सदन के अवमान के दोषी हैं । अतः इनको सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाय ।"

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वैधानिक आपत्ति है । यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इस सदन के सदस्यों के अधिकारों के आप संरक्षक हैं । जहां तक कि मंगल पांडेय जी ने जिस घटना का जिक्र किया है उसके साथ इस सदन की सहानुभूति है, सभी लोग उससे दुखित हैं और उसके लिए अनन्तराम जायसवाल जी ने खेद प्रकाशित किया । लेकिन श्रीमन आपने इस प्रस्ताव को किस प्रकार इस सदन में रखने की अनुमति दे दी क्योंकि यह इस प्रकार से सदन में नहीं आ सकता । मैं आपका ध्यान नियम १०५ की ओर आकर्षित करता हूं जो इस प्रकार है—

मैं निवेदन कर रहा था कि नियम १०५ अध्याय १३ में लिखा हुआ है कि कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके उसके लिए निम्न शर्तें पूरी करेगा:—अर्थात् (४) यह कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । यह जो हमारे मित्र पांडेय जी ने प्रस्ताव रखा है विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से संबंध रखता है । मैं आपका ध्यान नियमावली के अध्याय ११ की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, पांच बजने में अब केवल ६ मिनट रह गये हैं । यदि प्रस्तुत कार्य करने के पश्चात सदन उठेगा और कार्य पूरा करना है तो उस समय तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय । लेकिन सदन का समय न बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव रख दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय ६ बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आज ६ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है वह नियम ७३ के अन्तर्गत है । नियम ७३ में दंड है जब विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो या सदन का अवमान होता हो । अध्याय ११ देखने की कृपा करें कि विशेषाधिकार की अवहेना या सदन के अवमान की एक ही प्रणाली हमारे नियमों में दी हुई है । जब सदन का अवमान होता है या विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो उसकी दो प्रणालियां हैं । एक तो जब नियम ७३ के अन्तर्गत घटना घटे तो फौरन ही उसी समय यदि सदन चाहे तो एक प्रस्ताव रख देता है कि सदन के सामने यह कार्य हुआ है और इसमें जो दंड का प्राविधान है, उसको कर दिया जाता है । वह परिधि ५ तारीख को जब घटना घटी थी सदन मौजूद था उस समय यह चीज हो सकती थी । इसका मंशा यह मालूम होता है कि उस समय आदरणीय सदस्य मौजूद रहता है जो घटना करता है और जिसके प्रति अवमान किया गया वह भी रहता है। उस समय जिसने अवमान किया है उसकी सुनता है और जिसका अवमान किया गया है उसकी भी बात सुनता है। उसके बाद यदि सदन किसी नतीजे पर पहुंचता है तो फौरन उसके अनुसार कार्यवाही हो जाती है । यह काम उस समय होना चाहिये था जब वे वहां गये थे और उन्होंने जो कुछ किया तो उस समय उनको इंगित कर दिया होता तो बात दूसरी थी । लेकिन आज विशेषाधिकार की सूचना दी जा सकती है जो हमारे नियमों में है । अगर सदन का अवमान हुआ है तो हमारे मित्र को चाहिये था कि नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना देते । जैसा कि आपने आज प्रातःकाल बहुत सुन्दर निर्णय लिया था कि हम पता लगायेंगे कि प्रस्ताव दिया है जिनके विरुद्ध उनको सूचना प्राप्त हुई या नहीं । इसलिये साढ़े चार बजे तक के लिए आपने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया था । हमें पता नहीं है कि उनको सूचना मिली या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

वह आज आये नहीं हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

जैसे कि प्रातःकाल श्रीमन् ने सदन के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कृपा की थी और आपने कहा था कि पहले पता लगायेंगे कि उनको सूचना दी गई या नहीं । इसलिये आपने साढ़े चार बजे का समय रखा था । अब आपने पता लगाया और मालूम यह हुआ कि उनको सूचना नहीं मिल पायी है । जिनको दंड दिया जा रहा है, जिनके खिलाफ शिकायत है, उसको सूचना ही नहीं है। सदन में उनको उसका जवाब देने का कोई अवसर नहीं मिला है । हो सकता है वह इस बारे में कुछ कहते, वह अपनी गलती को स्वीकार कर सकते थे, क्षमा मांग सकते थे, यह बता सकते थे कि किन विशेष परिस्थितियों में उनसे ऐसी गलती हुई ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

हो सकता है वह जो कहते उससे श्रीमन् उपाध्यक्ष जी को ऐसा लगता कि उनके खिलाफ कोई ऐक्शन ही न लिया जाय । हो सकता है वह इस नतीजे पर पहुंचते कि उस समय कुछ हीट की वजह से ऐसा हो गया, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो गयीं थीं । लेकिन उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाया । मैं आपसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब तक हमारे यहां न्याय का और दंड देने का जो इतिहास रहा है, उसमें आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया हो उसको बिना इस बात का अवसर दिये हुए कि उसने वह अपराध क्यों किया था, बिना उसको अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किये हुए उसको दंड दे दिया गया हो । हो सकता था वे अपने अपराध के ऊपर ऐसी भावनाओं का प्रदर्शन करते, क्षमा मांगते या दुःख प्रकट करते सदन को इस प्रकार भावात्मक रूप से संबोधित करते और सदन इस बात को सोचता कि यह उनकी पहली गलती थी, इसलिये इस समय इनको क्षमा किया जाय ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

अभी तो यह विचारार्थ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैंने प्रारम्भ में कहा था कि आपने जो यह प्रस्ताव नियम १०५ में रखा है वह रखा ही नहीं जा सकता है ।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)---

आपने जो नियम १०५ का हवाला दिया उसका वास्ता सार्वजनिक महत्व तथा लोक महत्व के रिजोल्यूशन्स से है । इसका संबंध नियम ६५ से है । उसको मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूं । वह इस प्रकार है---

६५---ग्राह्यता की शर्तें---

(१) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी:---

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो, तथा

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो

परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे ।

आपने जो पहला आक्षेप उठाया था दफा १०५ पढ़ कर कि यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता वह दफा इसमें लागू नहीं होती । विशेषाधिकार का प्रश्न ६३,६४,६५ में आता है । उसमें यह प्रश्न नहीं आता ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे भय और वैधानिक आपत्ति को स्पष्ट कर दिया । वह हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिये उन्होंने ज्यादा सुन्दर ढंग से मेरी ही भावनाओं का समर्थन कर दिया । मेरा आपसे यही निवेदन है ।

मुख्य मंत्री जी ने मेरी भावनाओं का समर्थन किया है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सही है कि माननीय पांडे जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह नियम १०५ के अन्तर्गत आयेगा

या नियम ७३ के अन्तर्गत आयेगा । मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा है कि माननीय पांडेजी का प्रस्ताव विशेषाधिकार की अवहेलना सदन से संबंधित है । इसकी सूचना होती है और सदन भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो प्रस्ताव करता है कि दंड दिया जाय ।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

नियम ६७ में है कि यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये । मेरा कहना है कि उस दिन तत्काल माननीय पांडे जी ने लिखकर भेज दिया कि विचार किया जाय । चूंकि उसके बाद सदन आज बैठ रहा है इसलिये तत्काल विचार करने की बात हुई । इसके साथ नियम ६८ के (२) में है कि सदन की राय में यदि अनुपस्थिति का समुचित कारण नहीं है तो सदन उनकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार प्रारम्भ कर सकेगा । तो मैं समझती हूं कि यह प्रस्ताव कि विशेषाधिकार की अवहेलना है और सदन का अवमान है, इसके लिए सदन सक्षम है । माननीय श्री कृष्णानन्द राय कहते हैं कि यह प्रस्ताव उठाया नहीं जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है । नियम ६७ के अनुसार हम इसको उठा सकते हैं और सदन को इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, यह बड़े संयोग की बात है कि जितनी बातें उधर से और इधर से कही जा रही हैं वह मेरी बात की पुष्टि करती हैं । यह सही है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नियम १०५ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव विशेषाधिकार का नहीं उठ सकता है, यह दंड का प्रस्ताव नियम ७३ के अन्डर है । यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो समिति सिफारिश कर सकेगी और सदन को निम्नलिखित दंड देने की शक्ति होगी ।

(१) भर्त्सना,
(२) शास्ति
(३) सदस्य का निलम्बन
(४) जुर्माना

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

जो श्री कृष्णानन्द राय जी कह रहे हैं वह बहुत महत्व का विषय है ।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

आपका ध्यान नियम २९९ की ओर दिलाना चाहता हूं । इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है लेकिन इसका दंड सदस्य को उसी दिन मिल गया क्योंकि सदन से बाहर निकाल दिया गया । तो उसको अब दुबारा सजा नहीं दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

श्री कृष्णानन्द राय बोल रहे हैं, आप न बोलिये ।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय पांडे जी ने जो यह प्रस्ताव दंड का रखा है इस सदन के अवमान के संबंध में वह अनियमित है । ये प्रस्ताव विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के संबंध में नियम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

७३ के अन्तर्गत आते हैं । मैं सुन रहा था कि उसका कितना महत्व है । विशेषाधिकार समिति के पास कोई चीजें निर्णय के लिए जाती हैं और जब वह कोई निर्णय करती है तो उसके अनुसार यहां पर सदन में प्रस्ताव किया जाता है । श्रीमान जी, सदन को धारा ७३ के अनुसार किसी सदस्य को निम्न प्रकार से दंड देने की शक्तियां हैं : भर्त्सना, शास्ति, सदस्य का निलम्बन, जुर्माना तथा निष्कासन आदि ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाव ही देखा करता हूं । जब उनकी दृष्टि टेढ़ी होती है तो मैं बोल नहीं पाता हूं । मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कभी तो दृष्टि बदल दिया करें । इसके लिए वे मुझको क्षमा करेंगे ।

श्री चरण सिंह---

प्वाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि माननीय सदस्य की स्पीच महदूद रहनी चाहिये ।

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)---

जो प्रस्ताव रख रहे थे उनको रखने की इजाजत तो दे दें उसके बाद यह बात पैदा होगी । पहले उनको रखने की आज्ञा तो दें ।

श्री अध्यक्ष---

आपने पढ़ कर सुना दिया ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि इस प्रस्ताव को पेश कर सकें । मान्यवर, पहले श्री कृष्णानन्द जी को सुन कर मुझको भी मौका दें । मेरा यह ख्याल है कि यह अभी प्रीमेच्योर स्टेज पर है।

श्री अध्यक्ष---

यह ६५ के अन्तर्गत आता है। इसका मुझको निश्चय करना है कि नियम के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं । ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी :

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो,

(ख) सूचना के विषय में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो, तथा

(ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि मैं कह सकता हूं कि ग्राह्य हैं । पहले हम श्री राज मंगल पांडेय को सुनेंगे । अब आप अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दें और घटना को भी बताते जायें ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

५-३-१९७० को उपाध्यक्ष महोदय यहां पर आसीन थे और हमारे उपमंत्री जी लेखा अनुदान प्रस्तुत करने के पश्चात् भाषण कर रहे थे । ५ बजे से कुछ मिनट पहले का समय था । उस वक्त मिर्जापुर के एक एम० एल० ए० साहब श्री शिव दास खड़े हुए । पहले उन्होंने कुछ शोर गुल मचाना शुरू किया । इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने उनको बैठने के लिये कहा । वे नहीं बैठे और क्रोधित हो उठे । आवेश में आ कर वे उपाध्यक्ष महोदय के पास तक पहुंच गये और उनको कुर्सी से खींचने की कोशिश की । यह सब घटना सरासर सदन के समक्ष हुयी । (शेम-शेम)

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि अवमान दो तरह का होता है। यह अवमान हाउस के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हुआ। उस समय सारा सदन मौजूद था और प्रोसीडिंग्स चल रही थीं और जितने भी आदमी यहां उपस्थित थे उन्होंने इस घटना को देखा। श्रीमन, देखा ही नहीं बल्कि हमारा माथा तो शर्म से झुक गया। हम सोच रहे थे कि जब हम अपनी कांस्टीटुएंसी में जायेंगे तो जनता के सामने हम क्या कहेंगे। जनता जब पूछेगी कि क्या सदन ठीक रूप से कार्य कर रहा है तो हम क्या जवाब देंगे। जनता की भी हमारे प्रति कुछ आशायें और आकांक्षायें हैं। हमारे लिये जरूरी है कि हम उन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। हमें जनता के प्रति उत्तरदायी होना है। जनता ने हमें चुनाव में जिताकर यहां भेजा है और वह हमसे कुछ आशायें रखती हैं।

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी, आप लंबा भाषण न दें, संक्षिप्त कहें।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं कह रहा था कि चूंकि यह घटना सदन के समक्ष हुयी है इसलिये इसमें कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में एक नहीं २० उदाहरण मिलेंगे। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के उदाहरण मेरे पास हैं। १२ अगस्त १९६४ को श्री जे० बी० घोते ने लाउड स्पीकर आपरेटर से कहा कि हमारा कनेक्शन जोड़ दो। उसके न जोड़ने पर वह स्पीकर साहब की ओर बढ़े और एक पेपर वेट फेंका। उन्होंने अध्यक्ष महोदय के लिए कुछ अपशब्द भी कहे। वे लाउड स्पीकर आपरेटर को भी मारने के लिए लपके। उसी दिन ५ बजकर २० मिनट पर मार्शल द्वारा उनकी अरेस्ट हुयी और उनके खिलाफ ऐक्शन हुआ। उन्हें एक्सपेल कर दिया गया और उनके विरुद्ध धारा ३३३, ३५३, ४२६, ३०७ के अन्तर्गत पुलिस न केस कायम किया। उन्होंने इस संबंध में न्यायालय में रिट दायर की, मगर बाद में उन्होंने अपनी रिट वापस ले ली।

दूसरी घटना १६, १७ मार्च १९६६ की है। श्री पनधारी राव की दत्त ने सदन की प्रोसीडिंग्स को आब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। यह केस मध्य प्रदेश का है। हाउस में रिजोल्यूशन मूव हुआ और उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। उनकी सीट खाली हो गयी और फिर से उस जगह के लिए चुनाव हुआ। तो श्रीमन् मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर प्रत्यक्ष रूप से सदन का अवमान होता है वहां नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उन को तो नोटिस भी दी गयी। वह किसी वजह से सदन में नहीं आये तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको नोटिस मिलने से इनकार है। हो सकता है कि वे जान बूझ कर सदन में न आये हों।

श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न की बाबत आपका ध्यान नियम ६३(४) की ओर दिलाना चाहता हूं :—

"समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।"

मान्यवर, नियम ६७ के अन्तर्गत भी किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नियम ६८(२) इस प्रकार है:

"वे सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, इस प्रकार नियत दिन पर सदन में उपस्थित होंगे और यदि उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे अध्यक्ष को अनुपस्थिति के कारण की सूचना देंगे और सदन में दिये गये कारण को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा। किन्तु यदि सदन की राय में अनुपस्थिति का समुचित कारण नहीं है या वे सदस्य जान बूझकर अनुपस्थित रहे तो सदन उनकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार प्रारम्भ कर सकेगा।

[श्री राजमंगल पांडेय]

श्रीमन, यह जाहिर करता है कि यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पर्सनल सर्विस जब तक न हो तब तक नोटिस न माना जाय। इससे यह भी है कि वे नोटिस की अवमानना जानबूझकर कर रहे हों और जानबूझ कर सदन में न आना चाहते हों। अगर ऐसा है तो यह मान लिया जायगा कि नोटिस की जानकारी उनको है। श्रीमन् दूसरी बात यह कि जहां प्रत्यक्ष अवमानना हुई हो तो प्रत्यक्ष अवमानना और अप्रत्यक्ष अवमानना में भी फर्क करना पड़ेगा। यहां प्रत्यक्ष अवमानना हुई है। अब यह कि जो भी दंड प्रस्तावित किया जाय तो उसके लिए वे यहां सदन में उपस्थित हो कर क्षमा याचना करें उसमें कमी करने के लिए और उन कारणों पर प्रकाश डालें जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। हाउस आफ कामन्स में भी जब ऐसी घटना हुई तो उसी दिन प्रस्ताव रखा गया और सम्बंधित सदस्य को एक्सपेल कर दिया गया और उन्हें बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। श्रीमन्, नोटिस की कापी ७ तारीख को भेजी जा चुकी है। अगर वह न लें या जानबूझकर गैरहाजिर हों तो इसकी जिम्मेंदारी नहीं है। नोटिस देना कोई इंपेरेटिव चीज नहीं है। प्रत्यक्ष अवमान के लिए नोटिस दिया जाय, यह जरूरी नहीं है। तो श्रीमन् मैं प्रार्थना करूंगा कि यह सदन के विचारार्थ रखा जाय और उसके बाद सदन इस पर निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष—

आप अध्यक्ष की इजाजत चाहते हैं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां।

श्री महीलाल—

श्रीमन् मैं इसका समर्थक हूं।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

पहले प्रस्ताव का समर्थन हो जाय और फिर उसके बाद जिस माननीय सदस्य को आपत्ति हो उसको सुनने के बाद सदन निर्णय लें। अभी तो प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है, मैं उसका समर्थन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप समर्थन बाद में करेंगे, पहले उसकी ग्राह्यता पर बात हो जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, नियमों की जानकारी के लिए कक्षा खुलवाई जाय।

एक सदस्य—

और श्री जायसवाल जी को उसका प्रिंसिपल बना दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जब माननीय पांडेय जी ने अपना भाषण करना शुरू किया तो आपने स्पष्ट कर दिया कि ग्राह्यता के ऊपर बोलें। नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट है कि जब तक आप प्रस्ताव को ग्राह्य स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक उसको नियमित होने की मान्यता नहीं देंगे और तब तक उस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता और जब विचार नहीं हो सकता तो घटनाओं के मेरिट में हम नहीं जा सकते। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह प्रस्ताव अनियमित है, अवैध है

और अग्राह्य है। उसी के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक दो शब्दों में और निवेदन करना चाहूंगा। अभी माननीय पांडेय जी और श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी ने नियम ६३ पढ़ा था और उसमें बताया था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़िये।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मुख्य मंत्री जी और पांडेय जी ने नियम ६३ पढ़ा था।

विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना—इसमें लिखा है कि किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा, परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। इसमें शब्द" बिना किसी शिकायत" बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह घटना ५ तारीख की है। उस दिन एक अशोभनीय घटना घटी माननीय उपाध्यक्ष जी वहां पर बैठे हुए थे.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री कृष्णानन्द राय द्वारा अपने सिर पर हाथ रखने पर) आप अपने सिर पर हाथ मत रखिये, अपनी बात पूरी करिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय उपाध्यक्ष जी स्वतः या सदन किसी निर्णय पर पहुंच गया होता और कह दिया होता कि आपने यह गलती की, यह बिल्कुल अवांछनीय है वह चीज दूसरी होती। लेकिन ५ तारीख को कुछ हुआ और उस समय अध्यक्ष ने स्वतः कुछ नहीं किया, किसी वजह से सदन एडजर्न हो गया। आज अगर उपाध्यक्ष जी आये होते आप स्वतः ही कहे होते कि ऐसी-ऐसी घटना घटी है और इस प्रकार हम प्रस्ताव करते हैं, हालांकि वह भी फौरन होना चाहिये था, मैं अभी रूलिंग दिखाउंगा, लेकिन ग्राह्यता के बारे में एक चीज सोची जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह तो हमारे एक बहुत ही आदरणीय मित्र पांडेय जी ने एक शिकायत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एक सदस्य को निष्कासित किया जाय। तो इससे बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकते हैं, यह जो परन्तुक वाला एग्जेम्पक्लरी क्लाज है वह समाप्त हो जाता है। अब इंस्टेन्टैनियस सदन का निर्णय नहीं रह जाता और न आपका रह जाता है, एक आदरणीय सदस्य की शिकायत द्वारा यह चीज हम लोगों के सामने आयी है। और जब आदरणीय सदस्य किसी शिकायत को प्रस्तुत करेंगे तो वह सारे नियम फालो किये जायेंगे जो ६४–६५ में हैं।

श्री शिवराज सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया आप अध्याय ११ के नियम ७६ का अवलोकन करें। (व्यवधान) नियम ७६ इस प्रकार है :—

"विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान विषयक प्रश्नों पर सभी प्रक्रमों में वाद-विवाद संक्षिप्त होगा।"

[श्री शिवराज सिंह]

माननीय सदस्य बार-बार दोहरा रहे हैं। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस नियम का उनसे पालन कराया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि माननीय शिवराज सिंह एक मंत्री होकर चाहते हैं कि एक सदस्य को —उसने कुछ भी गलती की हो—बिना कोई मौका दिये निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो वाद-विवाद होता है वह हमेशा शान्त वातावरण में और निष्पक्षता से विचार करना चाहिये। वह प्रश्न किसी पार्टी का नहीं होता, वह सारे सदन का होता है। इसलिये गर्मागर्मी न कीजिये, अब आप संक्षेप में समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है वह केवल एक मिनट में सुन लें। मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि आज सुबह दिन में एक प्रश्न वोट आन एकाउन्ट के सम्बन्ध में पेंडिंग है कि सदन ५ के बाद नियमित रूप से काम उस दिन कर रहा था या नहीं, उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और अब यह दूसरी घटना के बारे में दूसरा प्रस्ताव आ गया। तो जब तक उस पर निर्णय न हो जाय कि सदन उस समय नियमित था या नहीं, दूसरा प्रस्ताव आप ले लें जिसमें एक सदस्य को सजा देने और ४ साल के लिए एक्सपेल करने की बात है ....

श्री अध्यक्ष—

जी हां, वह ठीक है। यह आपकी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट कवर....

श्री अध्यक्ष—

आप अब बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा था कि इस संबंध में हमारी नियमावली स्पष्ट है कि यदि किसी आदरणीय सदस्य की शिकायत द्वारा सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायगा तो नियम ६४ हमारा जो है वह फालो करेगा जिसमें लिखा है कि "शिकायत यदि सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध है तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी"। मेरा निवेदन यह है कि सदन में उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने कोई फौरी फैसला नहीं लिया और आज अब यह प्रश्न एक आदरणीय सदस्य की शिकायत पर उठाया जा रहा है तो उसकी प्रति सम्बद्ध सदस्य को दी जानी चाहिये थी। मेरा पांडेय जी से करबद्ध अनुरोध है कि वह ऐसा मोटिव न लगायें कि वह सदस्य सदन से जान-बूझ कर भागे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई भी सदस्य क्षणिक आवेश में गलती कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध के साथ उनके चरित्र पर भी एक आरोप लगा दें कि वह जान-बूझ कर सदन का अवमान कर रहे हैं। मैं आपके सम्मुख एक रूलिंग पढ़ना चाहता हूं। यह पुस्तक है—"उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष-पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन" यह अप्रैल सन् ५२ से २२ दिसम्बर सन् ६७ तक के निर्णयों का है। इसमें यहां के अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णय हैं जिसमें श्रीमन्, आप भी सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़िये तो, यह सबको मालूम है ।

श्री कृष्णानन्द राय —

इसमें पृष्ठ ५३६ पर यह रूलिंग दी है । अब मैं आपकी प्रशंसा करूं तब भी आप नाराज होंगे तो कैसे होगा श्रीमन् । तो यह रूलिंग १९५८ की है तो आप अपनी ही रूलिंग को सुन कर इस पर अपनी रूलिंग दें·····

श्री अध्यक्ष—

ठीक है , ५८ में मैं था । आप पढ़ें उसको ।

श्री कृष्णानन्द राय—

इसीलिये तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था । उस में आप ने कहा था कि "मैं अध्यक्ष के नाते आप को भविष्य के लिये बता देना चाहता हूं कि सिद्धान्त इस आदरणीय सदन का यही है और रहेगा कि अगर किसी भी सदस्य के ऊपर यदि कोई आक्षेप इस तरह का लगाया जाय और अगर वह उपस्थित न हो तो अध्यक्ष को नियम ४७ के अनुसार पूर्ण अधिकार है , जैसे कि इन्टर-प्रिटेशन मैं आज दे रहा हूं उसके अनुसार किसी अध्यक्ष को नियम ४७ में पूर्ण अधिकार है कि दूसरी तरफ की बात सुनने के लिये विषय उठाना 'इन आर्डर' करने के लिये पहले एक मौका सदस्य को उपस्थित होने का दे दें"। श्रीमन, आपकी यह रूलिंग स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक है । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपका यह निर्णय स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक है । एक बार मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे एडवोकेट हैं और शायद उन्होंने मुझे बिना पढ़ा समझा था लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि शायद उन्होंने तो बहुत दिनों से वकालत छोड़ दी हो लेकिन मैं तो जब हमें निकाला जाता है तो वकालत करके २–४ रुपये कमा ही लेता हूं । आपका निर्णय जुरिस्प्रूडेन्स का जो एसेन्स है और न्यायालयों की जो राय है , वह है हिन्दुस्तान के किसी भी साधारण नागरिक को उसके जुर्म के लिये, मैं माने लेता हूं कि उन्होने जुर्म किया है , जब तक उसे नहीं सुना जाता है , सजा नहीं दी जा सकती है । जब तक उसको नहीं सुना गया है, जब तक हमारे देश में हजारों और लाखों वर्षों से चली आ रही जुरिस्प्रूडेन्स की प्रक्रिया के अनुसार कार्य-वाही नहीं होती है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती है । श्रीमन्, इस संबंध मे नियम ६३ को देखने का कष्ट करें । उसमें दिया हुआ है कि यदि शिकायत एक माननीय सदस्य के द्वारा की गयी हो तो जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध की गयी हो, उसको अवसर दिया जाना चाहिये कि वह यहां पर आकर अपराध के बारे में अपना स्पष्टीकरण कर सके, और जब तक ऐसा न हो उसे नियम ७३ के अन्दर जो दंड की प्रक्रिया है , वह लागू नही होनी चाहिये । अब मैं माननीय पांडेय जी से प्रार्थना करूंगा कि वे संबंधित सदस्य को नोटिस की सूचना दे दें, उसके उपरान्त फिर देखा जाय लेकिन नियम और प्रणाली को आप अवश्य मानें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर,·····

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी आपने माननीय कृष्णानन्द राय जी को २–३ बार बोलने का मौका दिया और उन्होंने उसी चीज को बार-बार दुहराया । अब फिर आपने उन्हीं की पार्टी के सदस्य को मौका दिया । विपक्ष में और भी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को मौका दिया जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, इस संबंध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । इसके मेरिट्स का जो प्रश्न है वह तो बाद में श्रीमन् निर्णय करेंगे । इस समय तो इसकी ग्राह्यता का प्रश्न है और

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मैं नम्रतापूर्वक नियम ६३ की ओर ध्यान दिलाऊंगा। इस में ४ तक की प्रक्रिया एक है। श्रीमन्, देखें कि किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा, अवमान का प्रश्न उठाया जा सकता है परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। इसका अर्थ है कि सदन में हुआ हो और एक अवमान का प्रश्न उपस्थित हो गया। एक दम से कोई बात सदन में हो गयी तो उसी समय सदन में प्रश्न आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि यह शिकायत के ऊपर है। साफ बात है, उसी के बारे में उन्होंने यह कहा नियम ६८ में यह दिया हुआ है "(१) यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषित सिद्ध करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यह निश्चित कैसे होगा—"यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या आगामी तिथि पर विचार किया जाय।"

श्रीमन्, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि यह शिकायत के ऊपर है जिसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में नियम ६४ में दिया हुआ है।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस संबंध में अपना निर्णय दें, जो नियमावली के नियम ६५ (ग) में दिया हुआ है उसका अवलोकन करें। जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको आप सुनेंगे और शिकायत होन पर शिकायतकर्ता को भी सुनेंगे। केवल दो व्यक्तियों को श्रीमान सुनेंगे, जिसके खिलाफ शिकायत हो और जिसने शिकायत की हो, किसी तीसरे व्यक्ति को सुनने का इसमें प्राविधान नहीं है। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य इसमें से कोई भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६३ में यह भी दिया हुआ है—"किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे"। बात यह है कि अन्य सदस्यों में आप भी हैं, आपको भी सुनेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि संक्षेप में ही आप ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपने विचार दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। केवल इतना-सा निवेदन है कि इस प्रकार के कुछ एतराजात न उठाये जायें तो ठीक है। श्रीमन्, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने यह स्वीकार किया कि यह शिकायत के उपर है। तो श्रीमन्, नियम ६५ में यह दिया हुआ है कि जिस सदस्य के विरुद्ध यह शिकायत हो उसको अवसर देना चाहिए। मान्यवर, केवल यही नहीं बल्कि यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न भी है। लेकिन यदि मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बातों में न जाकर केवल इतना कहूं कि इसमें इस सदन की मान-मर्यादा, इस सदन की शान शौकत और इस सदन में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सम्मान का प्रश्न निहित है और इन दृष्टिकोणों से मैं नियम ६७ की ओर श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं—"यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना

का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाये ।

परन्तु यदि सूचना सचिव या समिति के प्रतिवेदन द्वारा अथवा याचिका द्वारा प्राप्त हुई है तो सदन में विषय पर विचार आरम्भ होने के पूर्व, यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो प्रतिवेदन अथवा याचिका की प्रतियां छपवाकर सदस्यों में वितरित की जायेंगी ।"

श्रीमन्, क्या यह प्रश्न इतना अधिक गम्भीर नहीं है कि इस याचिका की प्रतियां श्रीमन्, इस सदन में छपवाकर वितरित करवा दें ? मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न की दूसरी बड़ी लम्बी जड़ें हैं । श्रीमन् के सामने यह प्रश्न गम्भीर रूप से विचारणीय है कि इस प्रकार की घटना फिर आगे कभी भविष्य में न हो और इस दृष्टि से समय निकाल कर आप याचिका की प्रतियां सभी सदस्यों में वितरित करवा दें । जहां तक ग्राह्यता के संबंध में मुझे निवेदन करना है, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र माननीय राज मंगल पांडेय जी ने एक प्रकार से इस सदन के साथ न्याय नहीं किया जो उनको करना चाहिये था, और उस माननीय सदस्य के साथ तो बिल्कुल ही न्याय नहीं किया है । क्या इसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं ? इसमें यह नहीं दिया गया है कि यह प्रश्न ग्राह्य है या नहीं है । इसमें याचिका और दंड का प्राविधान दिया है । दंड का प्राविधान तो बहुत देर में आयेगा । प्रश्न यह है कि यह याचिका ग्राह्य है या नहीं, फिर उसके बाद सदन निर्णय करे कि इसको विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय । नियम ७० के संबंध में भी यह दिया हुआ है --"जब सदन इस प्रस्ताव से--(१) कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, के प्रश्न पर विचार किया जाये, या (२) कि नियम ६७ के अन्तर्गत विषय पर तत्काल विचार किया जाये, या (३) कि नियम ६९ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाय, सहमत हो जायं तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जिसमें यथास्थिति विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान अथवा प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुये सुझाव होगा" । इसके साथ ही आप नियम ६७ पर भी विचार करें । जब सदन इसके लिये सहमत हो जायेगा कि इस पर विचार किया जाय , तब हम आगे उस पर विचार करेंगे । पहले तो प्रा दर्शन में आप उसे स्वीकार करेंगे । फिर अगर यह सदन उस पर कार्यवाही करता है तो सदन को कोर्ट के रूप में बदलना होगा , यहां पर माननीय सदस्य को ही नहीं सुनेगा , बल्कि माननीय उपाध्यक्ष को भी सुनेगा जो कि उस समय पीठासीन थे । फिर यह सदन घटना के ब्योरे को भी सुनना पसन्द करेगा । अगर प्रिविलेज कमेटी में जाता है तो वहां पर तो काउन्सेल्स भी आते हैं । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह याचिका श्रीमन् के सामने आयी है वह बिल्कुल ग्राह्य नहीं है । इसमे तो दंड का भी प्राविधान है । यह दंड कैसा जबकि अभी यही तय नहीं हो पाया है कि इसे ग्राह्य किया जाय अथवा नहीं । अगर सदन इस पर विचार करता है तब उसको ३-४ दिन का समय निकालना पड़ेगा । सदन का हमारा मूल्यवान समय है जिस पर समस्त प्रदेश का लाखों रुपया खर्च होता है । यह भी सोचना होगा कि क्या इस विषय पर यहां कोर्ट की तरह विचार करके इतना समय बरबाद किया जाय और इतना रुपया बरबाद किया जाय ? मैं तो माननीय मित्र से जिन्होंने याचिका दी है यही प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी याचिका वापस ले लें , उसको आप स्वीकार न करें क्योंकि अभी प्राग्दर्शन में यह तय नहीं हुआ है कि इसको स्वीकार किया जाय या नहीं । यह प्रश्न इस समय जैसा है वह ऐसा है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता । जब आप श्रीमन्, यह तय कर लेंगे कि इस पर विचार किया जाय, तभी इस पर विचार करना सम्भव होगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है वह किसी दल का नही है, सदन के किसी ग्रुप का नहीं है , बल्कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का है और श्रीमन्, केवल माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का ही नहीं है बल्कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के जो साधिकार हैं उनकी मर्यादा का भी है। मान्यवर, इस सदन की मर्यादाओं को रखने के लिये, सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये, यह आवश्यक है कि सदन का प्रत्येक सम्मानित सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें। मैं सम्मानित सदस्य गाजीपुर का ध्यान उन्हीं के द्वारा ६ अगस्त, १९६२ को यहां उठायी गयी एक व्यवस्था के प्रश्न की ओर आकर्षित करूंगा। उस दिन सदन में जो घटना श्रीमन्, घटी उसको जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे उन्होंने देखा कि वह कितनी लोमहर्षक घटना थी। एक सम्मानित सदस्य किसी आवेश में आकर आपके पास सीट तक पहुंचे और उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष को घसीटने की चेष्टा की और इस प्रकार उन्होंने इस सदन की कार्यवाही में भारी बाधा पहुंचायी। यह एक ऐसी आक्रामक घटना हुई जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने खेद प्रकाशित किया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि ऐसी घटना नहीं हुई। तो ५ तारीख को जो घटना हुई वह अत्यन्त अशोभनीय और खेद जनक है, इसको भी सब मानते हैं। श्रीमन्, जब माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष पर हर प्रकार से आक्रामक हमला होने लगे और उस पर भी यह सदन नोटिस न ले तो यह सदन के विशेषाधिकार की तथा आपकी इस कुर्सी की भारी अवहेलना होगी। इसलिए इस पर तुरन्त विचार करना आवश्यक है।

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य गाजीपुर ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया ६ अगस्त, १९६२ का मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं "६ अगस्त, १९६२ को पिछले दिन श्री नेकराम शर्मा द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति प्रयुक्त कतिपय आपत्तिजनक वाक्यों के सम्बन्ध में श्री कृष्णानन्द राय द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने जब श्री नेकराम शर्मा को अपना स्पष्टीकरण करने के लिए कहा, उस समय श्री नेकराम शर्मा ने उस शिकायत की एक प्रतिलिपि की मांग की जो श्री कृष्णानन्द राय ने उनके विरुद्ध की थी। कुछ अन्य सदस्यों ने भी शिकायत की प्रतिलिपि श्री नेक राम शर्मा को दिये जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पहले उनको प्रतिलिपि मिल जाय तभी इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार हो सकता है। श्री अध्यक्ष ने इसे अनावश्यक बताया तथा सम्बन्धित नियम को उद्धृत करते हुए कहा—"नियम ६४ और ६५ को ६४ के परन्तुक के साथ पढ़ना चाहिये और परन्तुक यह है कि यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष की गई हो तो सदन बिना किसी शिकायत के कार्यवाही कर सकेगा। तो यह शिकायत आपके सामने की ही है। एक माननीय सदस्य इस सदन के समक्ष जो घटना हुई, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो शिकायत और लिखित शिकायत का कोई प्रश्न नहीं है। अगर लिखित शिकायत की आवश्यकता नहीं है तो लिखित शिकायत की प्रतिलिपि देने का भी प्रश्न नहीं उठता।"

तो इस प्रकार माननीय सदस्य की बात केवल प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्यों पर है, जबकि यहां पर शारीरिक आक्रमण अध्यक्ष के ऊपर किया गया है। मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी पाकिस्तान असेम्बली में उपाध्यक्ष पर कितना घातक हमला हुआ, तो क्या माननीय सदस्य इस बात के लिए राजी होंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर, जो सदन की कुर्सी पर बैठें, इस तरह के हमले किये जाएं। ऐसा चलते किस तरह से प्रजातन्त्र चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नियम ७१ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "उस दशा को छोड़कर जबकि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दंड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा"। तो इसमें नियम ७१ का उल्लेख करना आवश्यक है। जब उसके सामने कहा है तो प्रश्न उठता है जब कि सबके सामने यह काण्ड हुआ, तो इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। आपने अपने प्रातःकालीन निर्देश में यह कहा कि साढ़े चार बजे तक सम्बन्धित माननीय सदस्य यहां आ जाएं। तो आपने स्वयं कृपा करके उनको एक अवसर दे दिया। जबकि

कोई आवश्यकता भी नहीं थी । आपने कहा साढ़े चार बजे तक यहां आ जाएं । मैं बहुत आभारी हूं, माननीय सदस्य बाराबंकी का कि उन्होने स्वयं सदन में खेद प्रकाश किया । लेकिन उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं की है । वह खुद खेद प्रकाश के लिए उपस्थित नहीं हुए । यह दोष किसी दूसरे का है, उनका है और वह उपस्थित नहीं हुए खेद प्रकाश करना तो दूर रहा ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सिर्फ दो को सुनूंगा । माधवप्रसाद त्रिपाठी व जायसवाल जी को ।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक उपस्थित प्रश्न समाप्त न हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे स्वीकार किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह अनियमित प्रश्न है । नियमों में यह निहित है कि जब कभी सदन का समय बढ़ाया जाएगा तो निश्चित समय के लिए बढ़ाया जाएगा । लेकिन यहां 'जब तक' की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो चार तारीख को भी इसी प्रकार बढ़ाया था कि जब तक समाप्त न हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक बार गलती हो गई, लेकिन इस बार आप ठीक कर लीजिए उसे । यह सदन स्वयं यह जानता है कि मामला किसी दल विशेष का नहीं है । यह सदन का अवमान है । इसके सम्बन्ध में बहुत-सी कानूनी बारीकियां भी हैं । आखिर यह जल्दी क्यों की जा रही है ? जिस तरह से यह जल्दी की जा रही है उससे मालूम होता है जैसे हम इंसाफ करने को नहीं बैठे हैं, खून करने को बैठे हैं । इसलिए निवेदन करता हूं कि ये लोग अपराधी हो सकते हैं, किन्तु आप न किसी के शत्रु हैं न किसी के मित्र हैं । आप ऐसी इजाजत क्यों दे रहे हैं जिससे मालूम हो कि इंसाफ करने बैठे ही नहीं हैं । इसलिए एक तो इस मामले में जल्दी न की जाय, फिर सुबह से शाम तक इसमें विचार की भी जरूरत है और आगे भी विचार की जरूरत पड़ेगी । आज क्यों समय बढ़ाया जाय ? कल क्यों न बहस करें, और दस दिन तक क्यों न बहस करें । एक घंटा पहले ही बढ़ चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्न रखता हूं । प्रश्न यह है कि सदन, जब तक कि इस विषय पर चर्चा न पूरी हो, तब तक बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या यह प्रस्ताव है कि तब तक सदन बैठे जब तक ग्राह्यता का प्रश्न तय न हो या समस्त प्रश्नों की बात है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मेरे ऊपर निर्भर है। तय होने पर मैं यह कर सकता हूं कि इसको ऐडजर्न कर दूं क्योंकि मैंने ४ तारीख को किया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह समझ कर चल रहा हूं कि केवल ग्राह्यता का प्रश्न विचाराधीन है। तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किया उसमें इस पहलू को धपले में छोड़ दिया कि जिन अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं शायद उन लोगों के मन में यह धारणा है कि यह जो घटना घटित हुई है उसके साथ किसी तरह की सहानुभूति है। हम जानते हैं कि जनतन्त्र की हमें रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, हमें संसदीय प्रणाली में विश्वास करना है। हमें खेद है, माननीय सदस्य ने खुद खेद प्रकट किया। दुख है, वह पहलू बिलकुल अलग रख दीजिए। दूसरा पहलू यह है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं। कार्यवाही आप अपने मन की कर नहीं सकते। उसके लिए कोई पद्धति है यानी संविधान है, उसके अन्तर्गत नियम हैं, कानून के अनुसार हम काम करें। उसके विपरीत काम न करें। झगड़ा केवल इस बात का है, आप सजा दीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले साधारण नियम है कि आप मौका दें। महात्मा गांधी के मर्डरर ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमने मर्डर किया, सारी दुनिया ने देखा, लेकिन तुरन्त ही नहीं किया गया, उसको अवसर दिया गया उसको फौरन शूट कर देना चाहिये था, उसने जघन्य अपराध किया था लेकिन कानून और नियम का पालन हुआ और नियम का पालन होने के बाद तब फांसी की सजा दी गयी, जो तत्काल दी जानी चाहिये थी। चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला पर एक व्यक्ति ने न्यायालय में हमला किया। कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में अधिकार था कि तुरन्त सजा दे देते। लेकिन वह गवाह बने और दूसरी अदालत में उसको भेजा। उन्होंने स्वयं कोई कार्य नहीं किया। आप निष्कासन कीजिये, जो आप चाहते हैं कार्यवाही करें, हम कुछ नहीं कहते, जो दंड सारा सदन नियत करे, हम उसके सामने नत मस्तक हैं। लेकिन यह क्या कि तुरन्त पास करें और लोग हमारी नीयत पर दोषारोपण करने लगें। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते।

यह तो आप मानेंगे कि पहला प्रश्न ग्राह्यता का है। केवल एक नियम देख लें तो सारा विवाद समाप्त हो जाता है। यह देख लें कि प्रश्न ग्राह्य, जिसको अंग्रेजी में एंटरटेनेबिल कहते हैं है या नहीं। ऐसे प्रश्न ही की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियन्त्रित होगी :—"प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध हो, सूचना के विषय में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो तथा ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।" अब इसके आगे विशेष परिस्थिति के लिये प्रतिबन्ध भी लगा दिया है क्योंकि किसी को भी अदालत में खड़ा होने के पहले, सदन की अदालत में खड़ा होने के पहले उसको सुना जायगा। कोई भी सदस्य हो शिकायत होने पर उस सदस्य को और शिकायत करने वाले को आप सुनेंगे। इसमें यह है कि "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।" केवल लिखित होगा तभी आप उसको मौका देंगे ऐसी बात नहीं है। ऐसी कानून की मन्शा कभी नहीं हो सकती है। इसलिये उसको लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध की बात इसलिये कही ताकि आप उस पर विचार कर सकें। हम इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहते हैं। इस विषय पर आप विचार करें। उस व्यक्ति को भारी से भारी सजा दें इससे हमारा मतलब नहीं है लेकिन इन सब के पहले इन सब बातों को करने के लिये पहले उस सदस्य को आप अवश्य सुनें। माननीय सदस्यों के बारे में विशेषता दी गई है। जब आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं तो आप उसको सुनें क्योंकि हर जगह इस प्रकार का मौका दिया जाता है।

मैं आपकी आज्ञा से जो मूल शिकायत की बात है उसको भी सम्बन्धित नियम से बताना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध ६६ से है :—

"उसमें है 'शिकायत का प्रस्तुत किया जाना' इसमें यह बताया गया है कि आपके सामने शिकायत को कैसे रखा जायगा" किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।" अन्य सदस्यों से इसका अभिप्राय नहीं है। केवल उससे सम्बन्धित है जो सम्बन्धित सदस्य हैं उसको सुना जायगा। उसको सुनकर ही फैसला किया जायगा। अब इसके आगे भी देखने का कष्ट करें। ६७ में भी कहा गया है कि "विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न पर सदन द्वारा विचार" इसके अन्तर्गत जो प्रतिबन्ध दिया गया है कि "परन्तु यदि सूचना सचिव या समिति के प्रतिवेदन द्वारा अथवा याचिका द्वारा प्राप्त हुई है तो सदन में विषय पर विचार आरम्भ होने के पूर्व यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो प्रतिवेदन अथवा याचिका की प्रतियां छपवाकर सदस्यों में वितरित की जायंगी"। यह इसलिये लिखा गया है कि अन्याय न होने पाये। जिस बात को सामने आना चाहिये वह सामने आ सके इसलिये जिसके खिलाफ शिकायत है उसको ही मौका देने की बात नहीं है बल्कि अन्य व्यक्ति को भी कहने का अवसर दिया जायगा। यह बात अपनी जगह पर बिलकुल अलग है कि उसने सही किया या गलत किया।

अब मैं नियम ६८ का भी उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि सदन के समक्ष शिकायत का निस्तारण कैसे किया जायगा। "यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्संबंधी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा"। अब आगे दूसरे में यह लिखा है कि "वे सदस्य जिनके खिलाफ शिकायत की गई है इस प्रकार नियत दिन पर सदन में उपस्थित होंगे और यदि उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे अध्यक्ष को अपनी स्थिति के कारण की सूचना देंगे और सदन में दिये गये कारण को देखते हुये उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा"। अब इस सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदस्य की अनुपस्थिति में उठ रहा है और उस पर विचार हो रहा है। परन्तु जिस वक्त उनके खिलाफ दण्ड देने की बात कही जायगी तो उसको भी बुला सकेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सी शिकायत आई तो उनको सुना गया जिनके विरुद्ध शिकायत थी। अदालत में आप देख चुके हैं कि सुना जाता है। अगर वह नहीं उपस्थित है तो बतायेगा कि अमुक कारण से उपस्थित नहीं था। यह इसलिये कहा गया है कि न्याय में बाधा न पड़े। इस कारण उसे पुनः अवसर दिया जाय अपना केस अदालत के सामने रखने के लिये। जब हम यह कहते हैं कि सजा नियमानुसार दी जाय तो खेद और लज्जा की बात है कि नियमों का पालन न करने के लिए हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाय। सारे सदन की गरिमा खत्म हुई, बेइज्जती है क्या दो राय हैं? संसदीय प्रणाली के विपरीत यह कार्य है, क्या दो राय हैं? लेकिन नियमावली है जिसके अनुसार हमको चलना होगा। सजा कुछ भी दीजिये लेकिन आप उसको अवसर दीजिये कि क्या कहता है यह जानते हुए कि वह कुछ कह नहीं पायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जिस प्रकार सदन के सामने प्रस्ताव पढ़ा गया उससे मालूम होता है कि सदन के सामने कोई शिकायत नहीं है। सारे नियमों को तोड़ कर हम एक बारगी नियम ७३ पर पहुंच गये "यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो समिति सिफारिश करेगी और सदन को निम्नलिखित दण्ड देने की शक्ति होगी"। और हमने प्रस्ताव कर डाला नियम ७० में "सम्बन्धित सदस्य का जितना टर्म बचा है, अवधि बची है उस सबके लिये उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाय"। मैं चाहूंगा जरा नियमों पर गौर से आप विचार करें। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इस सदन के सम्मानित सदस्य का सवाल है अगर उनके खिलाफ हम यह कार्यवाही करना चाहेंगे एवान की तौहीन के लिये तो उसके

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

लिये एक निश्चित प्रोसीजर है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सदन का सदस्य नहीं है तो उसके लिये दूसरा प्रोसीजर दिया गया है। मैं समझता हूं कि अभी तक जो बहस हुई है उसमें इस तरफ आपका ध्यान नहीं खींचा गया है कि अवमान का जो प्रश्न है या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है तो वह कैसे लिया जायगा ? वह उठाया जायगा किसी मेम्बर की शिकायत के द्वारा, आपके जो सचिव हैं उनके प्रतिवेदन के द्वारा, याचिका के द्वारा या समिति के प्रतिवेदन के द्वारा उठाया जा सकगा। यह है साधारण नियम। इसी के साथ-साथ जो प्राविजो लगा हुआ है उसमें यह है "परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।"

मान्यवर, जो सदन के समक्ष अवमान या विशेषाधिकार भंग की घटना होगी उसमें खाली इतनी ही छूट है कि तुरन्त ही हम प्रोसीड करें तो उसमें लिखित शिकायत की जरूरत नहीं होगी। अलावा इस रियायत क और कोई रियायत है ही नहीं। अगर यह प्रश्न उसी दिन उठाया गया होता तो लिखित शिकायत की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस केस में तो शिकायत ही आपके पास नहीं हुई। तो इसकी ग्राह्यता पर विचार करने का सवाल नहीं उठता है। इसको फिर से पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उत्तर दे चुके हैं। आपको बोलना हो तो बोलिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि शिकायत मिली नहीं है। सदन को इसकी जानकारी नहीं है। अगर पढ़वा दें तो बड़ी कृपा होगी। शिकायत नहीं पढ़ी गई। खाली उन्होंने भाषण किया है। इसलिये कहना चाहता हूं कि आप इसको देख लें। वह शिकायत नहीं है। यह तो निश्चित प्रस्ताव माननीय सदस्य को निष्कासित करने का है। यदि आप उसको पढ़वा देंगे तो यह हमारे और माननीय अन्य सदस्यों के ऊपर मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष—

शिकायत तो इसमें है। इसके बाद प्रस्ताव है। पहले शिकायत है। सदन के समक्ष श्री शिवदास, एम० एल० ए०, मिर्जापुर ने उपाध्यक्ष जी के साथ ५ तारीख को जो दुर्व्यवहार किया है, वह सदन के इतिहास में एक अनोखी घटना है जिसके कारण सदन की बहुत बड़ी अवमानना हुई है तथा माननीय सदन के सभी विधायकों का सिर लज्जा से झुक जाता है। इन हरकतों से लोकतंत्र नहीं चल सकता है जिसको बचाना हमारा और आप सभी का कर्तव्य है। अतः मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति न हो सके।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी घटना का जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष —

उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आप के सामने निश्चित शिकायत नहीं आई है जिसे देखकर तय कर लें कि प्रा०दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं। इसमें किसी घटना का जिक्र नहीं है। इसमें तो

राय का जिक्र है। आपने कहा कि यहां तक दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन घटना क्या हुई, यह नहीं है। यह उनकी राय हो सकती है। लेकिन ग्राह्यता की शर्त क्या है? शर्त नियम ६५ में यह है। ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्निलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी :—

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो, इसका मैं अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ दूं ताकि माननीय मित्र की समझ में आ जाय।

"The question shall be restricted to a specific matter of recent occurence".

इसका मतलब साफ-साफ यह हुआ कि इसमें घटना का वर्णन होना चाहिये जिसको लेकर या जिसके आधार पर अवमान का प्रश्न उठाया जाता है। वह उसी हद तक सीमित रहना चाहिये जिसमें घटना का निश्चित वर्णन आ जाय और हाल का होना चाहिये और निश्चित होना चाहिये। पहली शर्त ग्राह्यता की यह है।

दूसरी शर्त यह है कि सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्रा दर्शन से विदित हो। जो शिकायत आपके सामने आई है उसे पढ़ें तो कहां लगेगा कि प्राइमाफेसी केस इस्टेबलिश होता है। जो सामग्री आपके सामने रखी गई है वह न तो कोई शिकायत है और न कोई प्राइमाफेसी केस ही बनता है। और मान्यवर उसमें (३) यह है कि "ऐसे मामले में सदन में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।" जब यह तीनों चीजें एस्टेब्लिश हो जायंगी तब यह मामला ऐडमिट किया जायगा और देखा जायगा कि एडमीशन के काबिल है या नहीं है, ग्राह्यता नहीं है। जब पहले यह तय हो जायगा तब आप उनको अनुज्ञा देंगे कि यह मामला इस सदन में उठाया जाय, इसके पूर्व नहीं।

यह सदन उस शिकायत को जानता है, संबंधित सदस्य को भी इसके बारे में मालूम नहीं है कि निश्चित शिकायत क्या है। जो तथ्य माननीय पांडेय जी के द्वारा कहे गये हैं, उनके बारे में मैं बड़े अदब से कहूंगा कि वे गलत बयानों के सिवाय और कुछ नहीं हैं। यह मैं सच कह रहा हूं कि शिवदास तिवारी ने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई शोर नहीं किया। वह सीधे उठे और आप की कुर्सी तक पहुंच गये। आपको कहीं भी इस प्रकार की चीज नहीं मिलेगी जिस प्रकार के तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं। मान्यवर, उनकी सत्यता में शक है, इसलिये मै कहूंगा कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाय और यह प्रश्न जो कोई भी सदस्य उठाना चाहते हों, वह फिर से उठायें। वे जब उठायें तो नियमानुसार वे शिकायत सदन के सामने रखें और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को भी देनी पड़ेगी।

मैंने यह प्रारम्भ में ही कहा है कि जहां तक नियमों का प्रश्न है उनमें विभेद बरता गया है किसी माननीय सदस्य में और अन्य व्यक्ति में। जहां-जहां नियमों में सदस्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य है सदन का सदस्य और जहां नियमों में सदन के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से है वहां पर 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आप का ध्यान नियम ६८ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें वह प्रोसीजर दिखाया गया है कि अगर कोई शिकायत किसी सम्मानित सदस्य के खिलाफ है तो क्या प्रोसीजर अख्तियार किया जायगा और इसमें यह भी प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो क्या प्रोसीजर अख्तियार किया जायगा। वहां पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है।

नियम ७१ का हवाला दिया गया है कि क्यों कि सदन के सामने घटना हुई है इसलिये लिखित शिकायत देने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में मान्यवर, मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली बार जो कार्यवाही हुई बदकिस्मती से वह भी नियमों को तोड़ कर की गयी। उस वक्त चौधरी साहब हमारे वकील थे, हमारे पक्ष में थे और हमारी हिफाजत कर रहे थे और एक्यूजर थे माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य। लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि आचार्य जी वकील हो गये और चौधरी साहब एक्यूजर हो गये। लेकिन उस

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

वक्त भी नियमों को तोड़ा गया और इस समय भी तोडा जा रहा है इसलिये मैं चौधरी साहब से अर्ज करूंगा कि नियमों को न तोड़ा जाय और हमारे साथ इन्साफ किया जाय । मैं किसी रूलिंग का हवाला देने नहीं जा रहा हू लेकिन नियमों में जो फायदा हुआ है उसको आप देखें । मेरे साथियों ने नियमों को अच्छी तरह से पढ़ने का कष्ट नहीं किया है नियमो में व्यक्ति और सदस्य का साफ साफ फर्क दिया गया है । मैं चाहता हूं कि सदस्यों के साथ नियमों के अनुसार प्रोसीड किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपको अब केवल ५ मिनट का समय मिलेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मैं जो बात कह रहा हूं वह असंगत है ?

श्री अध्यक्ष—

आप रिपीटेशन कर रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

रिपीटीशन नहीं है । मैं नियमों के अंशों को पढ देना चाहता हूं । नियम ६४ का दूसरा भाग इस प्रकार है कि नियम ६४ (२) में है कि यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी । मान लीजिये शिकायत जबानी की गई होती तो भी आपके ऊपर यह था कि अपनी सम्मति देने के पूर्व यह मामला ग्राह्य है या नही है यह देख लेते । नियम ६६ में दिया हुआ है कि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यो को सुन सकेंगे। तो जहां तक सदस्य का मामला है उसके हितों की रक्षा करने के लिये किस प्रकार से इन नियमों में कहा गया है कि इस पर मैं आपका ध्यान खीचना चाहता हूं । नियम ६८ मे यह है कि....

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे सदन मे एक ऐसा सदस्य है जो कि इस सदन का सदस्य नहीं है ।

श्री महीलाल—

वह सदस्य हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कह रहा था कि नियम ३८ मे है कि यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाये तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेखों को निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा । तो मान्यवर अगर कोई व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं हो तो आप इस प्रोसीजर नियम ७१ को फालो कर सकते है लेकिन सदस्य के खिलाफ जब आप प्रोसीड करेंगे तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है ।

एक रूलिंग आज १९ सितम्बर, ५८ को यह हुआ था कि श्री नन्द कुमार देव वशिष्ठ ने श्री राजनारायण तथा इसके दल के १२ सदस्यों के विरुद्ध अवहेलना का प्रस्ताव उठाया था । अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में कहा था कि चूंकि सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा लेकिन यह अच्छा होगा कि विचार उनकी मौजूदगी में हो । पढ़ने का मतलब यह नहीं होगा

कि मैंने इसको स्वीकृति दे दी है। श्री राजनारायण को सुनने के बाद अगर इसमें कोई आक्षेप है तो मैं फैसला दूंगा। मान्यवर, यह जो शिकायत की गई है वैसे तो पांडे जी एक अच्छे प्रैक्टिसिंग लाइयर हैं लेकिन जो शिकायत है उसमें जल्दबाजी और उतावलापन है। किसी मेम्बर को हम सदन से निकाल दें इससे बढ़कर सजा यहां पर नहीं है। जैसे कि कैपिटल सेंटेन्स में होता है कि किसी आदमी की जान आप लेने के बाद उसको वापस नहीं कर सकते हैं वैसे ही यदि आप यह फैसला ले लें तो सदस्य का टर्म खत्म हो जावेगा और फिर वह वापस नहीं मिल सकता है।

मान्यवर, मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह मांग इस सदन में जरूर होनी चाहिये कि सदस्य अपनी राय दे सकें। मैं चाहता हूं कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी में आ जाना चाहिये। इस वक्त जो शिकायत है वह सचमुच ही शिकायत है भी या नहीं। इस आधार पर कोई प्राइमाफेसी केस बनता ही नहीं है। इसलिये उस तरफ बैठे हुये सदस्य तिवारी जी के खिलाफ अवमान का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो इसकी एक प्रति उनको भी भेजी जानी चाहिये।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, सारी पार्टियों को आपने एक-एक या दो-दो सदस्यों के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया परन्तु पी० एस० पी० के जो नेता हैं उनको भी आप मौका जरूर देंगे। यदि आप ऐसा नहीं सोंचते हैं तो इससे सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है। माननीय विकल जी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि के नेताओं को क्या इसका अधिकार नहीं है कि वह अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष---

इस पर बहुत अधिक बहस नहीं करनी है। इसलिये अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री रामकरन (गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। अगर आप इस तरह से हमारी पार्टी के साथ व्यवहार करेंगे तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। यह एक गम्भीर मसला है, एक सदस्य को ४ साल के लिये बाहर निकालने का सवाल है। अगर अध्यक्ष महोदय, आप पी० एस० पी० के किसी सदस्य को नहीं सुनेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा और इस विरोधस्वरूप मैं सदन का वहिष्कार करता हूं।

[श्री रामकरन (गोरखपुर) प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।]

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि इस सदन में इस समय जो वातावरण है उसको देखते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको निबटाने का एक और भी सरल ढंग है। मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन के बाहर नेता सदन, विरोधी दलों के नेताओं के साथ आप बुला कर बातचीत कर लें। इस प्रकार से बड़े ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में आप इस प्रश्न को निबटा लें। इस तरह से यह प्रश्न आसानी के साथ निबट सकता है। यह ही अवसर नहीं है और आप इस प्रकार से और प्रश्नों को भी निबटा चुके हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस सदन में बहुत-सी कठिनाइयां हो चुकी हैं जिनका निराकरण आपने अपने कक्ष में किया है और उनको आपने बड़ी ही सद्भावनापूर्ण ढंग से निबटा दिया है। मैं आपसे फिर यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रक्रिया को अपनायें तो यह सवाल निबट सकता है।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि नियम ६३ में जैसा कि हमारे मित्र ने पढ़कर सुनाया भी है, यह लिखा हुआ है---"परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति के बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें यह कहीं नहीं है कि सदन अगर कार्यवाही कर सकेगा तो उसी रोज कर सकेगा। यह घटना ५ बजे के आस-पास की है। उस समय ऐसा वातावरण हो गया था कि उपाध्यक्ष महोदय सदन छोड़ कर चले गये। उस रोज यह हो सकता था। उसी वक्त श्री महीलाल जी ने यह कहा था कि हाउस का अवमान हुआ है और मैं इसका नोटिस दूंगा। वे न कहते तो भी उपाध्यक्ष महोदय उसका नोटिस उस वक्त ले सकते थे। अगर उन्होंने नोटिस नहीं ली तो आज सदन के रास्ते में कोई चीज बाधक नहीं है कि बिना शिकायत के वह नोटिस न ले ले। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि यह मान लिया जाये और हमें यह प्रिज्यूम कर लेना चाहिये कि हाउस ने उस घटना का नोटिस ले लिया है। अवमान से संबंधित दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं....

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के कुछ बोलने का प्रयत्न करने पर)

पहले मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। नियम ६४ में यह दिया हुआ है :---

"जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी।

यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतीक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी।"

तो अब मैं यह अर्ज करता हूं कि माननीय राजमंगल पाण्डे ने २ कापियां आपके पास भेज दी होंगी और मैं यह समझता हूं कि आपने वह कापी संबंधित सदस्य के पास भेज दी होगी। उसकी तामील हो गयी है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। अगर उनकी तामील हो गयी है, मगर बाजाब्ता दस्तखत नहीं हुए हैं तो....

श्री अध्यक्ष---

वे मिले नहीं थे, इसलिए तामील नहीं हो पायी हैं।

श्री चरण सिंह---

अगर आप यह समझते हैं कि सदन ने इस घटना का नोटिस नहीं लिया है तो मैं समझता हूं कि नोटिस ले लिया है। अगर फिर भी आपकी राय है कि तामील होनी चाहिए तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप शिकायत की तारीख लिख कर फिर उनको नोटिस भेज दें और कल की तारीख के लिए ले लें।

(मेजें थपथपाई गयीं।)

अगर इसमें कोई टेक्निकल बात है तो यह जरूरी है कि हमारे माननीय मित्रों को कोई शिकायत न रहे। जिस सौजन्य और शिष्टाचार के साथ यह सदन चलना चाहिए उसके लिये भी हमें प्रयत्न करना होगा। मुझे दुःख है कि पिछले ८-१० दिनों से इस प्रकार सदन नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो प्रस्ताव देने के संबंध में है। जैसा कि मैंने कहा कि जो घटना घटी उसका भी उल्लेख कीजिए। मैंने वह केस देखा जिसमें बम्बई में एक सदस्य का निष्कासन हुआ। मैंने मध्य प्रदेश का भी केस देखा। उसमें जो प्रस्ताव था उसको आप देखिये। उसमें यह लिखा है कि उन पर हमला किया गया। तो

यह प्रस्ताव में लिखा हुआ है। तो आप वह सब लिखा कर मेरे पास भेज दीजिए। अगर कल के लिए आप कहते हैं तो कल के लिए कर दिया जाये। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा तामील करने की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मेरी आपत्ति है निवेदन के साथ।

श्री अध्यक्ष—

तो कल के लिए हम इसको रखते हैं। मैंने उसको इन आर्डर कर दिया है। क्या घटना हुयी, उसका जिक्र प्रस्ताव में कर दीजिये।

दूसरी बात यह है कि तामील कैसे करायी जाये। मुझे आप लिख कर दे दीजिये, कल तामील करा देंगे। मैं एक चीज और चाहता हूं। माननीय श्री अनन्तराम जायसवाल इस मामले में सहयोग देंगे। वे सदस्य उनकी पार्टी के हैं। इसलिए उनको उपस्थित करने में वे हमें सहयोग देंगे। इसके बारे में मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। अगर वे यहां आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा अगर वे यह चीज नहीं करते हैं तो मैं यह मानूंगा कि यहां उपस्थित नहीं होना चाहते हैं और मैं तब वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३२ मिनट पर, मंगलवार १० मार्च, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ मार्च, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६९ पर)

प्रदेश में आई० टी० आई० की सूची

१—अल्मोड़ा
२—इलाहाबाद
३—देहरादून (लड़कियां)
४—लखनऊ
५—अलीगढ़
६—मेरठ
७—रामपुर
८—वाराणसी
९—आगरा
१०—बरेली
११—गोंडा
१२—कानपुर
१३—मिर्जापुर
१४—बलिया
१५—श्रीनगर (गढ़वाल)
१६—फैजाबाद
१७—गोरखपुर
१८—मनपुरी
१९—प्रतापगढ़
२०—इटावा
२१—एटा
२२—मथुरा
२३—पीलीभीत
२४—शाहजहांपुर
२५—बस्ती
२६—सीतापुर
२७—फतेहपुर
२८—रायबरेली
२९—आजमगढ़
३०—जौनपुर
३१—मुरादाबाद
३२—सहारनपुर
३३—हरदोई
३४—झांसी
३५—बिजनौर
३६—बुलन्दशहर
३७—देवरिया
३८—फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)
३९—लखीमपुर-खीरी
४०—जालौन
४१—मुजफ्फरनगर
४२—हल्द्वानी (नैनीताल)
४३—हरद्वार
४४—दिनेशपुर
४५—देहरादून (लड़कों)
४६—गाजीपुर
४७—सुल्तानपुर
४८—बहराइच
४९—काशीपुर (नैनीताल)
५०—चन्दौसी (मुरादाबाद)

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७७ पर)

COPY of Order no. 134-III—CRA (RS), dated June 10, 1969.

ORDER

Sri G. Pant, Deputy Collector, Rampur was appointed as Receiver of M/s Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur, *vide* my Order, dated 5th May,1969 for the recovery of the following items of Government and other dues, which are recoverable as arrears of land revenue :—

Serial. no.	Nature of dues	Number and date of recovery certificate	Amount involved (in Rs.)
1	Sugarcane purchase tax ..	12 Kraya-Kar-68 dated October 31, 1968.	4,99,839.78
2	Arrears of cane price ..	October 31, 1968	4,01,928.04
3	Ditto	No. 1 dated March, 1968.	2,47,390.72
4	Ditto	No. 198 dated July, 1966.	62,00,610.90
5	Ditto	No. 46 dated April, 1967.	15,38,054.02

The appointment of Sri G. Pant as Receiver of M/s. Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur, is hereby cancelled and he will be relieved immediately.

I, S. Ramesh, Collector Rampur, U. P. in exercise of the powers under section 146(i)—182-A(i) (*a*) of the U. P. Land Revenue Act, 1901 read with section 2 of the U. P. Land Revenue Provisions (Extension Rampur) Act, 1969 (President's Act no. 5 of 1969), do hereby appoint Sri P. C. Jhunjhunwala, President, M/s Raza Buland Sugar Co. Ltd., Rampur as Receiver of the said Company, vice Sri Pant (for the realisation of he dues mentioned in para of the order) over the assets and business of the said company from the date of his taking over charge as receiver till 31st October, 1969, in the first instance.

The appointment of Sri Jhunjhunwala, as Receiver of the aforesaid company, shall be subject to fulfilment of the following conditions :—

(1) That Sri Jhunjhunwala shall immediately pay to the undersigned a sum of Rs. 3.50 lakhs for payment of cane price of 1968-69 season due to the cane growers. The said amount shall be deposited with the Punjab National Bank, Rampur and it will be disbursed to various cane unions according to the instructions issued by the undersigned. The balance of the cane price shall be paid as follows :

(2) That Sri Jhunjhunwala shall arrange that a sum of Rs. 7 per bag of the sugar sold and delivered out of 1968-69 seasons production, will be paid by the Punjab National Bank direct to the undersigned for payment of arrears of cane price for 1968-69 season. This amount shall be paid by the bank to the undersigned every week. Sri Jhunjhunwala shall furnish a weekly statement of such sales to the undersigned. He will confirm in writing the arrangements made with the bank in this regard. The bank, will issue a letter of credit in this connection.

(3) That Shri Jhunjhunwala and the company shall indemnify the Government, Collector and the previous receivers and all or any other officers of the state Government in respect of any action taken, as done or purporting to have been done by the Government the Receiver and the Collector in bonafide discharge of their duties in respect of the order of appointment of receiver and any action taken so far in that regard and that no action shall be taken in respect therefor by Sri Jhunjhunwala and the company.

(4) That Shri Jhunjhunwala shall make his own financial arrangements for the company and arrange to get the guarantee given by the State Government discharged by the Punjab National Bank. The guarantee of the State Government shall be discharged and shall be deemed to have been discharged as soon as Sri Jhunjhunwala takes over as receiver of the aforesaid Company.

(5) That all movable and immovable property of the Company shall remain attached as before till the entire dues are paid out for previous years as well Sri Jhunjhunwala and the company may however, sell surpl us property movable or immovable after prior sancion of the undersigned and with such conditions as the latter may impose.

(6) That Sri Jhunjhunwala shall sell sugar of the company at the best market price and furnish to the undersigned the daily market report of the sugar prices and shall also furnish to the undersigned a daily statement of the sugar sold.

(7) That the remuneration of Sri Jhunjhunwala shall be what he had been drawing as president of the company.

(8) That apart from the normal and routine expenses of the company Sri Jhunjhunwala shall not incur any extra expenditure and shall seek the sanction of the undersgiend before so doing.

(9) That Sri Jhunjhunwala shall get the new arrangement confirmed by the Bankers particularly regarding the discharge of the guarantee of the State government and the payment of the amount of Rs. 7 per bag as mentioned before to the undersgined out of the sale of sugar.

(10) That Sri Jhunjhunwala shall further follow all and any instructions that may be given to him by the undersigned regarding the management of the company. He will keep regular and proper account of the business activities of the company.

(11) That Sri Jhunjhunwala shall get the arrangements confirmed by the Board of Directors of the company as early as possible.

(12) The details of the assets and property owned by Sri Jhunjhunwala and furnished by him separately *vide* his letter, dated 9th June, 1969, have been noted. He shall not alienate the said property during the period of his receivership and till such time thereafter as the accounts for the period of receivership are not finalised.

(Sd.) S. RAMESH,
Collector, Rampur, U. P.

लखी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७८ पर)

गोंडा डिपो

क्रम-संख्या	गाड़ी संख्या		डिपों में गाड़ी देने की तिथि
१	यू० एस० बी०	२७७७	३०-७-५९
२	"	२७८८	४-८-५९
३	"	२७७९	३०-७-५९
४	"	३०१२	१८-३-६१
५	"	३०१३	"
६	"	३०१४	"
७	"	३०१५	१९-५-६१
८	"	३०१६	"
९	"	३१३३	१३-१०-६१
१०	"	३१३४	१९-५-६४
११	"	३१६४	२४-१२-६१
१२	"	३१६५	"
१३	"	३३५२	९-९-६२
१४	"	३३५३	"
१५	"	३४७१	४-४-६३
१६	"	३४७२	८-४-६३
१७	"	३४५९	७-३-५९
१८	"	३८८२	१६-४-६५
१९	"	३८८३	"
२०	"	४२२९	२७-११-६७
२१	"	४८३०	२९-११-६७
२२	"	४८३१	"
२३	"	४८३२	१-१२-६७
२४	"	४९०५	२५-१-६८
२५	"	५३७९	१२-११-६८
२६	"	५९१४	२५-९-६९
२७	यू०पी०आर०	९५४९	२४-१-६८
२८	यू० एस० बी०	६०२८	१-११-६९
२९	"	५२१०	२०-७-६८
३०	यू०पी० आई०	४२४५	२४-१-६८
३१	यू० एस० बी०	६०४५	४-११-६९
३२	"	६१२०	३-१२-६९
३३	"	३४८२	२३-६-६३

सत्यमेव जयते संसद

बलरामपुर डिपो

क्रम-संख्या		गाड़ी संख्या	डिपो में गाड़ी देने की तिथि
१	यू०एस० बी०	२७३८	९-११-६१
२	"	२८६५	१-३-६९
३	"	२८६७	"
४	"	२९३१	५-३-६०
५	"	२९८९	८-२-६१
६	"	२९९०	२०-२-६१
७	"	२९९१	"
८	"	२९९२	१८-२-६१
९	"	३५०९	३-६-६१
१०	"	३०६०	"
११	"	३०६१	"
१२	"	३०७७	४-१२-६५
१३	"	३११६	११-१०-६१
१४	"	३१८३	८-१-६२
१५	"	३४९०	४-५-६३
१६	"	३४९१	६-५-६३
१७	"	३५१६	२७-६-६३
१८	"	३५५५	२२-१०-६३
१९	"	३५५६	"
२०	"	३६७२	२-५-६४
२१	"	३९९२	३०-७-६५
२२	"	३९९४	५-८-६५
२३	"	४४५७	२१-२-६७
२४	"	४४६३	२८-२-६७
२५	"	४४६५	१-३-६७
२६	"	४४६६	"
२७	"	४४६७	"
२८	"	४४६८	"
२९	"	४४६९	"
३०	"	५१०५	१५-५-६८
३१	"	५१९४	२८-२-६७
३२	"	२८४२	५-८-६५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर).

देवरिया जिले की चीनी मिलों के विरुद्ध ३१-१-७० तक बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	चीनी मिल	चालू सीजन	१९६९-७० का पुराना	योग	प्रमाण-पत्र में की गई धनराशि	प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि
१	२	३	४	५	६	७
१	देवरिया ..	.. ६.३८	..	६.३८	..	..
२	बैतालपुर	.. १०.६४	..	१०.६४	..	..
३	गौरी बाजार	.. १०.८५	..	१०.८५	..	..
४	भटनी ..	.. १४.८१	६.०४	२०.८५	६.०४	३-३-७०
५	प्रतापपुर	.. ४.२०	..	४.२०	..	..
६	सरदारनगर (गोरखपुर)	.. २६.४८	..	२६.४८	..	..
७	छितौनी	.. ७.५८	०.१५	७.७३	०.१५	..
८	खड्डा ..	.. ४.२५	११.७४	१५.९९	११.७४	..
९	कप्तानगंज	.. ११.९४	..	११.९४	०.१३	..
१०	लक्ष्मीगंज	.. १३.४३	०.१३	१३.५६	..	..
११	रामकोला (पी०)	.. २१.७८	..	२१.७८	..	..
१२	रामकोला खेतान	.. ७.३९	७.२४	१४.६३	७.२४	..
१३	पडरौना ..	.. १५.००	..	१५.००	..	..
१४	कठकुइयां	.. ९.११	..	९.११	..	..
१५	सेवरही ..	.. ७.८०	..	७.८०	..	..
	योग	.. १७३.६४	२५.३०	१९६.८४	..	

अतिरिक्त गन्ना मूल्य के अवशेष धन की स्थिति ३१-१-७० तक

(लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	वर्ष	अवशेष धनराशि
१	२	३	४
१	खड्डा ..	.. १९५८-५९	२.६३
२	रामकोला (पी०)	.. १९६२-६३	०.७३
३	गौरी बाजार	.. १९६०-६१ १९६१-६२	३.२५ ०.९९
४	सरदार नगर	.. १९५९-६०	०.८५ (केवल देवरिया जिला के काश्तकारों का)
		१९६०-६१	१.१६
	योग ..		९० ८.७१ लाख

अदर पदेश्वर सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

मार्च, ६९ से ३१-१०-६९ तक इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त उद्योगों की सूची:—

निकेल तथा निकेल सिलवर स्ट्रिप, राड व वायर्स।

टेबिल, पेडेस्टल व सीलिंग फैन्स।

ब्रेक लाइनिंग तथा क्लच फेसिंग।

कास्टिक सोडा तथा क्लोरिन गैस।

जूट कारपेट पैकिंग क्लाथ।

एस्बेस्टास मैकेनिकल पैकिंग, ड्राई ह्वाइट ग्राफाइट, नान मेटालिक रबर-एस्बेस्टास गैस्केट रा मेटेरियल तथा यार्न क्लाथ।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्योगों को इरादा-पत्र प्राप्त हुए :—

माल्ट एक्सट्रैक्ट

ड्राई सेल

मिल्क फूड

नाइलान फिलामेन्ट यार्न

शूगरकेन क्रशिंग

पौलियस्टर फाइबर

ट्रांसफारमर्स

टेप रिकार्डर्स

सोडा ऐश अमोनियम क्लोराइड,

मेटलाइज्ड फिल्म केपैसिटर्स

आर० एन० क्लिप्स,

डिफलेक्शन क्वायल,

टनर्स।

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर)

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जिला परिषद्, देवरिया द्वारा सन् १९६५ से सन् १९६९ तक निर्मित हो रही सड़कों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ब्लाक	सड़क सूची क्रम संख्या	नाम निर्मित हो रही सड़कें
१	२	३	४
१	रुद्रपुर	१	रुद्रपुर—गजपुर सड़क।
	,,	२	रुद्रपुर—नगवा सड़क।
२	गौरी बाजार	३	उसरी—रुद्रपुर सड़क।
	,,	४	कंकड़—मेटलिंग सर्विस रोड।
३	सेवरही	५	तमकुही—सिसवा नाहर सड़क।
	,,	६	सेवरही—पिपराघाट सड़क।
४	विशुनपुरा	७	पडरौना—मंसाछापर सड़क।
	,,	८	अटहां—विन्नर पट्टी सड़क।
५	तमकुही	९	तमकुही—सपउर रोड।
६	कसया	१०	सपहा—खेखवनिया रोड।
७	कप्तानगंज	११	नाहर—छपरा सड़क।
		१२	पिपराइच—परतावल सड़क।
		१३	पकड़ी—सोहरौना सड़क।
८	हाटा	१४	पिपरा—बड़हरा—कप्तानगंज सड़क।
९	पडरौना	१५	सोहनरिया—सीढ़ी खुर्द सड़क।
१०	दुधही	१६	दुधही—जमुआन घाट सड़क।
११	भाटपार रानी	१७	भाटपार—बडारी—बंगरा सड़क।
१२	लार	१८	लार—पिंडी—डुमरी सड़क।
	,,	१९	लार—धनुवा—घाट सड़क।
१३	सलेमपुर	२०	नूनखार—भटनी सड़क।
	,,	२१	कंकड़—मेटलिंग सर्विस रोड।
१४	खड्डा	२२	नवरंगिया—कोटवा सड़क।
१५	बरहज	२३	पकड़ी—बाजार—बैरिया घाट सड़क।
१६	शुकरौली	२४	कंकड़—मेटलिंग सर्विस रोड।
१७	पथर देवा	२५	कंकड़ मेटलिंग सर्विस रोड।

परिशिष्ट 'ख'

ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जिला परिषद्, देवरिया द्वारा सन् १९६५ से सन् १९६९ तक निर्मित और गहरे किये गये तालाबों की सूची :

क्रम-संख्या	नाम ब्लाक		तालाब सूची क्रम-संख्या	नाम तालाब जो कि ग्रामीण जन-शक्ति द्वारा निर्मित या गहरे किये गये
१	२		३	४
१	गौरी बाजार	..	१	देवकुवां तालाब
	,,		२	हरपुर ,,
	,,		३	भगुसारी ,,
२	हाटा	..	४	कुरहवा ,,
	,,		५	पतरौली ,,
	,,		६	सिधांना ,,
	,,		७	पुडारा भिंडा ,,
३	लार	..	८	भावाराय नेगा ,,
	,,	..	९	धनपवार ,,
	,,	..	१०	लारचक ,,
	,,	..	११	रामनगर ,,
	,,	..	१२	नदौली ,,
४	कैप्टनगंज	..	१३	मखुकट्टी ,,
	,,	..	१४	सोना पाकर ,,
	,,	..	१५	भुजडीहा ,,
	,,	..	१६	देवरवा ,,
	,,	..	१७	भलुही ,,
५	विशुनपुरा	..	१८	डुमरी ,,
	,,	..	१९	दानोपुर ,,
६	शकरौली	..	२०	शुकरौली ,,
	,,	..	२१	चतुरचक ,,
	,,	..	२२	पिपरा हुमेल
७	पथरदेवा	..	२३	विशुनपुरा ,,
	,,	..	२४	पुन्डी कुंड खुर्द नं० १ ,,
	,,	..	२५	,, ,, २ ,,
	,,	..	२६	सिधवे तालाब
	,,	..	२७	ब्रिकसा पट्टी तालाब
	,,	..	२८	भेली पट्टी तालाब
	,,	..	२९	कोटवा मिश्रा नं १ तालाब
	,,	..	३०	कोटवा मिश्रा नं० २ तालाब
	,,	..	३१	पुण्डी कुंडा कलां तालाब
८	बरहज	..	३२	हरनोथा तालाब
	,,	..	३३	कटैलवा तालाब
९	दुधई	..	३४	पंगरा राम बक्स राय तालाब
	,,	..	३५	मठिया गफी टोला तालाब
	,,		३६	माधोपुर तालाब।

१	२	३	४
१०	खड्डा	..	३७ सोहरौना तालाब
	,,	..	३८ नोगवां तालाब
	,,	..	३९ पुनेरी पट्टी तालाब
११	देसाई-देवरिया	..	४० पिपरा मदन गोपाल तालाब
१२	रुद्रपुर	..	४१ सदौमर तालाब
१३	पडरौना	..	४२ बरहज तालाब
	,,	..	४३ बहोरापुर तालाब
	,,	..	४४ भटवलिया तालाब
	,,	..	४५ सुडासबलिया तालाब
	,,	..	४६ बन्दीछापर तालाब
	,,	..	४७ चौपरिया तालाब
	,,	..	४८ सेडावनिया तालाब
	,,	..	४९ मेला तालाब
	,,	..	५० गन्धी बुजुर्ग तालाब
१४	रामकोला	..	५१ बरिया तालाब
	,,	..	५२ तरकुल्हवा तालाब
	,,	..	५३ कुस्मही तालाब
	,,	..	५४ पपौरा तालाब
	,,	..	५५ अन्दरिया तालाब
१५	सिवराही	..	५६ बहादुरपुर तालाब
	,,	..	५७ सिवराही तालाब
	,,	..	५८ सलीमगढ़ तालाब
	,,	..	५९ मुकुन्दपुर तालाब
	,,	..	६० बनवरिया तालाब
१६	तमकोही	..	६१ दुभरभार तालाब
	,,	..	६२ बगाही तालाब
	,,	..	६३ धुरिया कोट तालाब
	,,	..	६४ तमकोही तालाब
	,,	..	६५ बरवाराजा पाकर तालाब ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८४ पर)

वर्ष	कुल नलकूप जो बनाए गए	बिजली वाले नलकूप	जिनमें लाइन मिल गई	डीजल वाले नलकूप	शेष जिसमें बिजली अब भी मिलनी बाकी है
१९६६–६७	६३	६३	६३	—	—
१९६७–६८	६९	४८	१७	२१	१२
१९६८–६९	२०२	१५४	१२६	४८	—

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर)

आरोप संख्या १—

कि जब आप जिला बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में नियुक्त थे तब आपने कृषकों को दी गई ऋण की अग्रिम धनराशि में से १० रु० से ४० रु० प्रति सहस्त्र की दर से अनधिकृत कटौतियां कर ली थीं परन्तु ऋण प्रार्थना पत्रों पर पूर्ण धनराशि प्राप्त कर लेने की रसीदें आपने बदनीयती से प्राप्त कर ली थीं। इस प्रकार आप क्षेत्र विकास अधिकारी, के पद पर होते हुए अनधिकृत रूप से कटौतियां करने के दोषी हैं और उक्त प्रकार की संग्रह की गई धनराशि आप द्वारा गबन की गई है।

आरोप संख्या २—

कि जब आप पयागपुर के विकासखण्ड में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तो आपने अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान पर प्रति प्रायोजना ५० रु० की रिश्वत ली थी। इस प्रकार आप शासकीय अधिकारी की हैसियत से रिश्वत लेने के दोषी हैं।

आरोप संख्या ३—

कि जब आप जिला बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तो आपने श्री ठाकुर हुकुम सिंह, जो कि विधान परिषद् सीट के लिये कांग्रेस प्रत्याशी थे को सहायता देने के लिये जानबूझ कर अवकाश लिया था। पिछले आम चुनाव में आपने उनके भतीजे श्री शिव कुमार सिंह जो कि कांग्रेसी प्रत्याशी थे के पक्ष में उनको पूर्ण सहयोग देने में खुला प्रचार किया था। इस प्रकार आप दल राजनीति में भाग लेने के दोषी हैं तथा आपने शासकीय पद का दुरुपयोग किया है।

आरोप संख्या ४—

कि जब आप विकास खण्ड पयागपुर में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तो आपने बागात, एक मकान तथा कुछ भूमि अपनी पत्नी तथा बच्चों एवं अन्य संबंधियों के नाम से बिना शासन को सूचित किये तथा विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये ही क्रय कर ली थीऔर इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली की अवहेलना की।

आरोप संख्या ५—

कि जब आप पयागपुर विकास खण्ड में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तो आपने एक श्री विश्वम्भर मारवाडी को दिनांक २४ जुलाई, १९६७ को जब कि उन्होंने आपसे पयागपुर से आपके स्थानान्तरण के बारे में पूछतांछ की तो अपनी पिस्तौल से मारने की धमकी दी थी। आपकी इस प्रकार की हरकत सरकारी अधिकारी होने के नाते अशोभनीय है तथा आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

आरोप संख्या ६—

कि जब आप पयागपुर विकास खण्ड में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त थे तब आपने ग्रेचुएटी रिलीफ फण्ड की ५०० रु० की धनराशि श्री डी० सी० गर्ग, नायब तहसीलदार से प्राप्त की थी। उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि का लेखा जोखा आपसे कई बार मांगा था परन्तु आप द्वारा कोई भी लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आप उक्त शासकीय कोष में गड़बड़ घोटाला के दोषी हैं तथा अधिकारियों के आदेशों के प्रति उदासीनता तथा अनुशासनहीनता दर्शायी।

नत्थी झ

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८८ पर)

उन अधिकारियों के नाम जिनसे पिछले पांच वर्षों का अतिरिक्त जल के धन का भुगतान शेष है ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	शेष धनराशि
१	श्री टी०एन० भाटिया	उप उद्योग निदेशक	४१२.३२
२	श्री एम०वाई० सिद्दीकी	सहायक उद्योग निदेशक	७९३.०८
३	डा० सी०आर० मित्रा	भूतपूर्व प्रधानाचार्य एच०बी०टी०आई०	४७०.४९
४	श्री आत्माराम	तेल विशेषज्ञ एच०बी०टी०आई० कानपुर	२५२.५१
५	श्री जी०एन० मेहरा	भूतपूर्व अतिरिक्त उद्योग निदेशक	३८५.९९
६	श्री एम०सी० भार्गवा	भूतपूर्व लाइजन आफीसर (वर्क्स)	३७.१५
७	श्री अनूप सिंह	भूतपूर्व संयुक्त निदेशक उद्योग	८७.४४
८	डा० एच० त्रिवेदी	भूतपूर्व प्रधानाचार्य एच०बी०टी०आई०	२१५३.५७
९	श्री एस०सी० चतुर्वेदी	भूतपूर्व उप उद्योग निदेशक	१६३.०६
१०	श्री आर०एन० भार्गव	भूतपूर्व उप उद्योग निदेशक	६२.४६
११	श्री बी० डी० सेठ	ओ०एस०डी०, यू०पी०एस०आई०सी०	८२८.६६
१२	श्री ए०पी० अग्रवाल	भूतपूर्व संयुक्त उद्योग निदेशक	१३९.७९
१३	श्री एन०एल० बन्धोपाध्याय	भूतपूर्व अर्थ नियंत्रक उद्योग	७८.०८
१४	श्री जी० सी० जोशी	भूतपूर्व सहायक उद्योग निदेशक	२८०.०१
१५	श्री एन० सेथूरमन	भूतपूर्व अतिरिक्त उद्योग निदेशक	१७९.८१
१६	श्री एस० एन० शर्मा	भूतपूर्व संयुक्त उद्योग निदेशक	२१३.२२
१७	श्री श्याम जी पांडे	अर्थ नियंत्रक उद्योग	१२०.२२
१८	श्री के० एन० माथुर	डिप्टी रजिस्टार औद्योगिक सहकारी समितियां	७८.८८
१९	श्री सी०एम०एल० भटनागर	संयुक्त उद्योग निदेशक	२२.६२
२०	श्री कुंवर सिंह	उप उद्योग निदेशक	१११.३८
२१	श्री अशोक चन्द्र	भूतपूर्व अतिरिक्त उद्योग निदेशक	११६.५८
२२	श्री डी० एन० जोशी	भूतपूर्व निदेशक प्राविधिक शिक्षा	१२७.५९

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डर्ड, कानपुर से जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में ५,००० रु० से अधिक ऋण प्राप्त करने वाली समितियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम समिति संस्था	उद्योग	वर्ष	ऋण धनराशि
				रु०
१	गृह उद्योग धान कुटाई उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, कांठ, मुरादाबाद ..	धान कुटाई	१९६७-६८	११,५७५.००
२	गुड़ खाण्डसारी गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड उमरीकलां, मुरादाबाद ..	गुड़, खांडसारी	,,	९,२००.००
३	गुड़ खांडसारी गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, रामूबाला, सेखू, मुरादाबाद ..	,,	,,	१०,१५०.००
४	आदर्श गुड़ खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लि०, रहरा, मुरादाबाद ..	,,	,,	१०,६७०.००
५	गुड़ खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लि०, मिल्क पीपलसाना, मुरादाबाद ..	,,	,,	६,८८०.००
६	काष्ठ कला उद्योग सहकारी समिति लि०, असमोली, मुरादाबाद ..	काष्ठ कला	,,	८,५५०.००
७	गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लि०, चन्दौसी, मुरादाबाद ..	चर्म	,,	१०,५६७.५०
८	चर्म शोधन गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, बाहरपुर पो० कुंदरकी, मुरादाबाद ..	,,	,,	९,६८०.००
९	चर्म शोधन सहकारी समिति लि०, सरायतरीन, मुरादाबाद ..	,,	,,	८,०००.००
			योग	८६,२७२.५०

अनुपूरक पत्रिका

क्रम-संख्या	नाम समिति / संख्या	उद्योग	वर्ष	ऋण धनराशि
				रु०
१	आदर्श गुड़ खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लि०, रहरा, मुरादाबाद ..	गुड़ खांडसारी	१९६८–६९	११,१००.००
२	गुड़ एवं गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, बरतौरा, मुरादाबाद ..	,,	,,	८,०००.००
३	गुड़ खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लि०, रजबंपुर, मुरादाबाद ..	,,	,,	१४,४४०.००
४	गुड़ खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लि०, रामूबाला, सेखू, मुरादाबाद ..	,,	,,	५,०००.००
५	गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लि०, अमरोहा, मुरादाबाद ..		,,	११,८००.००
६	तेल घानी उद्योग सहकारी समिति लि०, उझारी, मुरादाबाद ..	ग्रामीण तेल	१९६८–६९	७,८६०.००
			योग	८८,२००.००
	कुल योग १९६७–६८ व १९६८–६९			१,७४,४७२.५०

उद्योग मंत्री

उक्त व्यक्तियों तथा फर्मों को उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६७–६८ व १९६८–६९ में ५,००० रु० से अधिक ऋण दिया गया।

वर्ष	ऋणी का नाम	वितरित धनराशि	उद्योग का नाम
उदार ऋण योजना के अन्तर्गत—		रु०	
१९६७–६८	१—श्री आर०के० मेटल इन्डस्ट्री।	१०,०००	हार्डवेयर इन्डस्ट्री
	२—श्री वीरेन्द्र कुमार कृष्ण कुमार।	५०,०००	चीनी उद्योग
	योग	६०,०००	
१९६८–६९	१—सर्वश्री लक्ष्मणदास, मथुरा दास।	७५,०००,००	वायर रोप (तार रस्सी) उद्योग
	२—सर्वश्री किशोरी जी रोलिंग मिल्स।	८०,०००	अल्मुनियम के बर्तन का उद्योग
	३—सर्वश्री उर्मिल रीइन फोर्स्ड सीमेन्ट कांकरीट स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज।	३६,०००	स्पन पाइप उद्योग
	४—सर्वश्री मनोहर इन्सेक्टिसाइड्स प्रा०, लि०	७३,०००	पेस्टिसाइड्स एवं इन्सेक्टीसाइड उद्योग।
	योग	२,६४,०००	
मुख्यालय निधि से—			
१९६७–६८	१—श्री लताफत हुसैन	१५,०००	डाइंग ब्लीचिंग व क्लाथ प्रिंटिंग।
	२—श्री हाजी खुरशीद अहमद	१०,०००	कृषि यंत्र, डीजल पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल पंप केम क्रशर बनाना।
	३—श्री मुजफ्फर हुसैन	६,०००	खांडसारी उद्योग
	४—सर्वश्री पंजाब साइकिल रिक्शा वर्क्स।	८,०००	साइकिल रिक्शा पार्टस बनाना
	५—श्री अब्दुल खालिक	१८,०००	गन राइफल क्लीनिंग राड व एअर राइफलप्लेट्स बनाना
	योग	५३,०००	
१९६८–६९	१—श्री सईद मोहम्मद	७,०००	लकड़ी का फर्नीचर बनाना
	२—श्री खजान सिंह	१०,०००	खांडसारी उद्योग
	योग	१७,०००	

पी० एस० यू० पी—ए०पी०—१५ एल०ए०—१९७०—८४५ (प्रो०)।